खण्ड-312, अंक-3
शुक्रवार, 6 पौष, शक संवत् 1896
(27 दिसम्बर, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 312 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन निधि (संशोधन) (स्वीकृत) विधेयक, 1974 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	372–375
संविधान (छत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1974 के अनुसमर्थनार्थ संकल्प (स्वीकृत)	376–378
श्री भगवती प्रसाद द्वारा सुबह की गई शिकायत पर मुख्य मंत्री द्वारा क्षमा याचना	378
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	378–379
नत्थियां	380–391

संसद पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही दिनांक 27 दिसम्बर, 1974 का शुद्धि-पत्र

क्रम-सं0	पृष्ठ-सं0	विवरण
1	2	3
1	259	कालम 1 की 16वीं पंक्ति में सदस्य का नाम "अवद्य नाथ, श्री" के स्थान पर "अवैद्य नाथ, श्री" पढ़ा जाय।
2	259	कालम 2 की नीचे से द्वितीय पंक्ति में सदस्या का नाम "गंगा देयी विशारद, श्रीमती" के स्थान पर "गंगा देवी विशारद, श्रीमती" पढ़ा जाय।
3	261	प्रथम कालम में नीचे से 20वी पंक्ति में "बनवारी राय यादव, श्री" के स्थान पर "बनवारी राम यादव, श्री" पढ़ा जाय।
4	262	नीचे से दूसरी पंक्ति में "राम जी लाल सेन" के स्थान पर "रामजी लाल केन" पढ़ा जाय।
5	271	द्वितीय पंक्ति में "बट्टे-पट्टे" के स्थान पर "चट्टे-बट्टे" पढ़ा जाय।
6	272	17वीं पंक्ति में शब्द "किसी" निकाल दिया जाय।
7	281	तारांकित प्रश्न संख्या 13 के शीर्षक में "जा" के स्थान पर "का" पढ़ा जाय।
8	283	तारांकित प्रश्न संख्या 14 के शीर्षक में शब्द "वनभूक्षि" के स्थान पर "वनभूमि" पढ़ा जाय।
9	306	प्रथम पंक्ति में "दहलवी" को "देहलवी" पढ़ा जाय।
10	320	तृतीय पंक्ति में शब्द "राजमन्द" के स्थान पर "राजमद" पढ़ा जाय।
11	321	अन्तिम पंक्ति में "पहुंपर चेंगे" के स्थान पर "पर पहुंचेंगे" पढ़ा जाय।
12	326	अन्तिम पैरा की द्वितीय पंक्ति में "पावल" के स्थान पर "पावर" पढ़ा जाय।
13	339	अन्तिम पैरा की नवम् पंक्ति में "शपाल कपूर" को "यशपाल कपूर" पढ़ा जाय।
14	347	प्रथम पंक्ति में "कर्मशाना" को "कर्मशाला" पढ़ा जाय।
15	349	द्वितीय से तृतीय पंक्ति तक के शब्द "मैजमान-नीय" के स्थान पर "मैं माननीय" पढ़ा जाय।
16	359	नवम् पंक्ति में "श्री अजीत प्रसाद सिंह" के स्थान पर "श्री अजीत प्रताप सिंह" पढ़ा जाय।
17	370	12वीं पंक्ति में "श्री श्रीपाल सिंह" के स्थान पर "कुंवर श्रीपाल सिंह" पढ़ा जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 27 दिसम्बर, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--392

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (उर्फ जिमी मियां एडवोकेट)
अनिरुद्धराय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवध्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए०सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरन यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णाराव, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांति कुमार, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री

गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गङ्गाधर प्रसाद आर्य, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरेलाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह नेगी, श्री (जिला टिहरी गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर, सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री

जय नारायण सिंह, श्री
जयराम गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेंद्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पांडेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पांडेय, श्री
दुर्योधन, श्री,
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मबीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह श्री
धीरेंद्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजुराम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेंद्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री

नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खाँ, श्री
निर्भय नरायन सिंह श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अंसारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजाजी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारेलाल, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री,
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त , श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राय यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी श्री,
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डा० (जिला जालौन)
मलखान सिंह सेनी, श्री (जिला मुजफ्फर नगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिस्त्रयार खां, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री

मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पंत, कुमारी
रमाकांत द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबृजराज सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह ठाकुर, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब कैप्टेन, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
राम पाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमन दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेंद्र कुमार, चौधरी
वीरेंद्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती

शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर रहमान बर्क, श्री
शांति देवी यादव, श्रीमती
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पांडेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द गौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण भाई, श्री (उर्फ भुलई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
संतोष कुमारी पाठक, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहुद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, कुरील, श्री
सुरेंद्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेंद्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेंद्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 27 दिसम्बर, 1974

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राजकीय पालीटेक्निक कानपुर में विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रानिक्स के पद का सृजन

**1--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)---

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय पालीटेक्निक, कानपुर में विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रोनिक्स के पद का सृजन वर्ष 1973-74 में हुआ था और इस पद पर मार्च तक कोई कार्य करने नहीं पहुंचा जिससे छात्रों की पढ़ाई में अत्यधिक नुक्सान हो रहा है। ऐसा क्यों है। इसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है ?

श्रम एवं न्याय मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)--

राजकीय पालीटेक्निक, कानपुर में विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रानिक्स का पद जनवरी, 1974 में सृजित हुआ था। इस पद पर मार्च, 1974 तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

20 मई, 1974 शासनादेश द्वारा इस पद पर एक महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति की गई परन्तु उसने अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों के कारण कानपुर में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। राजकीय पालीटेक्निक, कानपुर में इलेक्ट्रानिक्स पाठ्यक्रम 1971 से चालू है जबकि राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ में यह पाठ्यक्रम 1963 से चल रहा है। जनहित में वर्तमान सत्र के लिये विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स के पद का मुख्यालय राजकीय पालीटेक्निक, कानपुर के स्थान पर राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ करने का निर्णय लिया गया है।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जनवरी, 1974 में विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रानिक्स का पद सृजित किया गया था और मार्च, 1974 तक इसमें कोई नियुक्ति नहीं की गयी थी। इसके बाद फिर माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि यह पद कानपुर के बजाय लखनऊ के लिए रखा गया। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या कानपुर में अब ऐसा पद नहीं है ?

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, माननीय सदस्य को समझने में कुछ भ्रम हुआ है। यह पाठ्यक्रम झांसी, कानपुर और लखनऊ में चलाया जा रहा है। लखनऊ में महिलाओं का है और कानपुर में लड़कों का है। यह 1963 से लखनऊ में चल रहा है। यहां पर जो लेडी टीचर थीं वह सीनियर मोस्ट थीं, लेकिन उस समय वह गर्भवती थीं और उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया कि ऐसी अवस्था में उनका स्थानान्तरण न किया जाये और उन्हें यहीं पर रहने दिया जाये और दूसरे जो वहां के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं वह इस कार्य को देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष---

एक और सवाल माननीय शिवानन्द नौटियाल।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जब कानपुर में इस पद को सृजित किया गया और वहां पर अध्यापिका नहीं पहुंची तो निश्चित रूप से वहां के विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है । तो मेरा मूल प्रश्न यह है कि क्या अभी तक उस पद पर किसी की नियुक्ति हुई है अथवा नहीं ?

श्री राजमंगल पांडेय--

कोई नयी नियुक्ति नहीं हुई है । वहां पर जो हेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैं, वे इस कार्य को अपने इन्स्ट्रक्टस और लेक्चरर्स की सहायता से देख रहे हैं लिहाजा लड़कों की पढ़ाई का अहित नहीं हो रहा है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगें कि पोस्ट तो क्रिएट कर दी गयी लेकिन परसनल नहीं मिला तो उसके क्रिएट करने से क्या फायदा हुआ ?

श्री राज मंगल पांडेय---

पोस्ट तो हम क्रियेट करत हैं और किसी पोस्ट को हम उस समय तक सरेन्डर नहीं करते हैं इस आशा से कि कोई व्यक्ति मिल जायेगा । एक सीनियर लेडी टीचर को जाना था लेकिन यह परसनल कठिनाई के कारण वहां जा नहीं सकती थी । इसीलिये उसको नहीं भेजा गया जैसे ही दिक्कत दूर हो जायेगी उसको वहां भेज दिया जायेगा ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)---

अभी माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि वहां पर नियुक्ति नहीं की गई तो वहां पर जो विद्यार्थियों का नुकसान हुआ है, उसके निराकरण के लिये मंत्री जी कौनसा उपाय कर रहे है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मेरे बार-बार कहने पर भी कि वहां पर किसी विद्यार्थी का कोई अहित नहीं हुआ है, फिर यही बात पूछी जा रही है । यदि बच्चों की कोई शिकायत हो या टीचस की ओर से कोई शिकायत की गई है तो कि वहां पर पाठ्यक्रम में व्यवधान हुआ है तो मुझे बता दें । प्रि-जम्पशन्स पर कोई बात कहीं नहीं जा सकती है । वहां पर जो इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग का हेड है वह इलेक्ट्रोनिक्स के काम को भी देख रहा है । वहां पर सभी टीचर्स उनके साथ सहयोग कर रहे है और पढ़ाई ठीक ढंग से चल रही है । अतः यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

जब यह पद 1973 में सृजन किया गया था, तो क्या कारण है कि अभी तक एडवर्टिजमेंट आदि करके अभ्यर्थियों को क्यों नहीं बुलाया गया है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

पद का सृजन केवल इसलिये किया गया था कि वहां पर पढ़ाई में एफिशिएन्सी बढ़े किसी को नुकसान न हो और फायदा पहुंचे, ये दोनों बातें अलग-अलग है । वहां पर बच्चों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि इस कार्य को दूसरे लोग ठीक से देख रहे है । यदि वहां पर किसी की नियुक्ति हो जाती तो एफिशियेन्सी अवश्य बढ़ जाती ।

**2--श्री शिव प्रसाद गुप्त--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित हुआ]

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

ज्ञानपुर, भदोही व गोपीगंज नगर में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू करने की मांग

*1--श्री राम रति बिन्द, श्री राम निहोर तथा श्री गिरजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ज्ञानपुर गोपीगंज भदोही नगर क्षेत्र में जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून लागू करने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

जी हां । उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रश्नगत क्षेत्र में कृषि भूमि के परिच्छेदन की कार्यवाही पूरी होने पर अन्तिम रूप से जमींदारी विनाश हो पायेगा । कोई निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है ।

वाराणसी जिले की तहसील ज्ञानपुर के अन्तर्गत महाराजा काशी नरेश की जमीन को भूमिहीनों में वितरित करने की मांग

*2--श्री राम रति बिन्द, श्री राम निहोर तथा श्री गिरजा शंकर पाठक--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि महाराजा काशी नरेश की जमीन जो ज्ञानपुर तहसील, जिला वाराणसी में स्थित है, को भूमिहीनों में बांटने की कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी नहीं ।

श्री राम रति बिन्द--

वहां पर जो परिच्छेदन की कार्यवाही हो रही है, यह किसकी देख-रेख में हो रही है, अर्थात् कौन अधिकारी कर रहा है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

परिच्छेदन की कार्यवाही वाराणसी के आयुक्त कर रहे हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)---

वे कौनसी बातें हैं जो अवलंबित कर रही है और शासन के विचाराधीन है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

परिच्छेदन की कार्यवाही के बाद उनके आब्जेक्शन्स आते हैं । उनके सुने जाने पर ही आगे कार्यवाही होती है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

देहातों की जमींदारी का विनाश आज से 18 वर्ष पहले हो गया था । शहरों में जमींदारी खत्म करने की बात चल रही है । तो वे कौन से कारण हैं, जिनके कारण यह आज तक नहीं हो सकी ? क्या सरकार कोई इस्टीमेटेड अवधि, 10 साल, 20 साल या 50 साल बताने की कृपा करेगी । जिसके अन्दर जमींदारी खत्म होगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जैसा मैंने कहा परिच्छेदन की कार्यवाही के बाद आब्जेक्शन्स होंगे, जिन्हें सुनने के बाद निर्णय होगा, तब कार्यवाही पूरी होगी ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

मैं इस्टीमेटेड अवधि जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष---

कोई निश्चित अवधि बताना संभव नहीं है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

मैं निश्चित अवधि नहीं जानना चाहता हूं । मुझे इस्टीमेटेड समय बता दिया जाय ?

[कोई उत्तर नहीं दिया गया]

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

भदोही और ज्ञानपुर में इस कार्य को कब से शुरू किया गया और कितनी आपत्तियां आयीं और उनमें से कितनों का निपटारा हो गया ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

19 अगस्त, 1969 को अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने इसका आदेश दिया । इसके अतिरिक्त वाराणसी मंडल ने परिच्छेदन कार्य को अन्तिम रूप देने की अधिसूचना 1 मार्च, 1974 को जारी किया । उसके बाद आब्जेक्शन्स सुने जायेंगे और उसके बाद शीघ्र कार्य किया जायगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

यह सवाल कांग्रेस के घोषणा-पत्र के मातहत है और उसके अन्दर ही चुन कर मैं भी आया हूं । तो केवल भदोही, वाराणसी का ही सवाल नहीं है । क्या आपकी कानूनी और नतिक जिम्मेदारी नहीं है जिसके मातहत आप चुन कर इस सदन में आये हैं कि तत्काल आप तमाम शहरों से जमींदारी को खत्म करें ? अगर आप खत्म नहीं करते हैं तो क्या कानूनी अड़चन है वह इस सदन के पटल पर साफ-साफ कहें !

श्री अध्यक्ष---

एक कठिनाई तो यह है कि आप जिस घोषणा पत्र के तहत चुन कर आये हैं स्वयं आपने कोई सवाल नहीं किया । (हंसी)

श्री काशीनाथ मिश्र---

जवाब तो दिलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

जवाब क्या, आप चाहें तो इस पर बहस दे सकता हूं लेकिन आप चाहें तब न !

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)---

प्रश्न 2 के उत्तर में जिसमें यह पूछा गया कि महाराजा काशी नरेश की ज्ञानपुर तहसील की जमीन भूमिहीनों में बांटने की कोई योजना विचाराधीन है, आपने बताया 'जी नहीं" तो क्या काशी नरेश की कोई भूमि सीलिंग के मातहत भी अतिरिक्त घोषित हुई है या नहीं और यदि हुई है तो क्या उसको भी बंटवाने का इरादा नहीं है !

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, प्रश्न यह था कि महाराजा काशी नरेश की जमीन जो ज्ञानपुर, तहसील, जिला वाराणसी में स्थित है उसके बारे में । तो काशी नरेश की जो प्राइवेट जमीन है उसको हरिजनों को बटवाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।* प्रश्न दूसरा माननीय सदस्य ने किया कि क्या काशी नरेश की ज्यादा भूमि सीलिंग में आयी या नहीं । तो जब मर्जर हुआ था उसमें जो कंट्रैक्ट था उसके मुताबिक अभी तक कोई जमीन सीलिंग में नहीं आयी है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

27 वर्षों बाद भी केवल कागज पर इन्होंने चाहे जो उन्मूलन किया हो क्या जमींदारी उन्मूलन के साथ-साथ सत्ताधारियों की जिम्मेदारी का भी उन्मूलन हो गया है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया ।)

श्री उदल--

काशी नरेश के पास तो बहुत सी जमीन है । इसमें केवल ज्ञानपुर का जिक्र है, चकिया और रामनगर का जिक्र नहीं है । तो तहसील ज्ञानपुर में काशी नरेश के पास कितनी भूमि इस वक्त है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

इसकी सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री अध्यक्ष--

यह तफसील का सवाल है ।

बहराइच जिले की तहसील कैसरगंज के भूमिहीनों को भूमि का पट्टा

*3--श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

द्वितीय सत्र 74 के पहले शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री प्रश्नकर्ता की सूचना को सही मान कर कि जो भूमि बंटी है वास्तव में उस पर भूमिहीनों का कब्जा नहीं हुआ है पूरे मामले की पुनः जांच करायेंगे तथा कृपया यह भी बतायेंगे कि जिनका पट्टा हुआ है उन्हें कब्जा मिला ? यदि नहीं, तो कब्जा कब तक दिलाया जायेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जिला बहराइच की तहसील कैसरगंज में जनवरी, 1972, से 15 मार्च, 1974 तक 3,551 जरूरतमंद परिवारों को 107.463 एकड़ भूमि में आवास-स्थल आवंटन किया गया था जिनका कब्जा दिया जा चुका है। उसी अवधि में 654 व्यक्तियों को 1,390.771 एकड़ भूमि कृषि के लिये आवंटित की गई थीं, जिनमें से 468 आवंटियों को कब्जा दिला दिया गया है । जिलाधिकारी को आदेश दे दिये गये हैं कि शेष 186 पट्टेदारों को भी तुरन्त कब्जा दिलाने की व्यवस्था करें ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

दिनांक 7 जून, 1974 को तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर में माननीय राजस्व मंत्री जी ने बताया था कि 654 व्यक्तियों को जमीन आवंटित की गयीं, आज कह रहे हैं कि 188 व्यक्तियों को कब्जा नहीं मिला, तो अब तक कब्जा न दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

188 पट्टेदारों की करीब 340 एकड़ भूमि ऐसी थी जिसमें पानी भर गया था जिसके कारण कब्जा दिलाना सम्भव नहीं था । जिलाधिकारी ने सूचित किया था कि बरसात के बाद कब्जा दिला दिया जायगा । अभी कोई इत्तला नहीं मिली है कि कब्जा दिया या नहीं ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

मेरी सूचना है कि उस जमीन पर अभी भी दूसरे लोगों का कब्जा है, पानी भरने का तो बहाना है, फिर कब्जा क्यों नहीं दिलाया गया ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

आप लिख कर दे दें, फिर से जांच करवा लेंगे ।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)--

जमीन में पानी भरा है तो वह जमीन मकान बनाने क लिये क्यों दी जा रही है, उसमें मकान कैसे बन पायेगा जब पानी भरा रहता है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

वह जमीन कृषि के लिये देने के लिये है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

पहले इसी सदन में माननीय मंत्री जी आश्वासन दे चुके हैं कि विभिन्न जिलों में भूमिहीनों को भूमि बांटने के लिये जिन कमेटियों नियुक्त की जायंगी, तो वह आश्वासन क्या आज भी कायम हैं, यदि हां, तो कब तक ये कमटियां बन जायेंगीं ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

यह अलग सवाल है, अलग से कार्यवाही इस पर हो रही है ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

कृषि अनुदान पर बोलते हुये पहले मंत्री जी ने घोषणा की थी कि साल के अंत तक भूमिहीनों को जमीन बांट दी जायेगी । साल पूरा हो रहा है जमीन अभी बंटी नहीं है । मेरे क्षेत्र में ग्राम भंगहा में जमीन अभी तक न बाटने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

यह दूसरा सवाल है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

इस समय कितनी भूमि ऐसी है कि जो आवंटित नहीं की गयी है और यह भूमि कब तक बट जायेंगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, बहराइच जिले की एक तहसील कैसरगंज के सम्बन्ध म प्रश्न था और अब यहां पूरे जिले की सूचना पूछी जा रही है । तो अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उसको उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

श्री दशरथ सिंह--

मैंने पूरे जिले के बारे में नहीं, केवल कैसरगंज तहसील क बारे में ही पूछा है ।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यापक प्रश्न है ।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि जितने भी पट्टे अभी तक भूमिहीनों में किये गये उन पर उनका वास्तविक कब्जा नहीं हो पाया, इसलिये जिलाधिकारी को यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि एसे स्थानों पर जहां से ऐसी शिकायतें आयी हों उनकी जांच करके तुरन्त उनको कब्जा दिलवाया जाय और पुराने आदेश का पालन जहां नहीं हुआ है, पुलिस द्वारा उनको कब्जा दिलवारा जाय, उस पर क्या कार्यवाही होगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह भी व्यापक प्रश्न है ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

बहराइच जिले की ही तरह सारे उत्तर प्रदेश में भूमिहीनों को जो पट्टा वगैरह दिया गया है या सर्वोदय की जमीन जो भूमिहीनों को मिली है उसका लीगल डाकुमेंट तो उनको दे दिया गया है लेकिन उसका एक्जीक्यूशन वहां नहीं हो रहा है, तो क्या सरकार की यह नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी नहीं है कि वह पुलिस के जरिये उसको कार्यान्वित कराये ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जहां ऐसे कब्जे नहीं मिले है वहां कब्जे दिलवाने के लिये पूर्ण रूप से कार्यवाही की जा रही है, बेदखल किया जा रहा है और कब्जा दिलवाया जा रहा है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या आपके यहां पुलिस अधीक्षक को इस तरह का कोई परिपत्र भेजा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन भूमिहीनों को लीगल डाकुमेंट्स दिया है उसे वह कार्यान्वित करावें ? यदि परिपत्र भेजा है तो "हां" कहें और यदि नहीं भेजा है, तो कब तक वह परिपत्र भेज दिया जायेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

कानून के मुताबिक लीगल कार्यवाही होती है । अगर कोई गलत तरीक से कब्जा करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होती है ।

(व्यवधान)

श्री भीखा लाल--

माननीय मंत्री जी ने अभी बतलाया कि जो कुछ भी कानूनी कार्यवाही सम्भव होगी, वह की जायेगी । मेरी सूचना यह है कि बहराइच जिले में जितने भूमि हीनों को पट्टा दिया गया है उन जमीनों पर गांव के कुछ बड़े लोगों ने अनाधिकार कब्जा कर लिया था । माल विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर भूमिहीनों को उनका कब्जा दिलवाया लेकिन फिर उन बड़े आदमियों ने, जिनके कब्जे में वे जमीनें थीं, उनका कब्जा छीन लिया, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे मामले में मौके पर माल अधिकारियों को भेज कर फिर भूमिहीनों को कब्जा दिलवाया जायेगा और उस जमीन पर से बड़े लोगों को हटाने के लिये माल विभाग के अधिकारियों की मदद में डिप्टी कमिश्नर की इजाजत से पुलिस जायेगी और उसकी इनक्वायरी करेगी ? डिप्टी कमिश्नर की इजाजत के बाद वह कागनिजेबिल आफेंस बन जाता है । इस सम्बन्ध में ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ताकि ऐसे मामलों पर कानूनी कार्यवाही की जा सके और मुकदमा चलाकर कब्जे दिलाये जा सकें ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, जहां-जहां ऐसी कार्यवाही होती है, उनको कब्जे दिलवाये जाते है या नहीं, ऐसे उदाहरणों को माननीय सदस्य हमें बतायें तो कार्यवाही की जायगी ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब लाजबाब है । यह खुद ही जमींदारों के बट्टे-पट्टे है ।

श्री दयाराम भाष्कर (जिला आजमगढ़)--

माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आजमगढ़ की ओर दिलाता हूं । वहां हरजिनों को आबादी के जमीन का वितरण ठीक से नहीं हुआ है और स्थिति बहुत ही खराब है । इसमें हरिजनों की जान भी चली जाती है जब कब्जा लेने की बात आती है ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न आप अलग से कर सकते हैं ।

श्री दयाराम भाष्कर--

25 सौ मुकदमें हो गये है, नौमीलाल नाम के आदमी का कत्ल हो गया है । इसी तरह से 2-3 और कत्ल हो गये है, हरिजन आबादी के मसले को लेकर । इस ओर मैं मुख्य मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

जो सवाल इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है उस सवाल को आप लिखकर भेज दें उसका जवाब दिलाया जायगा ।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--

माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे और जांच कराने की कृपा करेंगे कि कैसरगंज तहसील और बाराबंकी की सरहद पर घाघरा के किनारे की हजारों बीघे जमीन जो हरिजनों को दी गयी है शीतलाबख्श सिंह के कब्जे में हैं ?

(कई सदस्यों ने उठकर बोलना शुरू कर दिया)

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री जंग बहादुर वर्मा--

जमीनें जिनको दी जाती हैं उनको नहीं मिलती है ।

शुक्रवार दिनांक 27 दिसम्बर, 1974 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न

बदायूं जिले के चकबंदी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*1--श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी अधिकारी, जिला बदायूं के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पक्षपात सम्बन्धी कितनी शिकायतें उन्हें दिनांक 1-5-73 से 31-5-73 तक प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

एक ही व्यक्ति के दो शिकायती-पत्र प्राप्त हुये । इन पर जांच कराई गई और प्रश्नगत आरोप निराधार पाये गये ।

गोरखपुर जिले के मौजा जंगल डुमरी की चकबन्दी से सम्बन्धित विज्ञप्ति

*2—श्री मधुकर दिघे—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद, गोरखपुर में तहसील सदर के मौजा जंगल डुमरी नं0 1 की चकबन्दी हुये 15 वर्षों से अधिक समय बीतने पर भी दफा 52 का प्रकाशन अभी तक नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और क्या यह सही है कि इस ग्राम के काश्तकारों द्वारा उस समय से ही दिये गये तमाम प्रार्थना पत्रों पर शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जनपद, गोरखपुर की सदर तहसील के मौजा जंगल डुमरी नं0–1 को चकबन्दी समाप्त होने के पश्चात दिनांक 11 मई, 1968 को धारा 52 की विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है ।

इस ग्राम के किसी भी काश्तकार का कोई भी प्रार्थना पत्र इस समय विचाराधीन नहीं है ।

श्री मधुकर दिघे—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि नियम 52 में कार्यवाही हो गयी है मैं इनको सूचना देना चाहता हूं कि ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुयी है और जो बताया गया वह गलत बताया गया है । जो यह कहा गया कि प्रार्थना पत्र विचाराधीन है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसा पत्र वहां के लोगों ने अगर दिया तो ठीक है आप उस पर विचार करें या न करें लेकिन काश्तकारों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, जो उत्तर पढ़ा गया है वह साफ है । एक ही व्यक्ति की दो शिकायतें प्राप्त हुयीं है और आपने जो 1–5–73 से 31–5–73 तक किसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुयीं है, इनके बारे में पूछा है तो इस सम्बन्ध में केवल 2 ही शिकायतें प्राप्त हुयीं हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

जैसा कि श्री दिघे जी को उत्तर दिया गया, कि नियम 52 में कार्यवाही हुयी है तो मेरा कहना है कि नियम 52 में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी को शायद भ्रम हो गया है, उन्होंने जो उत्तर दिया है वह प्रश्न संख्या–1 से सम्बन्धित है । श्री दिघे जी अब आप दूसरा प्रश्न कर लें ।

श्री मधुकर दिघे—

मैंने यह सूचना दी कि आपका यह जवाब गलत है । 11 मई, 1968 को कहते हैं कि नियम 52 में गजट हो गया । परन्तु वहां के काश्तकारों से प्रार्थना पत्र ले लिये गये हैं परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । क्या वे प्रार्थना पत्र आपके पास है कि नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कोई प्रार्थना पत्र इस सूचना के अनुसार नहीं है ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, जैसाकि सदस्यों ने कहा कि नियम 52 की कार्यवाही नही हुयी है और यह निश्चित जानकारी है । क्या आप इस बात की जांच करायेंगे ? नियम 52 की कायवही

करने के आपके आदेश हुये है तो इसमें जिसने विलम्ब किया है क्या उनके विरुद्ध आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मेरी सूचना के अनुसार यह प्रख्यापन असाधारण गजट 56 में छपा था । तो मैं कैसे मानूं कि यह सही है या गलत है । उसकी जांच की जायेगी ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, वहां के अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की है तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे है ? गजट हो चुका है तो मेरा कहना है कि नियम 52 की कार्यवाही नहीं है परन्तु आप कह रहे है कि कार्यवाही हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष--

इसी से सम्बन्धित दो सवाल क्या करेंगे ? उनको जवाब देने दीजिये ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय सदस्य लिखकर दें दें तो उसकी जांच करा ली जायेगी । आप कहते है कि कार्यवाही नहीं हुई है तो दुबारा उसको देख लेंगे ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, धारा 52 के अन्तर्गत 11-5-68 को प्रकाशन हो चुका है । कुछ लोगों ने प्रार्थना पत्र दिये है तो क्या उन लोगों के प्रार्थना पत्रों पर विचार करने के लिये उनकी कठिनाइयों का निवारण करने के लिये कोई उपाय सोंचेंगे और चकबन्दी अधिकारियों को निर्देश करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इसका उत्तर नहीं है । कोई प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है ।

बांदा जिले के ग्राम गौरीकलां के श्री श्रीलाल व श्यामलाल की जमीन का सेटिलमेंट

*3--श्री जंगबहादुर वर्मा तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम गौरीकलां, विकास जसपुरा तहसील के जिला बांदा के भूमिहीनों हरिजनों व नागरिकों ने इसी ग्राम के भूतपूर्व जमींदार, श्री लाल श्याम लाल द्वारा अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के अन्तर्गत छूटने वाली अपनी जमीन को बचाने के लिये फर्जी फैमिली सेटिलमेंट करवाये जाने के विरुद्ध प्रार्थना पत्र जिला अधिकारियों, राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूमि व्यवस्था जांच समिति शासन को माह नवम्बर, 1973 में दिये है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

प्रश्न में उल्लिखित प्रकार का प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी राजस्व परिषद् तथा शासन द्वारा प्राप्त होना नहीं पाया जाता । अतः किसी कार्यवाही के करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जंगबहादुर वर्मा--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हुं कि अधिकतम जोत सीमा नियम बनने के पहले श्री श्रीलाल व श्याम लाल के पास कितनी जमीन थी, उसके कितने टुकडे हो गये अर्थात् कितनी बंट गयी और कितनी जमीन अब रह गयी है ? अधिकारीगण से मिलकर टुकडों में जमीन बांट दी गयी है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, जिलाधिकारी के सूचना के अनुसार 24-1-71 को श्री श्याम लाल पुत्र अयोध्या प्रसाद के पास कुल क्षेत्रफल 308.3.18 लगभग 193 एकड जमीन थी और श्री श्री लाल उसके भाई के पास 192 एकड़ जमीन थी । उसको उन्होंने फैमिली सेटिलमेंन्ट कर रखा था । इसके बाद जो एमेन्डमेंट हुआ है उसका एक्सेन्ट नहीं हुआ है । जब एक्सेन्ट हो जायेगा तब विचार किया जायेगा ।

श्री जंग बहादुर वर्मा--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि अभी तक विचार नहीं किया तो इतने दिन तक जमींन क्यों उनके पास पड़ी रही है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

पुराने ऐक्ट के अनुसार फैमिली सेटिलमेंट सही था । अब जो नया संशोधन लाया गया है कि 1 जनवरी, से पहले जो ट्रेन्जेक्शन्स हुये है उन पर भी विचार किया जा सकता है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

श्री लाल व श्याम लाल ने फर्जी फेमिली सेटिलमेंट कराये है, में यह निश्चित जानकारी दे रहा हूं, तो क्या यह फर्जी सेटिलमेंन्ट नष्ट कर दिये जायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

फेमिली सेटिलमेंट में यह अधिकार था ।

आजमगढ़ जिलान्तर्गत घाघरा नदी के देवारे की भूमि का पंचसाला बदोबस्त

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

अतारांकित प्रश्न संख्या 4, दिनांक 26-7-74 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुगड़ी तहसील जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत जिन ग्रामों का पंचसाला बन्दोबस्त हो रहा है, उसे बन्द करने का आदेश दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां । पंचसाला बन्दोबस्त क्रियायें बन्द कर दिये जाने के आदेश दिनांक 13 दिसम्बर, 1974 को प्रसारित कर दिये गये है ।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला बाराबंकी)--

क्या राजस्व मंत्री जी बतलायेंगे कि इन गांवों में जब पंचसाला बन्दोबस्त हो रहा था तो गोरखपुर में कार्यालय होने के कारण आजमगढ़ के लोग नहीं जा सके थे और अनियमितता हुई है, उनको दूर करने के लिये जिला अधिकारी को कोई आदेश दिये गये है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

पंचसाला बन्दोबस्त खतम करने के बाद के बाद ऐक्ट के अनुसार कार्यवाही होगी ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

इन गांवों में पंचसाला बन्दोबस्त क्यों कराया गया और क्यों बंद किया गया जिसमें लाखों रुपया खर्च हो गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय सदस्य पढ़ लें तो मालूम हो जावेगा ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

जब यह पंचसाला बन्दोबस्त बंद हो गया है तो क्या कुछ कागजात राजस्व परिषद् को भी प्रेषित कर दिये गये हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

*5-6---श्री बाबू लाल वर्मा---

[10 वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7-8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम मसुरियापुर, जिला आजमगढ़ में चकबन्दी

*7---श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)---

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि ग्राम मसुरियापुर, तहसील सगड़ी, चकबन्दी हल्का नं० 4, रौनापुर जिला आजमगढ़ में चकबन्दी अधिकारियों ने बड़े-बड़े काश्तकारों को चकों के बनाने म गोलमाल किया, क्या इस उपलक्ष्य में माह जून, 74 में कमिश्नर चकबन्दी एव जिला-धीश, आजमगढ़ को वहां के काश्तकारों ने शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार चकों के इस गड़बड़ी की जांच करायेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जी नहीं । प्रश्नगत शिकायती पत्र प्राप्त हुये थे जिस पर जांच करायी गयी और जांच में शिकायत निराधार पायी गयीं । दोबारा जांच करान की आवश्यकता नहीं है ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि शिकायती पत्रों पर किस स्तर के अधिकारियों से जांच कराई गई थी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमन्, एक जांच जिला अधिकारी द्वारा कराई गई थी और एक चकबन्दी अधिकारी के द्वारा कराई गई है ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव---

जिस चकबन्दी अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गई थी उसी से जांच कराई गई तो क्या सही तथ्य मालूम हो सकते हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जितनी शिकायतें थीं उन्हीं शिकायतों को बार-बार बड़े लोग करते थे और वह ऐसी थीं कि जिनके केस भी चल रहे थे । जिनकी अपील चलती हैं उनको शासन द्वारा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है । जिला अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी है कि जिनमें थोड़ा बहुत गड़बड़ था उनमें अपीलों को छोड़कर दुरुस्ती कर दी गई है ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव---

10, 12 एकड़ वाले लोगों को दो-दो, तीन-तीन चक दिये गये हैं लेकिन जिनके पास 72, 72 एकड़ जमीन थी उनको एक ही चक दिया गया है जबकि उनकी जमीन सारे गांव म थी, सी एक ही चक क्यों दिया गया है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, उसके तो आब्जेक्शन्स होते हैं, अपीलें होती हैं, रिवीजन्स होते हैं और उन्हें तय किया जाता है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, जब वहां के चकबंदी विभाग के अधिकारियों से जनता में असंतोष है तो क्या मंत्री जी किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव--

मान्यवर, इन गांवों के बड़े काश्तकारों को जब अच्छे-अच्छे चक दिये गये हैं तो क्या मंत्री जी इन गांवों की भूमि का आवंटन दुबारा करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो शर्त का सवाल है ।

तहसीलदार फर्रुखाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*8--श्री रामप्रकाश त्रिपाठी (अनुपस्थित)--

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 74 के अन्तिम सप्ताह में महामंत्री, लेखपाल संघ द्वारा कोई ऐसी शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कई लाख रुपये के मूल्य की सरकारी भूमि व इमारत को तहसीलदार, फर्रुखाबाद द्वारा अवैधानिक रूप से एक व्यक्ति के नाम दर्ज किया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां ।

तहसीलदार, सदर की जांच आख्या के आधार पर परगनाधिकारी द्वारा नजूल सम्पत्ति पर सर्वश्री कमलेश्वर सिंह, दिनेश कुमार सिंह, बालकृष्ण सिंह, पुत्रगण श्री राम स्वरूप निवासी नौगवां कैन्ट के नाम दर्ज किये जाने का जो आदेश पारित हुआ था, वह निरस्त किया जा चुका है, और पक्षकारों के नाम दर्ज किये जाने के विषय में दुरुस्ती कागजात का मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है ।

हमीरपुर जिले के ग्राम छानी तथा रतवा के टेस्टवर्क में भ्रष्टाचार की शिकायत

*9--श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 74 में हमीरपुर जिले के छानी तथा रतवा में चल रहे टेस्टवर्क में काम करने वाले ग्रामीणों को वेतन देने में भ्रष्टाचार की जानकारी शासन को मिली ? यदि हां, तो जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

हमीरपुर जिले के ग्राम छानी तथा रतवा में प्रश्नगत टेस्ट वर्क के सम्बन्ध में जांच के उपरान्त छानी के टेस्ट वर्क में कोई अनियमितता नहीं पाई गई परन्तु ग्राम रतवा के टेस्ट वर्क में पाई गई अनियमितताओं के फलस्वरूप यहां के चार्ज अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया और चार्जशीट दी गई तथा विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस मामले की जांच किस अधिकारी ने की और उनका निलम्बन किस आधार पर किया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, मेरे पास सूचना नहीं है कि जांच किसके द्वारा करायी गयी । किसी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के द्वारा जांच करायी गयी होगी ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, जब अनियमितता नहीं पायी गयी, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि निलम्बन किस बात के लिये हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

जवाब में है कि छानी में अनियमितता नहीं पायी गयी लेकिन रतवा में पायी गयी ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

जहां नहीं पायी गयी, वहां क्यों हुआ ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जहां अनियमितता थी, वहां निलम्बन करके विभागीय कार्यवाही हो रही है ।

बाराबंकी जिले के ग्राम गाजीपुर निवासी श्रीमती लक्ष्मीपांडे द्वारा सीलिंग से निजी भूमि बचाने का षड़यंत्र

*10--श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम गाजीपुर, तहसील राम सनेही घाट, जिला बाराबंकी के प्रधान तथा अन्य सदस्यगण का राजस्व मंत्री को सम्बोधित दिनांक 7-12-73 का कोई ज्ञापन शासन को प्राप्त हुआ है जिसमें उपरोक्त ग्राम के कुछ व्यक्तियों द्वारा जिलाधिकारी बाराबंकी के समक्ष असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत करके जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुये सीलिंग से अपनी भूमि बचाने के षडयंत्र का उल्लेख किया गया है ? यदि हां, तो ज्ञापन कब मिला, उसमें किस-किस के विरुद्ध उपरोक्त जालसाजी करने के क्या-क्या आरोप हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां । जिला बाराबंकी के गांव गाजीपुर के प्रधान तथा कतिपय सदस्यों का एक ज्ञापन शासन को 12 दिसम्बर, 1973 को प्राप्त हुआ था जिसमें आरोप था कि श्रीमती लक्ष्मी पांडे विधवा माधो प्रसाद, निवासी तारापति मजरे गाजीपुर, ने दाखिल खारिज के बाद म असत्य शपथपत्र दिया है कि उनके पास साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि नहीं है तथा सीलिंग से भूमि बचाने का षडयंत्र किया है । जांच के उपरान्त शपथपत्र गलत पाया गया और परगनाधिकारी ने 30 जुलाई, 1974 को गांव तथा सभा के प्रधान को आदेश दिया है कि वह जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 163 के अन्तर्गत बेदखली का वाद दायर करें ।

श्री कल्याण सिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गलत शपथपत्र में किस अधिकारी का हाथ था और इस गम्भीर अपराध के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

गलत शपथ पत्र दाखिल करने के लिये वहां के डी० जी० सी० (क्रिमिनल) और प्रधान को हिदायत दी गयी है कि उसके खिलाफ कार्यवाही करें ।

श्री कल्याण सिंह--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच के उपरान्त जिस भूमि को सीलिंग से बचाने का प्रयास किया गया था, उसका क्षेत्रफल कितना है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

सीलिंग के मुकदमे में एक तरफ से टेनेन्ट रहता है और दूसरी तरफ से सरकार रहती है । सरकार की तरफ से उसका वकील और नायब तहसीलदार रहता है । इतनी सतर्कता बरतने के बाद भी जिसने गलत शपथ पत्र दाखिल किया उसको काउन्टर ऐक्ट करने के लिये क्या दूसरी तरफ से दूसरा एफिडेविट दायर किया गया या नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सरकार सतर्क न होती तो इसकी जांच कैसे हो पाती कि यह गलत एफिडेविट है । उसके खिलाफ कार्यवाही भी हो रही ह ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह सूचना देने पर मालूम हुआ कि गलत एफिडेविट दायर किया गया है या अधिकारियों ने स्वय पता लगाया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

अधिकारी का क्या सम्बन्ध हो सकता है गलत शपथ पत्र दाखिल करने से ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मेरा प्रश्न यह है कि जब टेनेन्ट ने गलत शपथ पत्र दाखिल किया आपके खिलाफ तो फिर सरकार ने काउन्टर एफिडेविट दायर किया या नहीं और उसकी जांच की गयी होगी तो जांच किस ने की और अगर काउन्टर एफिडेविट दायर नहीं किया गया तो क्यों नहीं दायर किया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

गलत शपथ पत्र जिसने दायर किया उसके खिलाफ किसी ने काउन्टर एफिडेविट दायर किया या नहीं किया इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री कल्याण सिंह--

12 दिसम्बर, 73 को यह शिकायत मिली और 30 जुलाई, 74 को गांव सभा के प्रधान को आदेश दिये गये तो इस तरह से 8 महीने लग गये यह तय होने में कि वाद दायर होगा या नहीं होगा ? सरकार यह भी बतायेगी कि कब तक इसका निपटारा हो जायगा और निपटारा हो कर कब तक भूमि का बटवारा कर दिया जायगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

वहां के प्रधान ने इस पर दावा दायर करने में लापरवाही की है । शासन की तरफ डी० जी० सी० क्रिमिनल को दुबारा लिखा गया है कि जिसने गलत एफिडेविट दायर किया है । उसके खिलाफ कार्यवाही करें ।

बहराइच जिले में भकला नदी के किनारे बसे ग्रामों का कटाव

*11—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बहराइच में भकला नदी के किनारे बसे रघुनाथपुर, मनिकापुर, मोहनापुर, इब्राहीमपुर, भुतहा, खसियारी व मनकौरा, कोड़री ग्रामों में वर्ष 1974 की भयंकर बाढ़ में कटान से काफी नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो सरकार एवं जिलाधिकारियों द्वारा तत्समय क्या-क्या सहायता की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मोहनपुर को छोड़ कर जो ग्राम रमनगरा का गजरा है प्रश्न में उल्लिखित भी ग्राम वर्ष 1974 में राप्ती भकला नदी की बाढ़ में कटान से प्रभावित हुये, लेकिन ग्राम रघुनाथपुर तथा मनकापुर की आबादी में कटान नहीं हुआ ।

इन ग्रामों के जिन लोगों का मकान कट गया उन्हें अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर बसा दिया गया है। बाढ़ के समय असहाय लोगों को दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री जरूरत के अनुसार बांटी गयी । इसके अतिरिक्त ग्राम बिरहिमपुर खसियारी मुतहा के लोगों को गृह निर्माण अनुदान दिया गया ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार बतायेगी कि जब यह बात निश्चित है कि बहराइच जिले की भकला नदी के किनारे बसे ग्रामों में हर वर्ष बाढ़ आती है और कुछ गांव उससे हर साल कट जाते हैं तो उस कटान को रोकने के लिये सरकार ने क्या स्कीम बनाई है और कब तक यह कटान रोकने के लिये स्कीम लागू कर दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष —

यह प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

उत्तर में यह बतलाया गया है कि बाढ़ आने पर वहां पर आवश्यक उपयोग की सामग्री बांटी गयी है तो मेरा प्रश्न है कि कौन कौन सी चीजें बाटी गयी हैं और बाढ़ आने के कितने दिन बांटी गयीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तफसीली प्रश्न है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

यह प्रश्न से संबंधित है । उत्तर में ही यह बतलाया गया है कि बाढ़ के समय दैनिक आवश्यकता की सामग्री जरूरत के हिसाब से बाटी गयी है जबकि वास्तविकता यह है कि वहां कोई सामान नहीं बाटा गया है । इसमें जो उत्तर दिया गया है वह गलत दिया गया है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन सी सामग्री किस-किस प्रकार से बांटी गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सामग्री की तो सूचना है लेकिन यह सूचना नहीं है कि किस तारीख को कितनी-कितनी बांटी गई। वैसे नमक, दियासलाई, चना, तेल, गृह निर्माण के लिये अनुदान और तकावी आदि बांटी गई ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जिन लोगों के घर कट गये थे उनके बारे में आपके उत्तर में कहा गया है कि उनको अन्यत्र बसा दिया गया है, किन्तु मेरी जानकारी यह है कि उनको कहीं नहीं बसाया गया है, तो क्या उन्हें शीघ्र कहीं बसाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय सदस्य कहते हैं तो मैं फिर इसकी इतला दे दूंगा कि कहां बसाये गये हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, अधिकतर शासन द्वारा गुमराह कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि ऐसे लोगों को बसाने की प्रक्रिया कर दी गई है लेकिन वह बहुत कम होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन गांवों से कितनी दूरी पर वे लोग बसाये गये हैं और जिन गांवों का नाम दिया गया है उनमें कितने शेष हैं जिनको बसाया जायेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

कितना फैसला उन गांवों में है, इसकी सूचना नहीं है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

किसी जमीन पर ही तो बसाये गये होंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप निश्चित प्रश्न करें।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिन गांवों के नाम प्रश्न में दिये गये हैं उनको बसाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय सदस्य लिख कर दे देंगे तो मैं वह भी बता दूंगा।

बहराइच जिले के ग्राम अमवा के व्यक्तियों की नाले में डूबने से मृत्यु

*12--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले के ग्राम अमवा के मजरा सुजान डीह व दोंदरा मुजेहना परगना भिनका के पास स्थित नाले में जुलाई, अगस्त, 1974 में कितने व्यक्ति पुल अथवा पुलिया के अभाव में डूब कर मर गये ? तो क्या सरकार ने उन मृतक परिवारों को किसी प्रकार की कोई सहायता अब तक दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जुलाई, अगस्त, 1974 में उक्त ग्रामों में पुल अथवा पुलियों के अभाव में किसी भी व्यक्ति के डूब मरने की सूचना नहीं है। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि ग्राम रंजीतपुर गरवली और ग्राम अमवा के हुस्नू नामक व्यक्ति और उसकी बहन का लड़का पिछली बाढ़ में जो इस नाले पर आयी थी, डूबकर मृत पाये गये। क्या आप इसकी जांच करायेंगे और मृतक के परिवार को मुआवजा दिलायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, नाम और पूरा पता माननीय सदस्य लिखकर दे दें। मैं जांच करा लूंगा। यह भी हो सकता है कि उनकी मृत्यु किसी और कारण से हुई हो।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मैं इस सम्मानित सदन के अन्दर यह सूचना दे रहा हूं कि हुस्नू नामक व्यक्ति . .

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दे दें।

श्री मधुकर दिघे--

यह तो आप आश्वासन दे दें कि मृतक के परिवार वालों को आप मुआवजा देंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

अगर यह साबित हो जाय कि उनकी मृत्यु का यही कारण है तो मुआवजा दिया जायेगा किन्तु अगर उनकी मृत्यु किसी दूसरे कारण से हुई होगी तो कैसे हो सकता है।

श्री जंग बहादुर वर्मा--

यही उत्तर आप वाद में भी दे देंगे...

श्री अध्यक्ष--

आप पूछेंगे तो उसका जवाब देना ही है ....

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

जैसे मैंने सूचना दी है, उसी प्रकार जब इन नालों पर आदमी बह कर मर गये हैं तो क्या आप इन नालों पर पुलिया बनवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह शर्तिया सवाल है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

पुलिया बनवाना सार्वजनिक निर्माण विभाग का काम है।

कानपुर के ग्राम जहांगीराबाद की भूदान की भूमि जा अनियमित आवंटन

*13--श्री कल्याण सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम जहांगीराबाद, तहसील घाटमपुर, जनपद, कानपुर की भूदान की सैकड़ों एकड़ भूमि भूमिहीनों एवं हरिजनों में वितरित न करके कानपुर के ही बड़े-बड़े पूंजीपतियों को दे दी गयी है ? क्या इस घोटाले के सम्बन्ध में तत्कालीन तहसीलदार, तहसील घाटमपुर जिला कानपुर की दिनांक 17-5-72 की विस्तृत आख्या शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो आख्या क्या है और शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां, ग्राम जहांगीराबाद की भूदान की लगभग 84 बीघा भूमि भूमिहीनों एवं हरिजनों में न वितरित होक कानपुर के कुछ नगरवासियों को आवंटित हो गई है। इस संबंध में तहसीलदार घाटमपुर की जांय आख्या शासन को प्राप्त हुई है जिसमें यह बताया गया है कि प्रश्नगत

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]

भूमि का अनियमित आवंटन हुआ है। भूदान यज्ञ समिति को यह सुझाव दिया गया है कि इस अनियमित आवंटन के विरुद्ध दीवानी न्यायालय में दावा दायर करें।

श्री कल्याण सिंह--

क्या माननीय राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन नागरिकों की चर्चा की गई है जो कानपुर के बताये है उनमें से प्रत्येक को कितनी कितनी भूमि आवंटित की गई और आवंटित करने वाला अधिकारी कौन था ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न तो जहांगीराबाद गांव का है।

श्री कल्याण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा हुआ है कि कानपुर के कुछ नागरिक थे जिनको आवंटित किया गया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन हैं और कितनी जमीन दी गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, तहसीलदार की जांच की सूचना पर यह मालूम होता है कि 1968 में श्री वसन्त लाल पुत्र श्री मन्नी लाल, श्री बंशीधर, श्री बृजकिशोर, श्री हरकिशोर श्री सुरेन्द्र गोपाल श्रीमती तारादेवी वाइफ आफ हरिकृष्ण ने भूमि के पट्टे अपने नाम प्राप्त किये और भूदान समिति के जो अध्यक्ष हैं जिन्होंने इसको बांटा जिनका नाम मालूम नहीं है, भूदान समिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने यह बांटा।

कुवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)--

श्रीमन् क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनके नाम पट्टा किया गया यह कहां के रहने वाले हैं, यह कानपुर के नहीं है। जब वह वहां के निवासी नहीं है तो इनको यह अवैधानिक ढंग से पट्टा किया गया और दाखिल खारिज किया गया।

श्री अध्यक्ष--

किसने दिया है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

महोदय, यह उन्नाव जिले के हिरन छाप तम्बाकू परिवार के सब लोग हैं जो लखपति हैं, यह कानपुर जिले के नहीं है बल्कि वहां व्यवसाय करते है तो इनके नाम कैसे दाखिल खारिज किया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, भूदान समिति का जो अध्यक्ष होता है और जो भूदान की जमीन होती है उसका पट्टा वह करते हैं। राज्य सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है (व्यवधान) जिनको जमीन दी गई है जांच से मालूम पड़ता है कि यह कानपुर के रहने वाले हैं। जमीन इनकी उन्नाव में है। सपथ पत्र गलत दिया गया इसलिये भूदान समिति को लिख दिया गया कि उसको बेदखल कराये।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष जी अभी जो मंत्री महोदय ने कहा कि जमीन बांटने की जिम्मेदारी भूदान समिति के अध्यक्ष की है यह गलत है इस प्रकार से जो सर्वोदय जमीन मिलेगी इसके लिये सरकार का कानून बना है वह जमीन आपके अधिकार में होगी, लीगल डाकूमेंट आप देंगे दाखिल खारिज आपकी व्यवस्था के मुताबिक होगा जो जमीन भूमिहीनों के लिये थी, सर्वोदय में दान में मिली हुई थी उसे उत्तर प्रदेश के करोड़पति, लखपति और हिरनछाप वालों ने ले लिया, तो जिस अधिकारी ने इसके संबंध में लीगल डाकूमेंट दिया, जिसके द्वारा ऐसी बात पैदा हुई, उस अधिकारी के खिलाफ आप और आपके उच्च अधिकारी क्या क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री मधुकर दिघे--

उस पट्टे को कन्फर्म किया गया या नहीं, किसने कन्फर्म किया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

कई लोग बोल रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

हमारा प्रश्न साफ है किस अधिकारी के दस्तखत से हिरन छाप तम्बाकू वालों को भूमिहीनों की जमीन मिल गई ? और उसके खिलाफ आप कौन सी कार्यवाई करने जा रहे हैं?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इसमें जो विनोवा समिति होती है, उसके मंत्री संयोजक होते हैं । वह उसका पट्टा करते हैं और उस पट्टे के बिना पर एफीडेविट लगाकर दाखिल-खारिज करते हैं । उसको देखकर राज्य सरकार ने एक विधेयक पेश किया है, उस पर विचार हो रहा है, ऐसी गड़बड़ियों को शासन ध्यान में रखेगा ।

डेरापुर तहसील जिला कानपुर की वनभूमि पर वृक्षारोपण

*14--श्री रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या वन मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के डेरापुर तहसील में वन विभाग की कितनी भूमि अलग-अलग किन-किन गांवों में है और उनमें कितने में वृक्षारोपण का कार्य कितने रकबे में हुआ और कितना रकबा बेकार पड़ा है और अब तक टांगिया पद्धति से खेती के लिये किन-किन ग्रामों में कितनी भूमि के पट्टे किये गये? क्या यह सही है कि पट्टे किय जाने में जानबूझ कर विलम्ब किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

सूचना संलग्न है । टांगिया पद्धति पर कृषि हेतु वन भूमि के पट्टे दिये जाने में कोई विलम्ब नहीं किया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 380-381 पर)

भूमि सुधार योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का सर्वेक्षण

*15--श्री त्रिवेणी सहाय, श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा भूमि सुधार योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का सर्वेक्षण कराया जा रहा है? यदि हां, तो सर्वेक्षण कौन कर रहा है

नोटः--तारांकित प्रश्न संख्या 13 के पश्चात प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

[श्री त्रिवेणी सहाय, श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

तथा 31 अगस्त, 74 तक सर्वेक्षण की प्रगति क्या रही है और इस सम्बन्ध में क्या कोई अन्तरिम रिपोर्ट भी प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां। नेशनल काउन्सिल आफ एप्लाईड इकानोमिक रिसर्च द्वारा एक सर्वेक्षण कराया जा रहा है। काउन्सिल ने सर्वेक्षण संबंधी अध्ययन 31-8-74 के बाद हाल ही में प्रारम्भ किया है अतः उक्त तिथि तक किसी प्रगति का प्रश्न नहीं उठता। काउन्सिल ने अभी कोई अन्तरिम रिपोर्ट नहीं भेजी है।

चुनार तहसील मिर्जापुर में फसल को पहुंची क्षति का विवरण

*16--श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि मिर्जापुर जिला के चुनार तहसील में वर्ष 1973-74 में रबी व खरीफ की फसल प्रत्येक परगने में कितनी क्षतिग्रस्त हुई थी ? सरकार ने क्षतिग्रस्त क्षेत्रों एवं किसानों को राजस्व में क्या छूट एवं सुविधा दिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

तहसील चुनार में खरीफ 1381 व रबी 1381 फ0 (1973-74) में प्रत्येक परगने में फसलों को पहुंची क्षति का विवरण निम्न प्रकार है।

परगना			क्षति का विवरण
कृयात	33 ग्राम	.. .. ..	75 से 84 पैसे
हवली	11 ग्राम	.. .. ..	75 से 84 पैसे
कृयात	3 ग्राम	.. .. ..	60 से 74 पैसे
हवेली	14 ग्राम	.. .. ..	60 से 74 पैसे
कृयात	36 ग्राम	.. .. ..	50 से 59 पैसे
हवेली	24 ग्राम	.. .. ..	50 से 59 पैसे
भगवत	18 ग्राम	.. .. ..	50 से 59 पैसे
सत्तेशगढ़	110 ग्राम	.. .. ..	50 से 59 पैसे
अहरोरा	23 ग्राम	.. .. ..	50 से 59 पैसे
		रबी 1381 फसली	
सत्तेशगढ़	49 ग्राम	.. .. ..	75 से 84 पैसे
अहरोरा	26 ग्राम	.. .. ..	75 से 84 पैसे
भगवंत	8 ग्राम	.. .. ..	75 से 84 पैसे
भुइली	245 ग्राम	.. .. ..	50 से 59 पैसे
हवेली	97 ग्राम	.. .. ..	50 से 59 पैसे
कृयात	95 ग्राम	.. .. ..	50 से 59 पैसे
सत्तेशगढ़	60 ग्राम	.. .. ..	50 से 59 पैसे
अहरोरा	52 ग्राम	.. .. ..	50 से 59 पैसे
भगवत	94 ग्राम	.. .. ..	50 से 59 पसे

सूखा का प्रभाव प्रकट होते ही शासन ने 11-7-73 को 5 बीघा तक के कृषकों से भू राजस्व, सिंचाई कर एवं तकावी की वसूली स्थगित कर दी थी। तकावी की वसूली बाद

में सभी किसानों के लिये बन्द कर दी गयी। 12-2-74 से स्वैच्छिक वसूली की गयी। रबी की वसूली भी 26-4-74 तक स्वैच्छिक थी। जिन खातों में 50 प्रतिशत या उसे अधिक क्षति हुई उनको भू-राजस्व आदि में छूट का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

देवरिया जिले में बाढ़ से क्षति

*17--श्री नारायण (जिला देवरिया)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में नदियों की बाढ़ तथा अतिवृष्टि से गिरे तथा क्षतिग्रस्त हुये घरों की सूची तैयार हो रही है ? यदि हां, तो ऐसे गिरे घरों का मुआवजा तत्काल देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उस योजना का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां । वर्ष 1974 की बाढ़ तथा अतिवृष्टि से गिरे सभी क्षतिग्रस्त मकानों की सूचियां तैयार हो गयी हैं। क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों को कोई मुआवजा शासन द्वारा नहीं दिया जाता, केवल गरीब वर्ग के लोगों को गृह निर्माण हेतु अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है । ऐसे गरीब श्रेणी के लोगों को जिनके पास एक एकड़ से अधिक जोत नही हैं या जो भूमि-हीन हैं । और जिनकी जीविका का कोई साधन नहीं है उनको अब तक गृह निर्माण अनुदान के रूप में 7,32,000 रु0 बांटा जा चुका है तथा वितरण कार्य अब भी जारी है ।

जिला शाहजहांपुर एवं बदायूं के सरहद से सम्बन्धित कथित कत्ल व झगड़े

*18--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या राजस्व मंत्री को पता है कि जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के गांव बरी प्रसिद्धपुर, कहानी नगला देहा, एटमाली, सरसवां, मरेना, की सरहद बदायूं की तहसील दातागंज से मिलती है और बीच में राम गंगा नदी की वजह से सरहद बदल रही है और प्रतिवर्ष अनेक झगड़े, कत्ल व फसल की लूट मार होती चली आ रही है जिससे गरीब कृषक जमीन से बंचित हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनहित में पैमाइश करवा कर दोनों जिलों की मुस्तकिल सीमा नियुक्त करायेंगे और पिछली खतौनी व खसरा के इंदराज के मुताबिक गरीब कृषकों को कब्जा दिलायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

तहसील तिलहर के प्रश्नगत गांवों की सीमा तहसील दातागंज से मिलती है। परन्तु रामगंगा के बहाव की स्थिति बदलने से सरहद बदल नहीं रही है । इन जिलों के बीच की सरहद स्थायी है । यह सही नहीं है कि इस क्षेत्र में सरहद की बिना पर झगड़े, कतल व फसल की लूटमार होती है दोनों जिलों के काश्तकारों में सीमा तथा जमीन के कब्जों के प्रश्न पर आपसी विवाद होता है जिसे निपटाने के लिये दोनों ओर के गांवों में पैमाइश कराने का निर्णय लिया गया है ।

गोंडा जिले के स्थानापन्न अप्रूव्ड एवं अनअप्रूव्ड कानूगो

*19--श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में जनवरी, 71 से दिसम्बर, 72 के बीच कौन-कौन स्थानापन्न ऐसे कानूनगों काम करते हैं जो कि कमिश्नर द्वारा अप्रूव्ड थे तथा उनकी वरिष्ठता सूची क्या थी ? क्या यह सही है कि उपरोक्त अवधि में जिले में कुछ अनअप्रूव्ड स्थानापन्न कानूनगों भी कार्यरत रहे ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

प्रश्नगत अवधि के दौरान कमिश्नर द्वारा अप्रूव्ड सूची के सर्वश्री राम नारायण लाल, रामजस लाल, जमीर हुसन, रामराज तिवारी,भगवती प्रसाद, मोहम्मद नईम खां, चिराग अली और कमलापति राम, स्थानापन्न सुपरवाइजर कानूनगो के रूप में कार्य कर रहे थे। अप्रूव्ड अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूची निम्नलिखित थी:---

1---श्री राम नरायन लाल, 2---श्री राम जस लाल, 3---श्री जमीर हुसन, 4---श्री रामराज तिवारी, 5--श्री भगवती प्रसाद, 6---श्री मोहम्मद नईम खां, 7---श्री भगवत प्रसाद, 8--श्री चिराग अली, 9---श्री कमलापति राम, 10---श्री जगदम्बिका प्रसाद। यह भी सही है कि उक्त अवधि के दौरान 10 स्थायी लेखपाल भी जो उक्त अप्रूव्ड सूची में नहीं थे, सुपरवाइजर कानूनगो की अल्पकालिक रिक्तियों में स्थानापन्न रूप से कार्यरत रहे। उनके नाम ये हैं:---

1---श्री मोहम्मद रजी, 2--श्री मोहम्मद शरीफ, 3--श्री जमुना प्रसाद 4--श्री मुक्ता प्रसाद, 5--श्री राम भरोसे 6---श्री शेर बहादुर, 7--श्री श्याम नरायन, 8---श्री मंगली प्रसाद, 9--श्री राम बहादुर सिंह 10--श्री गुलाब चन्द।

कानपुर जिले की तहसील डेरापुर के किसानों पर बकाया वसूली के सम्बन्ध में गिरफ्तारी

*20---चौधरी राम पाल सिंह यादव---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के डेरापुर तहसील के अन्तर्गत माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 74 में कितने किसानों को बकाया की वसूली में तहसील की हवालात में बन्द रखा ? क्या यह सही है कि जिनको बन्द रखा उसमें छोटे किसानों की ही संख्या अधिक है और बहुत से ऐसे किसानों को भी हवालात में रखा गया जिनका रुपया पहिले से ही तहसील के कोष में जमा था और बहुत से ऐसे किसानों को भी जो बकाया धनराशि जमा कर रहे थे नहीं छोड़ा यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में जांच करा कर तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

कानपुर जिले की तहसील डेरापुर की हवालात में जुलाई-सितम्बर, 1974 तक तीन माहों में कुल 30 व्यक्ति बकाया देयों की वसूली हेतु हवालात में बन्द किये गये। प्रश्न के शेष भाग में लगाये गये आरोप जांच करने पर सही नहीं पाये गये। अतः तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*21---श्री राम सेवक यादव---

[निधन हो जाने के कारण निरस्त।]

ग्राम गोरखपुर जिले के नथुवा, तप्पा व के वलटली के हरिजनों को भूमि का पट्टा

*22---श्री मधुकर दिघे---

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि ग्राम नथुवा, तप्पा, केवलटली, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर के सर्वश्री बटोही, पुत्र अवधी हरिजन तथा पूर्णमाशी, पुत्र काशी हरिजन को क्रमशः 1 एकड़ 37 डिस्मिल तथा 1 एकड़ 97 डिस्मिल जमीन का पट्टा माह मई, 1971 को किया गया था और क्या उक्त जमीन पर कब्जा दिलाया गया ? यदि नहीं तो क्यों और उसका क्या कारण है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां, बटोही, पुत्र अवधी को 1.47 एकड़ भूमि तथा पुर्नवासी, पुत्रकाशी को 1.97 एकड़ भूमि का पट्टा दे कर अप्रैल, 1973 में कब्जा दिला दिया गया था ।

देवरिया जिले के ग्राम हनुमानगंज का गण्डक नदी से कटाव

*23--श्री नारायण--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि देवरिया जिले के छितौनी बंध से सम्बद्ध बड़ी गंडक की धार में बह जाने वाले गांव हनुमानगंज के पीड़ित लोगों को स्थायी रूप से बसाने तथा उनके जान-माल की रक्षा तथा भविष्य के लिये सरकार कोई ठोस व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इस वर्ष बड़ी गंडक के कटाव से ग्राम कटाई भरपुरवा का टोला हनुमानगंज कट कर दरिया में विलीन हो गया । इस टोले पर 60 घर थे जिन्हें कटाव से पूर्व ही व्यवस्थित ढंग से छितौनी, कटाई, भरपुरवा रिटायर्ड बांध के इस पार सुरक्षित स्थान पर स्थायी रूप से बसा दिया गया है, इस टोले के निवासियों के किसी के जान-माल की क्षति नहीं हुई है । भविष्य के लिये जब तक रिटायर्ड बांध मौजूद एवं सुरक्षित है कोई खतरा नहीं है।

इलाहाबाद जिले की हंडिया तहसील के किसानों से फर्जी रसीद पर रुपये की वसूली

*24--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद) तथा श्री सुल्तान सिंह यादव (जिला मुरादाबाद)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1966-67 में जनपद इलाहाबाद, हंडिया तहसील के अन्तर्गत रसीद-बही नं0 44207, 35884, 37884 द्वारा सत्यनारायण, पुत्र चन्दीचरन बरौत, बरन हरिजन (पासी), निवासी गुनौरा शिव मूरत चौरसिया, ग्राम जगुआ, सोधा द्वारा क्रमशः 464 रु0 व 500 रु0 तथा 596 रुपया फर्जी तौर पर राजस्व विभाग के अमीनों द्वारा वसूल किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन फर्जी वसूल करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ उचित एवं आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी और जिन किसानों ने उक्त धन दे दिया है उन्हें मुक्त करने की कृपा करेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां । शासन ने सम्बन्धित अमीन, श्री राज बहादुर सिंह को निलम्बित कर दिया है और उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। थाने में भी उसके विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दी गई है ।

कुछ काश्तकारों ने उक्त अमीन के विरुद्ध दीवानी का मुकदमा भी दायर कर दिया है । वसूल की गई धनराशि के वापस करने का प्रश्न इस समय नहीं उठता

बाराबंकी जिले के ग्राम तेरा दौलतपुर के काश्तकारों द्वारा कर्मचारियों के विरुद्ध चकबन्दी के कागजात में की गई त्रुटियों की शिकायत

*25--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह (जिला बाराबंकी)--

क्या शासन को ज्ञात है कि ग्राम तेरा दौलतपुर, परगना नवाबगंज, जिला बाराबंकी के काश्तकारों ने दिनांक 8-1-73 को इस आशय का प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी को दिया था कि उक्त गांव में चकबन्दी के अन्तिम अभिलेखों में फर्जी तरीके से कर्मचारियों ने सैकड़ों बीघा जमीन रुपया लेकर व्यक्तियों के नाम दर्ज किये हैं ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या जांच करायी गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां । प्रार्थना-पत्र पर जांच बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा कराई गई थी उनकी रिपोर्ट 10 सितम्बर, 1974 को जिला अधिकारी को प्राप्त हुई थीं, जिस पर अब परगनाधिकारी, नवाबगंज आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्नगत गांव में चकबन्दी क्रियाओं की समाप्ति की घोषणा 2 मार्च, 1974 को प्रकाशित की जा चुकी है ।

*26 श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या यह सही है कि उक्त जांच में ए0सी0ओ0 व सी0ओ0 ने उक्त तथ्यों की पुष्टि अपनी जांच रिपोर्ट में की परन्तु डेढ़ साल से प्रार्थना-पत्र बन्दोबस्त अधिकारी ने दबा रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

यह सही है कि सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी अधिकारी ने इस गांव के कागजात में त्रुटियों की पुष्टि अपनी रिपोर्ट में की। बन्दोबस्त अधिकारी ने अपनी आख्या 10 सितम्बर, 1974 को दे दी है, जिस पर आवश्यक कार्यवाही परगनाधिकारी, नवाबगंज द्वारा की जा रही है ।

नैनीताल में तराई-भावर वन प्रभाग में अवैध कटान से सम्बन्धित कथित शिकायती-पत्र

*27--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला संगठन मंत्री, भारतीय जनसंघ, नैनीताल का कोई इस आशय का शिकायती-पत्र 17-9-74 से 25-9-74 के बीच मिला कि जिसमें जिला नैनीताल के तराई-भावर वन प्रभाग में लालकुआं, वरहेंनी व बौर रेंज में अवैध कटान के बारे में जांच एवं वर्तमान लाट नं0 287/72-73 में चल रही जांच के षड़यंत्र के विषय में शिकायत की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार पत्र की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी तथा बतायेगी कि उस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ललितपुर एवं झांसी जिलों में खरीफ की फसल को क्षति

*28--श्री रघुनाथ सिंह (जिला झांसी)--

क्या सरकार को पता है कि ललितपुर एवं झांसी जिलों में पहले लगातार अधिक वर्षा होने एवं बाद में 45 दिन तक लगातार वर्षा न होने के कारण खरीफ की फसलें--मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, उर्द, कोदों आदि नष्ट हो गई है? यदि हां, तो जनता को भुखमरी से बचाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही अभी तक की है ? आगे क्या करने की योजना है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जी हां, उक्त जिलों में पहले लगातार अधिक वर्षा तथा बाद में अनावृष्टि के कारण ख़रीफ की फसलों--ज्वार, मक्का, धान कोदों, उर्द, मूंग, मूंगफली को क्षति पहुंची परन्तु सितम्बर, 1974 के महीने में वर्षा हो जाने से स्थिति में सुधार हुआ और इन जिलों में ऐसी स्थिति नहीं है कि राहत कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता पड़े ।

*29—श्री इन्द्रपाल सिंह—

[3रे मंगल में तारांकित प्रश्न संख्या 29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पडरौना तहसील, देवरिया में अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को सहायता

*30—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि सितम्बर, 74 में पडरौना तहसील, जिला देवरिया में जो प्रलयकारी वृष्टि हुई उससे पडरौना तथा विशुनपुरा ब्लाक में कितने आदमियों की जानें गईं ? कितने पशु मरे और कितनी फसल बरबाद हुई ? तथा इस दुर्घटना से राहत पाने हेतु सरकार ने क्या सहायता दी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित ब्लाकों में मकान गिरने से 3 आदमी दब कर मर गये । फसलों को एक करोड़ दस लाख रुपये की क्षति हुई । कोई पशु नहीं मरा ।

पीड़ितों को 157 कुंटल मोटा अनाज, 60 कुंटल चना, 872 लीटर मिट्टी का तेल, 5 दर्जन दियासलाई तथा 515 रुपया नकद की सहायता दी गयी । गृह निर्माण अनुदान के रूप में 44,360 रुपया अब तक वितरित किया जा चुका है तथा वितरण का कार्य जारी है । इन ब्लाकों के 147 ग्रामों के जिनमें फसल की क्षति 50 प्रतिशत से अधिक हुई स्नातकोत्तर कक्षाओं तक के विद्यार्थियों की 6 माह की फीस माफ की गयी तथा कृषि दरों की वसूली स्थगित कर दी गयी । मालगुजारी तथा विकास कर में छूट देने की कार्यवाही की जा रही है ।

गोरखपुर जिले में बाढ़पीड़ितों को सहायता

*31—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जुलाई, 1974 से 30 सितम्बर, 1974 तक गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में बाढ़, वर्षा से क्षतिग्रस्त लोगों को कितनी सहायता, किस प्रकार की सहायता दी गयी एवं उनका वितरण किस-किस माध्यम से किन-किन तारीखों में किया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला गोरखपुर के महराजगंज तहसील में बाढ़ वर्षा से प्रभावित लोगों को जीवनोपयोगी आवश्यक सामग्री का वितरण जिसमें 253.38 कुंटल मोटा अनाज, 22.16 कुंटल नमक, 2435 ली0 मिट्टी का तेल तथा 3,068 दियासलाइयां निःशुल्क बांटी गयीं ।

उक्त तहसील के उन ग्रामों में जिनमें खरीफ की फसल को 50 प्रतिशत या इससे अधिक नुकसान हुआ सरकारी देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है तथा ऐसे ग्रामों के स्नातकोत्तर स्तर तक के विद्यार्थियों की 6 माह की फीस माफी की सुविधा भी दी गई ।

इसके अतिरिक्त 40,100 रु0 आपदा तकावी के रूप में वितरित किया गया । तारीखवार तथा माध्यमवार वितरण का विवरण इसके साथ नत्थी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 382–383 पर)

गोरखपुर जिले के कतिपय ग्रामों की चकबन्दी जिल्द में अनियमित परिवर्तन

*32— श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के सदर तहसील के उस हिस्से में जहां चकबन्दी हो चुकी है वहां के मुहाफिज खाने में जमा चकबन्दी जिल्द में मनमाना

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हरि केवल]

ढंग से प्रविष्टियों को परिवर्तन करने की सूचना शासन को प्राप्त है एवं क्या यह सच है कि जिलाधीश, गोरखपुर ने सूचना मिलने पर उक्त जिल्दों को 23 सितम्बर, 1974 को अपने नियंत्रण में ले लिया है ? यदि हां, तो अब तक भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां । गोरखपुर जिले की सदर तहसील के ग्राम छपिया, तत्पा, रेट, परगना भौवापुर की जिल्द चकबन्दी की कुछ प्रविष्टियों में मनमाने ढंग से परिवर्तन किये जाने के संबंध में एक शिकायती आवेदन-पत्र, जिलाधिकारी को दिनांक 23–9–74 को प्राप्त हुआ इसके फलस्वरूप कथित जिल्द चकबन्दी को 25–9–74 को सील मोहर कर दिया गया है तथा संबंधित कर्मचारी को निलंबित करके उसके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है । आरोप सिद्ध होने पर उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जावेगी ।

*33—श्री शिव प्रसाद गुप्त—

[3रे बुध में प्रश्न संख्या 41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम बिसोखर, जिला मेरठ की ग्राम समाज की भूमि पर मोदी परिवार का अवैध कब्जा

*34—श्री राजपाल (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोदी परिवार ने मोदीनगर के समीप स्थित ग्राम बिसोखर, जिला मेरठ की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है? यदि हां, तो इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शाहजहांपुर जिले के ग्राम सभा भदरौली की सम्पत्ति पर प्रधान का नाजायज कब्जा

*35—श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामसेवक यादव, उपनेता विरोधी दल, विधान सभा के पत्र के साथ श्री बुधपाल सिंह, ग्राम भदरौली, तहसील व जिला शाहजहांपुर का पत्र प्रधान द्वारा गांव सम्पत्ति का अपने हित में नाजायज इस्तेमाल करने आदि के संबंध में उन्हें दिनांक 3–5–74 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच करायी गयी और जांच के समय क्या-क्या अनियमितताएं मिलीं तथा उनके संबंध में प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कुमायूं एवं गढ़वाल वन समिति द्वारा पारित प्रस्ताव

*36—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि कुमायूं एवं गढ़वाल वन समिति की बैठक दिनांक 22/23 अक्टूबर, 1972 को समिति द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 6 के खंड (1), (2) तथा (3) पर अब तक क्या कार्यवाही पश्चिमी वन वृत में अपनायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं अपनायी गयीं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

कुमायूं एवं गढ़वाल वन समिति की बैठक दिनांक 22/23 अक्टूबर, 1972 को समिति द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 6 के खंड (1), (2) तथा (3) पर अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 384-385 पर)

तहसील रानीखेत के ग्राम पनेरगांव का चक आलियागाढ़

*37---श्री इन्द्र लाल---

विधान सभा की बैठक दिनांक 16-8-74 को नत्थी (ख) के प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के क्रम पर क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि ग्राम पनेरगांव के मध्य, चक आलियागाढ़ में खेत नं0 1397 व 1396 पर इस वक्त कौन सी फसल बोई हुयी है और इस फसल की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

ग्राम पनेरगांव, पट्टीपल्ला, अठागुली, तहसील रानीखेत के चक आलियागाढ़ के खेत नं0 1397 में रास्ता है और कोई फसल नहीं बोई गयी है । खेत नं0 1396 जलमग्न भूमि रौली है । इस पर श्री नन्दराम, पुत्र श्री सोवनराम, निवासी पनेरगांव में गेहूं की फसल बोई है । इस खेत को परगनाधिकारी पाली ने खाली करने का आदेश दिया है । इसके विरुद्ध जिलाधिकारी के न्यायालय में अपील विचाराधीन है ।

हरदोई जिले के ग्राम मौलवीखेड़ा तथा नौधा में अग्निकांड

*38---श्री काशी नाथ मेहरोत्रा (जिला हरदोई)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई के अन्तर्गत तहसील संडीला के ब्लाक बन्दहर में ग्राम नौधा तथा ब्लाक संडीला के ग्राम मौलवी खेड़ा में मई, 74 में जो भीषण आग लग गयी थी, उसमें कितना जान व माल का नुकसान हुआ और सहायता के रूप में सरकार की ओर से कितना गल्ला, कपड़ा, रुपया किन-किन लोगों को दिया गया और क्या भविष्य में भी उन्हें सरकार राहत देने पर विचार कर रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जिला हरदोई के ग्राम मौलवी खेड़ा तथा ग्राम नौधा में क्रमशः 6-5-74 व 8-5-74 को अग्निकांड के फलस्वरूप मौलवी खेड़ा में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तथा लगभग 94,430 रु0 की क्षति हुई और ग्राम नौधा में दो बच्चों व तीन पशुओं की मृत्यु हुई तथा 6,28,200 रु0 की अनुमानित हानि हुई । उक्त दोनों ग्रामों में अग्निपीड़ितों को कुल 5,255 रु0 अहेतुक सहायता के रूप मे वितरित किया गया जिसका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है । किसी भी अग्निपीड़ित द्वारा कपड़े या गल्ले की मांग नहीं की गई । भविष्य में उन्हें राहत देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 386-388 पर)

फर्रुखाबाद जिले के राजेपुर ब्लाक के हरिजनों में आवास स्थल का आवंटन

*39---श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के राजेपुर ब्लाक के कितने हरिजनों को आवास के लिय 30 जून, 1974 तक भूमि आवंटित की जा चुकी है ? क्या जिन्हें भूमि आबंटित की गयी है उनको उस भूमि का कब्जा भी दिला दिया गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

फर्रुखाबाद जिले के राजेपुर ब्लाक में 158 हरिजन परिवारों को आवास स्थल आवंटन कर उन्हें कब्जा दिलाया जा चुका है ।

*40--श्री राम सेवक यादव

[निधन हो जाने के कारण निरस्त]

तहसील, तिलहर जिला शाहजहांपुर में भयानक सूखा

*41--श्री मुहम्मद रफी खां--

क्या सरकार को जानकारी है कि शाहजहांपुर की तहसील तिलहर इस भयानक सूखे से अत्यधिक प्रभावित है और चालू रबी में अधिकांश जमीन की बुआई नहीं हो पायेगी और धान की फसल में 80 प्रतिशत मूंग फली में, 90 प्रतिशत गन्ने में, 70 प्रतिशत व अन्य फसलों में 50 प्रतिशत की कमी होगी, इस कमी को दूर करने और भुखभरी न हो इसके लिये सरकार तत्काल क्या कार्यवाही करने जा रही है और इस सूखे के विषय में जिले के एक भूतपूर्व विधायक ने सितम्बर, 74 में मुख्य मंत्री व राजस्व मंत्री का ध्यान एक तार देकर आकर्षित किया उस पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर से इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

तेंदू पत्ते के एजेंटों का कमीशन

*42--श्री रघुनाथ सिंह--

क्या वन मंत्री को पता है कि तेंदू पत्ता के राष्ट्रीयकरण के बाद का पत्ता तुड़ाने के लिये वन विभाग ने तेंदू पत्ता की इकाइयों में जो अपने एजेन्ट नियुक्त किये हैं उनके कमीशन का हिसब विभाग सीजन प्रारम्भ हो चुकने के बाद तक करता चला आ रहा है ? यदि हां, तो विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

साधारण तौर पर एजेन्टों के कमीशन का हिसाब उसी वर्ष चुकता कर दिया जाता है सिवाय उन मामलों को छोड़कर जिनमें एजेन्टों द्वारा समापन रिपोर्ट देर में प्रस्तुत की जाती है। या उनका काम सन्तोषजनक नही रहता है या उनके खिलाफ कुछ विभाग का बकाया इत्यादि होता है ।

जिला वाराणसी के ग्राम चिउरापुर के प्रधान के दरवाजे पर चकबन्दी अधिकारी द्वारा मारपीट

*43--श्री ऊदल--

क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक चकबन्दी अधिकारी, चिउरापुर, वाराणसी, गांव चिउरापुर बाबतपुर गांव सभा में श्री उमाशंकर पांडे के दरवाजे 2-10-74 को रात 11 बजे अपने स्टाफ के लोगों को लेकर चढ़ गये और वहीं पर बाबतपुर के प्रधान श्री तिलक धारी को मारे तथा फायरिंग भी किये है जिसकी रिपोर्ट 2-10-74 को थाना बड़ा गांव में प्रधान ने किया और 3-10-74 को जिलाधीश वाराणसी तथा 7-10-74 को माल मंत्री जी को भी प्रार्थना-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

2 अक्तूबर, 1974 की रात को 11 बजे श्री उमाशंकर पांडेय के दरवाजे पर सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा उनके स्टाफ द्वारा मारपीट करने, फायर करने तथा घड़ी लूटने की तहरीरी रिपोर्ट थाना बड़ा गांव में उमा शंकर पांडेय द्वारा 3 अक्तूबर, 1974 को 1 बजे रात को दी गयी थी । इस पर धारा 395/397 ताजीरात हिन्द का जुर्म कायम होकर तफतीश की गई थी, जिसके बाद अभियोग धारा 147/148/307 ताजीरात हिन्द में परिवर्तित कर दिया गया । एक अन्य रिपोर्ट अतिबल लाल लेखपाल द्वारा भी थाना-बड़ा गांव पर लिखाई गई थी, जिसके आधार पर धारा 147/353 ताजीरात हिन्द मुकदमा कायम किया गया था । दोनों रिपोर्टों की तफतीश पुलिस द्वारा की जा रही है । जिलाधिकारी, ने श्री महेन्द्र सिंह तथा श्री वीरेन्द्र सिंह की बन्दूकों के लाइसेंस निलम्बित कर दिये हैं । महेन्द्र सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी और अतिबल लाल, लेखपाल का स्थानान्तरण कर दिया गया है एवं प्रधान द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर जांच भी की जा रही है ।

क्रीड़ा परिषद् द्वारा अखिल भारतीय हाकी प्रतियोगिताओं को दिया गया अनुदान

*44--श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व क्रीड़ा परिषद् द्वारा वर्ष 1973-74 में कितने अखिल भारतीय हाकी टूर्नामेंट को कितनी-कितनी धनराशि दी गयी और इसी वर्ष क्रीड़ा परिषद् द्वारा हाकी इन्विटेशन टूर्नामेंट में कितना व्यय हुआ ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा परिषद् द्वारा वर्ष 1973-74 में तीन अखिल भारतीय हाकी प्रतियोगिताओं को अनुदान दिया गया ।

1--अखिल भारतीय ट्रेड्स कप हाकी प्रतियोगिता, नैनीताल 500 ।

2--अखिल भारतीय बिहारी लालशाह स्मारक हाकी प्रतियोगिता, रानीखेत 1,500

3--अखित भारतीय लाल बहादुर शास्त्री स्मारक हाकी प्रतियोगिता, बिजनौर 1,500 की इस प्रकार तीन हजार पाँच सौ रुपया वितरित किया गया ।

वर्ष 1973-74 में क्रीड़ा परिषद् द्वारा आयोजित अखिल भारतीय इन्वीटेशन हाकी प्रतियोगिता म रु० 30,307.74 पैसा व्यय किया गया ।

खेल-कूद निदेशालय में कुमारी बूला की नियुक्ति

*45--श्री वेद प्रकाश अग्रवाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खेल कूद निदेशालय, उत्तर प्रदेश की कुमारी बूला गांगोली तथा एस० पी० कपूर किस-किस पद पर नियुक्त हैं और इनका चुनाव किस चुनाव समिति ने किया ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? तथा उक्त निदेशालय के निदेशक के यात्रा भत्ता पर वर्ष 1973-74 में कितनी-कितनी धनराशि व्यय हुयी और इस वर्ष में कितने दिन मुख्यालय से बाहर रहे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

हाकी प्रशिक्षक के पद पर कुमारी बुला गाँगोली की नियुक्ति भूतपूर्व क्रीड़ा परिषद् के निदेशक द्वारा, अध्यक्ष क्रीड़ा परिषद् की स्वीकृति से मार्च 6, 1974 से की गयी थी। शासन द्वारा स्वीकृत भूतपूर्व क्रीड़ा परिषद के संविधान की धारा 10 के अन्तर्गत निदेशक को, परिषद् के अध्यक्ष की स्वीकृति से, ऐसी नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त था ।

[श्री अजीत प्रताप सिंह]

खेल-कूद निदेशालय में एस०पी० कपूर नाम का कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया है ।

वर्ष 1973-74 में निदेशक खेलकूद के यात्रा भत्ता पर रुपया 2,044.70 पैसा व्यय हुआ। वर्ष 1973-74 में वे 28 दिन मुख्यालय से बाहर रहे ।

फैजाबाद जिले के चकबन्दी रिकर्ड आपरेशन कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत

*40--श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हुसैनपुर, सकारवारी, डाकखाना बेवाना, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के तहसील अकबरपुर के चकबन्दी रिकर्ड आपरेशन कार्यालय में व्याप्त अनियमितता तथा चकबन्दी रिकार्ड न ठीक करने के सम्बन्ध में, अगस्त, तथा अक्तूबर, 1974 में उन्हें शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां । शिकायतकर्ता का कथन कि नामान्तरण आदेश का अमलदरामद आकार-पत्र 23 में नही किया गया, जांच के बाद निराधार पाया गया । तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के चकबन्दी रिकर्ड आपरेशन कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया और यह पता चला कि मिसिल बन्द पंजी तथा पत्रावलियों के रख-रखाव में कुछ लापरवाही बरती गई जिसके लिये दोषी पाये गये न्यायालय लिपिक का स्थानान्तरण कर दिया गया है और उसके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है । अन्तिम अभिलेख कार्यालय में कार्यरत सहायक चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी ।

*47--श्री रघुनाथ सिंह--

[2रे शुक्रवार में प्रश्न संख्या 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम सपेरा भानपुर, जिला अलीगढ़ में चकबन्दी

*48--श्री इन्द्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सपेरा भानपुर, जिला अलीगढ़ में चकबन्दी होने के आदेश 31-3-73 के सरकारी गजट में छपे थे और तद्नुसार चकबन्दी कार्यकर्ताओं ने 8-5-73 से चकबन्दी कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है और क्या सरकार अब इस चकबन्दी को न कराने का विचार कर रही है ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां । प्रश्नगत ग्राम में चकबन्दी कार्यक्रम चालू है । उसे रोकने का कोई विचार नहीं है ।

जिला फर्रुखाबाद के हरिजनों एवं भूमिहीनों को आवास-स्थल का आवंटन

*49--श्री श्याम लाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद, तहसील कन्नौज में कुल कितनी ग्राम सभायें है उनम से कितनों में हरिजनों तथा भूमिहीनों को आबादी के लिये पट्टे किय गये है ? यदि नहीं, तो क्यों और इन लोगों को पट्टे कब तक कर दिये जायेंगे ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जिला फर्रुखाबाद की तहसील कन्नौज में 257 गांव सभायें है जिनमें 366 गांव आते हैं उक्त गांवों में से 307 गांवों में 7,143 जरूरतमंद परिवारों को आवास स्थलों का आवंटन होना था जो पूरा कर दिया गया । शेष 61 गांवों में से 23 गांवों में हरिजन परिवार नहीं हैं, 15 गांवों में हरिजन परिवारों के पास आवास हेतु आवश्यकतानुसार पर्याप्त भूमि है और शेष गांवों में 650 जरूरतमंद परिवारों के लिये 29.5 एकड़ भूमि अध्याप्त की जानी है । भूमि अध्याप्ति के उपरान्त इन परिवारों को आवास स्थल आवंटित करना सम्भव होगा ।

अतारांकित प्रश्न

ग्राम समहा, जिला इलाहाबाद के कतिपय व्यक्तियों को दी गयी तकावी

1---श्री अठई राम, श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद) तथा श्री हरप्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)---

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम समा, तहसील हंडिया, जिला इलाहाबाद के निवासी श्री झुरू, पुत्र दुबरी, चेतू पुत्र देवो हरिजन, अहिबरन, पुत्र बंधहरि, हरि प्रताप सिंह, पुत्र माता, गुलाब सिंह, शिव प्रताप सिंह, पुत्र कन्हैया बक्स, जयकरन, पुत्र जेठू, झरिहन, पुत्र शुकरू, देवी चरन, पुत्र बाबू, जगन्नाथ, पुत्र गनपति, चन्द्रभान, पुत्र राम मनोहर, दुखहरन पुत्र इलम के नाम जंजोरा बना कर तहसील द्वारा वर्ष 69-70 में 2,000 रु0 की तकाबी लेना दिखाया गया है जब कि ये दोनों व्यक्ति 15 वर्ष पूर्व मर चुके हैं और अन्य कोई तकाबी नहीं ली गयी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

ग्राम समहा, तहसील हंडिया, जिला इलाहाबाद में सर्व श्री झुरू, पुत्र दुबरी, लच्छू, पुत्र शिव बाबू, अहिबरन, पुत्र बुद्धू, शिव प्रताप सिंह, पुत्र कन्धई सिंह, चेतू, पुत्र देवीदीन, हरि प्रताप सिंह, पुत्र मातागुलाम सिंह, जैकरन, पुत्र बिरजू, झरिहन, पुत्र रामकरन, जगन्नाथ, पुत्र गनपति, चन्द्रभान, पुत्र दुखी, देवी चरण, पुत्र बाबू, दुखरन, पुत्र दुलभ का दिनांक 15-3-69 को 250 रुपया प्रति व्यक्ति तकावी दी गयी । प्रश्न में स्पष्ट नहीं है कि किन दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

आजमगढ़ जिले के क्षतिग्रस्त बाढ़ शरणालय

श्री राम सुन्दर पांडेय---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में बने हुये कौन-कौन बाढ़ शरणालय हैं, जिनका भवन गिर गया है या अंशतः क्षतिग्रस्त है, उनके पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिये सरकार कुछ करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

आजमगढ़ जिले के तहसील सगड़ी के ग्राम हाजीपुर तथा शिवपुर के बाढ़ शरणालय क्षतिग्रस्त है ।

बाढ़ शरणालयों के मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण के लिये कोई योजना शासन के विचाराधीन नही है ।

वस्तुतः इनके रख-रखाव का उत्तरदायित्व गांव सभाओं जैसी स्वायत्तशासी संस्थाओं का है ।

गोंडा जिले के ग्राम तुलसीपुर मांझा के भूमिहीनों को भूमि का पट्टा

3--श्री राम पति (जिला गोंडा)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले की तहसील तरबगंज के ग्राम तुलसीपुर मांझा में 1 जनवरी, 1968 से 31 दिसम्बर, 1972 तक किन-किन भूमिहीनों को कृषि कार्य के लिये कितनी-कितनी भूमि के पट्टे दिये गये ? क्या जिन्हें पट्टे किये गये हैं उन्हें कब्जा भी प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब्जा कब तक दिया जायेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

1 जनवरी, 1968 से 31 दिसम्बर, 1972 तक कुल 501 पट्टे दिये गये जिसकी सूची पट्टेदारों के नाम, क्षेत्रफल तथा कब्जे की सूचना सहित माननीय अध्यक्ष महोदय की मेज पर रखी† है। गांव सभा भूमि के 403 पट्टेदारों में से 199 पट्टेदारों ने कब्जा ले लिया था और शेष 204 पट्टेदारों ने यह कह कर कब्जा नहीं लिया कि भूमि रेतीली है अथवा गांव से दूर है। सीलिंग भूमि के 98 पट्टेदारों में से सभी ने कब्जा ले लिया था।

जंगल के ठेकेदारों पर बकाया फारेस्ट रेवेन्यू

4--श्री रघुनाथ सिंह--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20-8-74 को उत्तर प्रदेश में जंगल का ठेका लेने वालों पर फारेस्ट रेवेन्यू का कितना रुपया बकाया था ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

दिनांक 20-8-74 को उत्तर प्रदेश में जंगल का ठेका लेने वालों पर फारेस्ट रेवेन्यू का 12,27,19,255 रुपया बकाया था ।

5--श्री राम सेवक यादव--

[निधन हो जाने के कारण निरस्त]

यमुना वन प्रभाग के अवैध रूप से काटे गये पेड़

6--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष (21-8-74) तक यमुना वन प्रभाग के रिजर्व फारेस्ट में कुल कितने पेड़ अवैध रूप से काटे हुये पाये गये और उस सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी

श्री अजीत प्रताप सिंह--

इस वर्ष (21-8-74) तक यमुना वन प्रभाग के रिजर्व फारेस्ट में कुल 3,074 पेड़ अवैध रूप से काटे हुए पाये गये । इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा छानबीन की गयी। अधिकांश मामलों में अभियुक्तों से पेड़ों की कीमत तथा मुआवजा वसूल कर लिया गया है एवं कुछ मामले अभी छानबीन में हैं ।

---

†छापी नहीं गयी ।

गोरखपुर जिले की कतिपय ग्राम समाजों की भूमि के विरुद्ध मुक़दमा

7---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के एस0 के0 क्षेत्र शनधानी के ग्राम किसुनपुर, भटियरा, ठकुराई, मुन्डेरा, भवरही, रायगंज की किस-किस नम्बर की भूमि (ग्राम समाज) पर वर्ग 4 व 229 बी के मुकदमें सन् 1969 से 1973 तक चले? सम्बन्धित लोगों के नाम व पते क्या हैं? इनमें से किन-किन लोगों को बेदखल किया गया है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

8---श्री राम सेवक यादव--

[निधन हो जाने के कारण निरस्त]

9---श्री सूबेदार प्रसाद--

[3रें शुक्रवार में प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर जिले की तहसील फरेन्दा के अन्तर्गत अग्निकांड

10---श्री अब्दुल रऊफ लारी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर, फरेंदा तहसील में किन-किन गांवों में गत अप्रैल, मई तथा जून महीनों में आग लगी और उससे कितने घर जले? धन-जन का कुल कितना नुकसान हुआ और किन-किन गांवों में कितना-कितना किस प्रकार की सहायता दी गयी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

गोरखपुर जिले की तहसील फरेंदा में गत अप्रैल, मई तथा जून महीनों में 45 ग्रामों में आग लगी जिसके फलस्वरूप 172 घर जले। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, केवल एक बकरी जल कर मर गई। कुल 2,01,387 रु0 की अनुमानित हानि हुई। उक्त ग्रामों की सूची तथा अहेतुक सहायता के रूप में जो धनराशि वितरित की गई उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 389-391 पर)

11---श्री हरीश कुमार गंगवार--

[7 वें गुरुवार में प्रश्न संख्या 5 पर स्थानान्तरित]

12---श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा--

[3रे शुक्रवार में प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बाराबंकी जिले के ग्राम गाजीपुर निवासी, श्रीमती लक्ष्मी पांडे द्वारा सीलिंग से भूमि बचाने का षड़यन्त्र

13---श्री कल्याण सिंह--

क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम गाजीपुर, तहसील राम सनेही घाट, जिला बाराबंकी के प्रधान तथा अन्य सदस्यगण का राजस्व मंत्री को सम्बोधित दिनांक 7-12-73 का कोई ज्ञापन शासन को प्राप्त हुआ है जिसमें उपरोंक्त ग्राम के कुछ व्यक्तियों द्वारा जिलाधिकारी, बाराबंकी के समक्ष असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के प्राविधानों का

[श्री कल्याण सिंह]

उल्लंघन करते हुये सीलिंग से अपनी भूमि बचाने के षड़यंत्र का उल्लेख किया गया है ? यदि हां, तो ज्ञापन कब मिला, उसमें किस-किस के विरुद्ध उपरोक्त जालसाजी करने के क्या-क्या आरोप हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां । गांव गाजीपुर, तहसील रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी के प्रधान तथा कतिप सदस्यों का शिकायती-पत्र शासन को 12 दिसम्बर, 1973 को प्राप्त हुआ था जिसमें शिकायत की गई थी कि श्रीमती लक्ष्मी पांडे, विधवा माधो प्रसाद, निवासी तारापति मजरे, गाजीपुर ने बाखिल खारिज के बाद में असत्य शपथ-पत्र दिया था कि उनके पास साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि नहीं थी । जांच से शपथ-पत्र असत्य पाया गया और परगनाधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 30 जुलाई, 1974 द्वारा आदेश दिया कि गांव सभा जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 163 के अन्तर्गत वाद दायर करे ।

बहराइच जिले के लेखपालों का स्थानान्तरण

14--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जिले की तहसील बहराइच में कितने लेखपाल पांच साल से ऊपर लगातार एक ही हल्के में नियुक्त हैं और कितने लेखपाल ऐसे हैं जिनको एक साल के अन्दर दो-दो, तीन-तीन बार स्थानान्तरित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

एक ही हल्के में पांच वर्ष से अधिक समय से नियुक्त 39 लेखपाल हैं । एक वर्ष के अन्दर दो-दो तीन-तीन बार किसी भी लेखपाल को इसी तहसील में स्थानान्तरित नहीं किया गया ।

15--श्री दशरथ सिंह--

[3रे शुक्रवार में प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम रुस्तम नगर तथा फतेहपुर, जिला गोंडा के अनुसूचित व्यक्तियों को भूमि का पट्टा

16--श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले की तहसील उतरौला की न्याय पंचायत, रुस्तम नगर तथा फतेहपुर में किस-किस गांव के अनुसूचित वर्ग के किन-किन व्यक्तियों को 1973-74 में गांव समाज द्वारा भूमि के पट्टे किये गये ? क्या सरकार यह बतायेगी कि उपरोक्त किये पट्टे वालों में किस-किस व्यक्ति को 31 अगस्त, 7. तक भूमि पर कब्जा नहीं मिला था ? यदि हां, तो उन्हें कब्जा दिलाने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

गोंडा जिले की उतरौला तहसील में रुस्तम नगर तथा फतेहपुर गांवों में भूमि प्रबंधक समिति द्वारा 1973-74 में कृषि हेतु कोई पट्टा नहीं किया गया । गांव रुस्तमनगर में श्री दयाराम कोरी और श्री भगवानदीन कोरी तथा गांव फतेहपुर में सर्वश्री कंधई कोरी, सकटू कोरी, सहिबू कोरी तथा मंगरे कोरी को आवास स्थलों का आवंटन 1973-74 में किया गया था । उपरोक्त समस्त आवंटियों को भूमि की निशान देही करा कर 31 अगस्त, 1974 से पहले कब्जा दिला दिया गया था ।

झांसी मण्डल के जिलों में स्टेडियम बनाने की मांग

17--श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

क्या वन एवं पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी मण्डल के प्रत्येक जिलों में स्टेडियम निर्माण के संबंध में सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

जी हां ।

जिला मुख्यालयों में एक एक स्टेडियम बनवाने की नीति है बशर्ते कि भूमि उपलब्ध हो । झांसी मण्डल के जिलों में स्टेडियम निर्माण के संबंध में सूचना निम्न प्रकार है :--

झांसी--स्टेडियम बना हुआ है ।

बांदा--भूमि उपलब्ध हो गई है और निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है ।

हमीरपुर--भूमि उपलब्ध है जिस पर अभी पुलिस विभाग का कब्जा है । पुलिस विभाग से भूमि वापस लेने की कार्यवाही जारी है ।

जालौन--भूमि प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है ।

ललितपुर--भूमि उपलब्ध करने हेतु जिलाधिकारी को कहा जा रहा है ।

राजस्व परिषद् के अस्थायी कर्मचारी

18--श्री त्रिवेणी सहाय, श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली) तथा श्री मन्ना लाल (जिला लखीमपुर-खीरी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 31 अगस्त, 1974 को उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी थी जो कि 3 वर्ष से अधिक अवधि से अस्थायी रूप से अथवा लीव वैकेन्सी पर सेवारत थे ? (जानकारी सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की पृथक-पृथक अपेक्षित है) उन्हें अब तक स्थायी न करने का क्या कारण है तथा कब तक स्थायी घोषित कर दिया जायेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

राजस्व परिषद् कार्यालय में 31 अगस्त, 1973 को तीन वर्ष से अधिक सेवा अवधि के तृतीय श्रेणी के 119 तथा चतुर्थ श्रेणी के 27 अस्थायी कर्मचारी थे। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को सचिवालय के समान वेतन-क्रमों की स्वीकृति के पश्चात् इन पदों (टंकक के पद को छोड़ कर) को लोक सेवा आयोग के अधीन रखने तथा उन पर भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित करने का मामला शासन के विचाराधीन है । इस पर निर्णय के पश्चात् स्थायीकरण की कार्यवाही की जायगी। तृतीय श्रेणी के पदों पर स्थायी नियुक्ति के पश्चात् टंकक के 2 पदों पर स्थायी नियुक्ति की जा सकेगी । इसके अतिरिक्त भूमि अध्याप्ति अमीन के एक स्थायी पद पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् स्थायीकरण के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

चतुर्थ श्रेणी के 26 स्थायी पदों पर कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है ।

बांदा जिले के ग्राम गौरीकलां में अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक के अन्तर्गत कार्यवाही

19—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम गौरीकलाँ, विकास खंड जसपुरा, तहसील व जिला बांदा के किसानों की वर्तमान अधिकतम जोत सीमा कानून के अन्तर्गत भूमि निकालने की कार्यवाही हो रही है? यदि हां, तो उस जमीन को क्या भूमिहीन खेतिहर मजदूरों व हरिजनों में वितरित कर दिया जायेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। जो अतिरिक्त भूमि निकलेगी उसका आवंटन अथवा उपयोग उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

देवरिया जिले के रजिस्ट्रार कानूनगो तथा सहायक कानूनगो का स्थायीकरण

20—श्री हरिकेवल—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में रजिस्ट्रार कानूनगो तथा सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर कितने कर्मचारी स्थायी तथा कितने अस्थायी सेवारत हैं उसमें कितने को स्थायीकरण की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी अब तक स्थायी नहीं किये गये हैं ? इसका कारण क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर एक स्थायी एक परिवीक्षा पर तथा दो अस्थायी कर्मचारी सेवारत हैं। सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर 24 स्थायी तथा 3 अस्थायी कर्मचारी सेवारत हैं। इनमें से ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसके स्थायीकरण की अवधि समाप्त हो गई हो और स्थायी न किया गया हो।

भूतपूर्व सदस्य, श्री शिवराम तथा बेचनराम के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, मुझे सदन में आज अपने दो भूतपूर्व माननीय सदस्यों के निधन के संबंध में शोक-प्रस्ताव प्रस्तुत करने में हार्दिक क्लेश हो रहा है। एक हमारे भूतपूर्व विधान सभा सदस्य श्री शिवराम जी और दूसरे श्री बेचन राम जी हैं। श्री बेचन राम जी, जिला मिर्जापुर के रहने वाले थे, भूतपूर्व सदस्य थे। सन् 62 के पहले यह पंचायती राज और हरिजन अधिकारी थे और उसके बाद 62 में इस विधान सभा के माननीय सदस्य चुने गये थे। यह नौजवान आदमी थे, इनकी 45 साल की अवस्था थी। 67 के बाद केन्द्रीय सरकार के बुलाने पर दिल्ली में, उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के हिन्दी ट्रान्सलेशन के कार्य में यह लगे हुये थे। यह हिन्दी में विशेष रुचि रखते थे और ऐसे नौजवान का निधन हम सबके लिये हार्दिक क्लेश की बात है। इलाहाबाद मेडिकल कालेज और मिर्जापुर में वह बीमार रहे। लेकिन आखिर में किडनी और लीवर के फेल्योर की वजह से उनकी दुखद मृत्यु हो गई। वह एक होनहार नौजवान थे। उनकी मृत्यु से काफी क्षति हुई है।

श्री शिवराम जी, जिनकी आयु 70 वर्ष रही, इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे हैं। उनकी मृत्यु भी हम सबके लिये और उनके परिवार के लिये दुःख का विषय है। मैं इन दोनों सदस्यों की मृत्यु पर अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और इस सदन की ओर से हार्दिक दुःख प्रकट करता हूं और मान्यवर, आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन दोनों की मृत्यु पर, इस सदन द्वारा दुख प्रकट करते हुये हमारी सबकी समवेदना उनके परिवार तक पहुंचा दें।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मरठ)--

मैं अपने आपको इन दोनों सदस्यों के निधन पर, माननीय बहुगुणा जी ने जो कुछ कहा है, उससे अपने और अपने दल को एसोशिएट करता हूं, सम्बद्ध करता हूं। बेचनराम जी की कुछ उम्र नहीं थी। एक बार हमारे साथ यहां विधायक रह चुके हैं। और शिवराम जी भी विधायक रह चुके हैं, अगरचे उनकी उम्र 70 वर्ष की थी और यह कहा जा सकता है कि कम नहीं थी। लेकिन 70 वर्ष एक यह उम्र है, दूसरे देशों में--हमारे यहां काफी मानी जाती है, जो कुछ भी हो उनके जाने से सार्वजनिक जीवन को क्षति पहुंची है। मैं चाहता हूं कि आप भारतीय लोक दल की तरफ से उनके जितने संबंधी हैं, सर्वाइवर्स हैं, उनको हमारी समवेदना भेजने की कृपा करें।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, स्वर्गीय शिवराम जी और बेचनराम जी के बारे में नेता सदन तथा नेता विरोधी दल ने जो अपनी भावनायें व्यक्त कीं उनमें मैं अपने दल को और अपने को सम्बद्ध करता हूं।

माननीय शिवराम जी मेरे दल से सम्बन्धित थे। मेरे दल की ओर से विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने जीवन पर्यन्त आर्य समाज को अपनी सारी सेवायें अर्पित की थीं। और राजनीति में वह मेरे दल से सम्बन्धित थे। विशेषता यह कि वे बड़े समाजसेवी थे, कितने लोक प्रिय थे वह इससे जाना जा सकता है कि अनुसूचित जाति के होते हुये जनरल सीट से जीत कर इस विधान सभा के सदस्य हुये थे, जहां तक मुझे जानकारी है। उनके मरने से एक बहुत बड़ा समाज सेवी हमारे बीच से उठ गया। हम सब दुखी हैं उनके देहावसान से।

बेचनराम जी की असामयिक मृत्यु हुई है। यह भी समाज की सेवा पूरी ईमानदारी के साथ करते थे। मैं इन दोनों व्यक्तियों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक समवेदना व्यक्त करता हूं अपने दल की ओर से और आप से प्रार्थना करता हूं कि इन व्यक्तियों के परिवारों तक हमारी समवेदना पहुंचाने की कृपा करें ?

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

अध्यक्ष जी, हमारे इस सदन के दो माननीय भूतपूर्व सदस्यों, जिनका अभी हाल में निधन हो गया, के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन ने, माननीय नेता विरोधी दल ने और माननीय त्रिपाठी जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और इन स्वर्गीय आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपसे निवेदन है कि मेरे और मेरे दल के विचार उनके संतप्त परिवारों तक पंहुचाने की कृपा करें।

*श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, दो भूतपूर्व सदस्य हमारे इस दुनिया से उठ गये। एक तो नौजवान मौत हुई। एक हमारे साथी उम्र तक पहुंच चुके थे। इन दोनों के दुनिया से उठ जाने से हम सब को तकलीफ है। मैं अपने और अपने दल की ओर से उनके इंतकाल पर खिराजे अकीदत पेश करता हूं।

*चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

मान्यवर, माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल ने जो स्वर्गीय शिवराम और श्री बेचनराम जी के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे यह निवेदन करता हूं कि उनके दुखित परिवार को हमारा समवेदना सन्देश भेजने की कृपा करें।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने श्री बेचनराम और श्री शिवराम जी के प्रति जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को और सम्पूर्ण सदन को सम्बद्ध करता हूं । इन दो महानुभावों की मृत्यु से समाज और राजनीति के क्षेत्र में क्षति हुई है । यह हमारे सब के लिये कष्ट और दुख का विषय है ।

मैं आपके द्वारा व्यक्त विचारों के अनुरूप शोक संतप्त परिवारों को आपकी समवेदना पहुंचा दूंगा और आपसे निवेदन है कि आप दो मिनट के लिये मौन धारण करके खडे हों ।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खडे हुये)

प्राक्कलन समिति (1971–72) के उद्योग विभाग के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक से सम्बन्धित तेरहवें प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के कार्यान्वयन के विषय में शासन द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति की हैसियत से, उत्तर प्रदेश छठीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1974–75) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं जिसका सम्बन्ध पिछली विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1971–72) के उद्योग विभाग के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक से सम्बन्धित प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से है ।

(व्यवधान तथा सदन में अत्यंत शोर के बीच एक सदस्य ने सूखी घास की रोटियां सदन में दिखाईं तथा मुख्य मंत्री को दीं)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)---

अध्यक्ष महोदय,.... (व्यवधान)

श्री रामायण राय--

मूलत: इस कार्यान्वयन में प्रतिवेदन को पिछली (पंचम) विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1973–74) ने अपनी 22 दिसम्बर, 1973 की बैठक में स्वीकार किया था और तदुपरान्त इसकी प्रतियां भी मुद्रित करा ली गई थीं । किन्तु उस तिथि से उक्त पंचम विधान सभा के विघटन की तिथि तक सदन का कोई उपवेशन न होने के कारण प्रतिवेदन सदन में उपस्थित नहीं किया जा सका ।

छठी विधान सभा की प्राक्कलन समिति का गठन होते ही उसकी प्रथम बैठक में इस प्रतिवेदन की प्रतियां समिति के सदस्यों को वितरित की गयीं और अपनी दूसरी अर्थात् दिनांक 24 सितम्बर, 1974 की बैठक में इसमें निहित संस्तुतियों को अंगीकार करते हुये यह निश्चय किया कि इसे नई समिति की ओर से सदन में प्रस्तुत किया जाय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

क्या विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न न लिये जायें ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(इस समय पांच सदस्य सदन के बीचों बीच खुले स्थान पर आकर बैठ गये और सदन में व्यवधान तथा काफी शोर होता रहा ।)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क---

जिले के मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है लेकिन यह सरकार गूंगी बनी बैठी है और कुछ तवज्जह नहीं कर रही है । अगर इसी तरह से मुसलमानों के जुल्म होता रहा अध्यक्ष महोदय, तो (व्यवधान)...

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)---

आज प्रदेश में सब जगह यही हालत है ।(व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क---

पुलिस वालों के खिलाफ ऐक्शन लिया जाय । उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । (व्यवधान)...

(व्यवधान तथा अत्यन्त शोर के बीच श्री मुलायम सिंह यादव ने कुछ कहते हुये सदन में पर्चे फेंके । इस समय दो आदमी और धरना पर बैठ गये) ।

श्री अध्यक्ष---

बात यह है कि आप अपना ही विरोध कर रहे हैं । अभी माननीय सभापति प्राक्कलन समिति ने एक प्रतिवेदन सदन के समक्ष रखा है । (व्यवधान)...

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)---

माननीय अध्यक्ष जी इटावा जिले में बहुत अत्याचार हो रहे हैं ।

(शोर गुल, व्यवधान)

लखनऊ-बहराइच मार्ग में घाघरा नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री अध्यक्ष---

माननीय बाबूलाल वर्मा को एक याचिका उपस्थित करना है । रखना चाहते हैं कि नहीं ?

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इन लोगों को शान्त हो जाने दीजिये जिससे मैं अपनी बात रख सकूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव---

अध्यक्ष जी, आप मेरी बातें तो सुनिये । इटावा में जो अत्याचार हुये हैं, वे अकथनीय हैं...

(शोरगुल-व्यवधान के मध्य श्री मुलायम सिंह यादव के बोलते रहने पर...)

श्री अध्यक्ष---

माननीय मुलायम सिंह जी आप सुनिये । आप बैठिये । (शोरगुल-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय बाबू लाल वर्मा अपनी याचिका उपस्थित नहीं करना चाहते, इसलिये मैं आगे चलता हूं ।

(शोर--व्यवधान होता रहा)

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

(आइटम नं० 6) मैंने श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री हरीश कुमार गंगवार एवं श्री आशा राम यादव, श्री बाबू लाल वर्मा, श्री भीखालाल आदि के द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनायें अग्राह्य कर दी हैं ।

(श्री शफीकुर्रहमान बर्क तथा श्री वीरेन्द्र सहाय अपनी सीट से आकर सदन के बीच में आकर बैठ गये)

(शोरगुल--व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब हम आगे चलते हैं ।

सहायक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मथुरा को विधान सभा का प्रपत्र तथा रजिस्टर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में अनुज्ञा देने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

नियम 315 के खंड (14) व (15) के अन्तर्गत यह घोषणा मैं कर रहा हूं ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

आपको बोलने की इजाजत नही दी जायगी ।

(शोरगुल--व्यवधान के मध्य)

यह जो सूचना है--सहायक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मथुरा के पत्र जो दिनांक 23 अगस्त, 1974 को विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हुआ था, मैं विधान सभा सचिव की अभिरक्षा में रक्खे हुये दिनांक 1-6-70 से 13-6-70 तक के कतिपय अभिलेखों को जिसका उल्लेख उक्त पत्र के संलग्नक में है, न्यायालय में विधान सभा के किसी भिज्ञ कर्मचारी के साथ प्रस्तुत किये जाने की प्रार्थना की गई है । मैं सदन से यह जानना चाहूंगा कि वांछित प्रपत्र व रजिस्टर को, जो सचिव के अभिरक्षण में उपलब्ध हों, विधान सभा सचिवालय के किसी कर्मचारी द्वारा, जिसे सचिव उपयुक्त समझें, सहायक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मथुरा के न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के लिये इस आदरणीय सदन की अनुज्ञा है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सुखपाल पांडेय, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा द्वारा लिये गये यात्रिक भत्ते के बिलों की प्रमाणित प्रतिलिपियों और अन्य आवश्यक सूचना अपराध अनुसंधान विभाग के विवेचनकर्त्ता को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अनुज्ञा देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री ने पत्र संख्या 5362-ख-आ-4, दिनांक 26 नवम्बर, 1974 के द्वारा मुझसे यह निवेदन किया है कि श्री प्रेमनाथ पाठक, पुलिस उपाधीक्षक, बस्ती की रिपोर्ट

श्री सुखपाल पांडेय, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा द्वारा लिए गये यात्रिक भत्ते के बिलों की प्रमाणित प्रतिलिपियों और अन्य आवरण सूचना अपराध अनुसंधान विभाग के विवेचन कर्ता को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में अनुज्ञा देने के संबंध में प्रस्ताव

पर 3-12-72 को पंजीकृत अभियोग अपराध संख्या 715 के अन्तर्गत धारा 420/409/467/109 भा0 दं0 वि0, से सम्बन्धित समस्त अभिलेख अपराध अनुसंधान विभाग के विवेचनकर्ता को उपलब्ध कराये जांय । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 24-12-71 से 28-6-72 तक श्री सुखपाल पांडेय, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा द्वारा लिये गये यात्रिक भत्ते के बिलों की प्रमाणित प्रतिलिपियां और अन्य आवश्यक सूचना अपराध अनुसंधान विभाग के विवेचनकर्ता को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में इस आदरणीय सदन की अनुज्ञा है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

व्यवधान और शोर होता रहा, श्री मुलायम सिंह यादव कुछ बोलते रहे जो व्यवधान के मध्य सुनाई नहीं दिया ।

26 जुलाई, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के सम्बन्ध में श्री राम सेवक यादव द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

*राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा दिनांक 26 जुलाई, 1974 को श्री गोविन्द सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 के सम्बन्ध में श्री राम सेवक यादव ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि अगर मान्यवर, खेती में उस जमीन का इस्तेमाल हो रहा है तो हदबन्दी कानून के अन्तगत वह आयेगी । तो क्या मंत्री जी उसकी जांच जिलाधीश से करवा रहे है कि कितनी जमीन ऐसी है जिस पर खेती होती है । उस समय उत्तर सदन में दिया गया था कि श्रीमन् 1964 में 13 चाय बागानों का क्षेत्रफल जो 4252 एकढ़ था वह सन् 1972 में 2900 एकढ़ रह गया था । अब 823 एकढ़ भूमि जो है वह सीलिंग ऐक्ट में आ गयी है उसे केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार ने ले लिया है और 523 एकड़ क्षेत्रफल में कृषि हो रही है । जो भूमि कृषि के अन्दर है उसमें कार्यवाही हो रही है और उसक अन्तगत सीलिंग की कार्यवाही की जा रही है । उक्त उत्तर ठीक नहीं था इस कारण दिनांक 21 अगस्त, 1974 को एक शोधन वक्तव्य दिया गया परन्तु जो आंकड़े उक्त शोधन वक्तव्य मे दिये गये वे भी त्रुटिपूण थे जिसका पता बाद म चला । सही उत्तर इस प्रकार है-श्रीमन्, 1964 में 18 चाय बागानों का क्षेत्रफल जो 4252 एकड़ था वह सन् 1973 में 2906 एकड़ रह गया। 406 एकड़ भूमि केन्द्रीय व प्रदेशीय सरकार द्वारा अर्जित अथवा क्रय कर ली गयी । 869 एकड़ भूमि अन्य बैनामों द्वारा हस्तान्तरित कर दी गयी और 75 एकड़ पर चाय बागान के मालिक चाय बाग काट कर स्वयं खेती कर रहे हैं । जो भूमि कृषि के अन्दर है, उस पर सीलिंग की कार्यवाही की जा रही है ।

(विरोधी पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई जा रही थीं ।)

(श्री मुलायम सिंह यादव एक कमीज को लेकर सदन में बैठे, उसके बाद भी शाक्य भी बैठे गये ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

औपचारिक जितनी बातें हैं वह पहले हो जायं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मोतीलाल दहलवी (जिला कानपुर)--

कार्यवाही कैसे करग ?

(श्री चरण सिंह न कुछ सदस्यों को वापस अपनी सीटों पर बैठने के लिये कहा और वे वापस चल गये ।)

श्री अध्यक्ष--

यह सब लिखा हुआ है कार्यवाही में । यह आपको सूचित किया गया है । यही सब औपचारिक है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

आप खुद अव्यवस्था पैदा करते हैं ।

(व्यवधान)

बांदा में भुखमरी, पीलीभीत तथा इटावा की घटनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की मांग

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं आपसे पूर्णरूप से सहमत हूं कि सदन नियमानुसार चले । मैंने अपने सदस्यों को रोका भी और मैं ऐसा समझता हूं कि यह हमारे सदन की शान के खिलाफ है, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूं इस सिलसिले में आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री जी से कि प्रशासन इतना खराब हो चुका है (विपक्ष की ओर से शम-शम की आवाजें आई) अगर आप प्रशासन से संतुष्ट हैं तो आपको मुबारक । बैठ जाऊंगा, फिर आप भी नहीं बठ पायेंगे । मैं आपके भले की बात कह रहा हूं । प्रशासन का स्तर गिरता जा रहा है । दो सवाल उठे । इटावा में यह अन्याय हुआ है जो अंग्रेजों के जमाने में भी नही हुआ होगा । माननीय मुख्य मंत्री को इत्तिला होगी, उनको मालूम होगा उन्होंने इंक्वायरी बिठा दी, लेकिन वह इन्क्वायरी क्या पर्याप्त है । सारे जिले के विद्यालय बन्द हैं । मैं ऐसी बात कहना नहीं चाहता जिला मजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेडेन्ट आफ पुलिस उसमें शामिल हैं । यह बात माननीय मुख्य मंत्री जी की नोटिस में आ चुकी है । उन्होंने क्या किया ? लेकिन होना यह चाहिये था कि वे वहां के विधायकों को बुलाकर कहते कि यह हुआ है और यह कार्यवाही की है ।

जहां तक पीलीभीत का मामला है, वह उससे भी ज्यादा संगीन है । उसमें रायट हुआ.. 3 आदमी मर, 50 दुकानों को लूट लिया गया । मैं साम्प्रदायिक मामला लाना नहीं चाहता था लेकिन ऐसा इत्तिफाक हुआ कि हिन्दू का एक लड़का रिक्शा चालक क जरिये मरा जो मुसलमान था । कुछ झगड़ा हुआ । उसके बाद पुलिस ने यह किया कि 2 मुसलमानों को जिनमें एक बूढ़ा और एक नौजवान था उनके घर जाकर, जहां तक मुझ मालूम हुआ है, गोली मारी और 50 दुकानें लूट ली गई । स्टेट और सेन्ट्रल सी0 आई0 डी0, दोनों की रिपोर्ट यह है कि यह मामला पोलिटिकल है और कांग्रेस वालों ने मुसलमानों के खिलाफ यह कार्यवाही की है । जिन्होंने अधिक प्रतिशत में बी0 एल0 डी0 क कडीडट को वोट दिया था, एसा मैंने सुना है ।

आज स्टेट में कोई सांप्रदायिक तनाव, या जजबात भड़के हुए नहीं थे लेकिन यह हुआ । रोज इलाहाबाद में कांड होत ह, कानपुर में कांड होते हैं । 2 कांडों का कल सदन में जिक्र किया था । टाइम्स आफ इंडिया में, जो आम तौर स आपको सपोर्ट करता है, के लखनऊ

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संवाददाता की रिपोर्ट है कि बलिया में हर विभाग में भ्रष्टाचार है। इसकी कोई सीमा नहीं है। आप व्याख्यान बहुत अच्छे देते हैं। हम इन व्याख्यानों को सुनते-सुनते थक गये हैं। मेरी प्रार्थना है कि इसका सुधार होना चाहिये वरना नियम वगैरह कोई चलेगा नहीं। जो इधर से शोर मचा, या मेरे साथी उधर गये, वे मेरी मर्जी के खिलाफ हो गये। हमारी पार्टी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें भी मैंने यही कहा था कि सदन में कोई अपशब्द न कहा जाय, कोई ऐसी बात न हो जो नामुनासिब हो, यह मैं अपने सदस्यों से पहले ही दरख्वास्त कर चुका हूं। आप ही बतायें कि हम क्या करें, क्या न करें। एक तो यह मामला है और एक और दोस्तों का मामला है, मेरा सुझाव है कि आप एडजर्नमेंट मोशन स्वीकार कर इसके लिये कोई वक्त मुकर्रर कर दें और कार्यवाही के लिये मैंने जो पत्र भेजा है, उसके ऊपर आप कार्यवाही करें ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा आपसे बड़ी नम्रतापूर्वक आग्रह है कि आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न को सुन कर अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें.... (व्यवधान)

(अत्यधिक शोर)

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या नेता विरोधी दल, जब चाहें अपनी इच्छानुसार बोल कर सदन में अव्यवस्था पैदा कर सकते हैं। आप उन्हें बोलने की इजाजत भी नहीं देते.... (व्यवधान)। मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि इस सदन की कायवाही एजन्ड के अनुसार चलेगी या माननीय नेता विरोधी दल की इच्छानुसार चलेगी ?

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं।

(अत्यधिक शोर)

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

बदमाश आप हैं।

(व्यवधान)

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किये, उनसे मैं सहमत हूं। यह बात सही है कि हम लोगों की मीटिंग हुई और हम सब ने वही बातें कही जो चौधरी साहब ने अभी कही। नियमानुकूल यहां की कार्यवाही होनी चाहिये क्योंकि हम लोगों की पार्लियामट्री सिस्टम में पूर्ण आस्था है और श्रीमन्, आपकी भी जिम्मेदारी है, इसको कायम रखने की। हमारी सुनें, हमको कहने का मौका दें, अगर कोई उसकी दवा हो तो वह दवा करें तब यह ठीक से चल सकता है। ऐसा न कहें जिससे बिना मतलब प्रोवोकेशन हो। मुझे भी इसकी पूर्व जानकारी नहीं थी। मैं इसीलिये खड़ा हुआ कि हमारे मुख्य मंत्री जो खड़े हो जायं और पढ़ कर तो वह सुनाया जायगा जब अवसर आयेगा लेकिन खड़े होकर यह आश्वासन दे दें कि कि वह इस मामले की जांच करेंग, जो उनके हाथ में है वह करेंगे क्योंकि सब के मन में एक प्रकार की शंका है। जो लोग कहते हैं वह सही है कि अंग्रेजों की जगह पर यह सरकार आयी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

जैसे अंग्रेजों ने एक दूसरे को डिवाइड कर के शासन किया, जैसा माननीय चौधरी साहब ने कहा कि वही हथकन्डे आपने अपनाये। सी० आई० डी० और सी० बी० आई० की रिपोर्ट जानकार मुझे ताज्जुब हुआ कि साम्प्रदायिक दंगे जानबूझ कर कांग्रेस की ओर से भड़काये जाते हैं इसलिये कि एलेक्शन नजदीक है ।

बांदा की बात कहना चाहता हूं कि घास की रोटी सब ने खायी, यहां आपने देखी। यह भी आप जानते हैं कि बांदा में कोई कांग्रेस का कैन्डिडेन्ट जीत कर नहीं आया। मुझे भी शंका होती है कि जो नान-कांग्रेस कैन्डिडेटस के क्षेत्र में उन पर सरकार की वक्र दृष्टि रहती है। बांदा, इटावा और पीलीभीत का मामला है। मुख्य मंत्री जी खड़े होकर आश्वासन द दें या कह द कि विचार के लिये अवसर दिया जायगा या इन लोगों को बुला लेते और उनकी बातें सुन लेते, जो कुछ शंका समाधान हो सकता था वह हो जाता। तो इसकी नौबत ही नहीं आती। म अब भी अपन मुख्य मत्री जी स प्रार्थना करूंगा कि इन जगहों के माननीय सदस्यों को बुला लें, उनकी बात सुन कर उसका समाधान करें या जो उचित समझें उसका उत्तर द । ऐसा न हो कि वह अपन मन म यह भावना लकर जायं कि उनकी बात सुनी नहीं जायगी।

श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)--

अध्यक्ष जी, यह सही है कि प्रदेश में प्रशासन की स्थिति ठीक नहीं है। इसकी वजह से बहुत से प्रश्न उठते हैं और हर माननीय सदस्य जो सदन में आता ह उसके क्षेत्र से बहुत सी सूचनायें मिलती हैं, उनको लेकर वह आता है कि उनको सदन में किसी न किसी रूप में उठाये। लेकिन यह हमारा और आप सब का कर्त्तव्य है कि जब उसका समय आये तभी उठायें। इस में किसी को कोई मतभेद नहीं होना चाहिये। यह प्रश्न जिस तरह स उठाया गया, मेरे दल के भी दो साथी थे, मुझे सूचना नहीं थी और मैं सहमत नहीं हूं जिस तरह से उन्होंने किया। यदि कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया था तो जब वह आता उसको जरूर प्रेस करते। लेकिन म भी यह चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस पर आश्वासन दें। जो कुछ हुआ है उसके लिये खेद है। लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि जो बांदा की स्थिति है, वहां ला ऐंड आर्डर की स्थिति बहुत ही खराब है। भुखमरी की स्थिति अब इस हालत तक पहुंच गयी कि यहां पर सत्याग्रह तक करने की नौबत आ गयी। इसलिय मरा भी अनुरोध है मुख्य मंत्री जी कि आप आश्वासन द इस परिस्थिति को सुधारने के लिये और उन माननीय सदस्यों को बुला कर आप बातचीत करें ताकि उनको भी संतोष हो और जिल में कुछ प्रभावकारी कदम उठाये जा सक ।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मैं अनुग्रहीत हूं नेता विरोधी दल, नेता जनसंघ और नेता कम्युनिस्ट पार्टी का कि उन्होंने नीर क्षीर इस सारे सिलसिले में करने की कृपा की विशेषकर जब सदन में कुछ माननीय सदस्यों को गुस्सा ज्यादा हो किन्हीं कारणों से। ऐसे ववत नेताओं का इस तरह से हमार सदन का मार्गदर्शन करना यह पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के लिये हितकर है। म बारबार उनको धन्यवाद देना चाहता हू। मान्यवर, मैं इस मौके पर इस पर तो बहस नहीं करना चाहता हू कि प्रशासन अच्छा ह या बुरा, कवल बांदा के सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि जो भी माननीय सदस्य वहां स सुन कर आय हैं, मैने कभी किसी के प्रति दलगत दृष्टि नहीं रखी, जो बात जहां दिखायी पड़ी.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मुझे वहां के माननीय सदस्यों ने यह बताया है कि वहां के एस० पी० व जिलाधिकारी उनकी बातों को ठीक तरह से सुनते तक नहीं है इतना दुर्लक्ष्य करते हैं। उनकी बातों को सदा उपक्षा की दृष्टि से देखते हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

माधव बाबू को शायद पता नहीं है कि वहां एस 0 पी 0 वगैरह के खिलाफ कैसा वातावरण था, उनको बदल दिया गया है। अब नये लोग वहां भेजे गये हैं।

जहां तक खाद्य स्थिति का प्रश्न है, कल ही मेरी बांदा के कुछ माननीय सदस्यों से बात हुई है और मैं सभी से बात करने के लिये तैयार हूं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मैं उनके साथ बैठ कर बात करूं। जो माननीय सदस्य गुस्से में थे और रोटी वगैरह लाये हैं, कल ही अगर मेरे कक्ष में देते तो शायद यह बात न होती। यह ठीक है कि यहां सदन में कहने से और कक्ष में कहने में कुछ फर्क होता है। सदन में कहने से मैं भी समझ सकता हूं और जो माननीय सदस्य के क्षेत्र के लोग होते हैं वे भी समझ सकते हैं कि उन्होंने उनके क्षेत्र के लिये क्या किया। कक्ष में कहने से उतना असर नहीं होता (व्यवधान) मेरी बात आप सुनें।

जैसे ही सदन बंद होगा मैं एक काम और करूंगा। अभी तो 5-6 दिन माननीय सदस्य वहां के रहेंगे ही, मैं एक अधिकारी को कह सकता हूं कि वह वहां जाकर वहां के माननीय सदस्यों को साथ लेकर वहां की स्थिति को देखे, और सारी जानकारी प्राप्त करके अपनी रिपोर्ट दे। भूख से बचाने के लिये बांदा के लिये जो कुछ भी हम कर सकते हैं करेंगे, जरूर करेंगे, यह हमारा फर्ज है। बांदा ही नहीं, कहीं भी अगर ऐसी स्थिति होगी तो किसी न किसी प्रकार उसका मुकाबला किया जायेगा।

पीलीभीत के बारे में बात कही गयी। चौधरी साहब को आश्वासन देना चाहता हूं, कि न तो सी 0 आई 0 डी 0 ने और न किसी और ने, सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स की बात मैं नहीं जानता मुझे यह रिपोर्ट दी कि वहां किसी दल की ओर से ऐसी व्यवस्था की गयी कि वहां हिन्दू मुसलमान दंगा हो जाय। माधव बाबू को तो सूट करता था यह कहना कि कांग्रेस यह दंगा करा रही है, उनकी तो हम पर बराबर कुदृष्टि, कोपदृष्टि आदि रहती है...

श्री माधव प्र साद त्रिपाठी--

चश्मा ठीक रख कर देखिये।

(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मेरा चश्मा तो ठीक है।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरी अभी वहां के लोगों से बैठकर बात नहीं हुई है। मैं यह एग्री करता हूं कि भविष्य में जब कभी ऐसी घटना हो तो वहां के विधायकों से मैं सलाह मशविरा करूं। भविष्य के लिये यह आपकी अच्छी गाइडेन्स है, यह एक स्वस्थ परम्परा भी है, ऐसा होना भी चाहिये।

इटावा के लिये मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी के लिये कहा गया है। उसमें प्राइमाफेसी अगर कोई बात सामने आयी तो मैं जुडीशियल इन्क्वायरी कराने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा। मगर कुछ फैक्टस सामने आ तो जायें.... (व्यवधान) मान्यवर, मेरे दल में केवल एक आदमी पर मेरा काबू नहीं है, मगर उधर चौधरी साहब का अपने दल में कई माननीय सदस्यों पर काबू नहीं है। मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि चौधरी साहब स्वयं इटावा जायं और इसकी इन्क्वायरी करें और वे जो भी रिपोर्ट देंगे उस रिपोर्ट को मैं सांगोपांग पूरी तरह से लागू कर दूंगा।

चौधरी चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, यह तो हम सभी मानते हैं और इस सूबे के लोग भी मानते हैं कि माननीय बहुगुणा जी से पार पाना मुश्किल है। इसमें तो आपने ख्याति प्राप्त कर ली। आप जानते हैं कि मैं जा नहीं सकता, आपने कह दिया। बात हो गयी, बड़ी उदारता की बात हो गयी। मैं कहना चाहता हूं कि कि इटावा मे रे जाने की जरूरत ही नहीं थी। सतीशचन्द्र चौबे जो ईमानदार एस० पी० हैं उसका ट्रांसफर इसलिये कर दिया गया क्योंकि उसने ईमानदारी से काम किया था। उसके रहने पर यह अवस्था न होती। इटावा के माननीय सदस्यों से मैंने पूछा कि वहां डिस्ट्रिक्ट मैं जिस्ट्रेट कौन है तो बतलाया गया कि अंसारी है। पिछली दफा भी मैंने इस सवाल को उठाया था और जब श्री राजमंगल पांडेय ने होम मिनिस्टर के तौर पर काम किया था तब भी मैंने पूछा था कि ऐसे ईमानदार आदमी का ट्रांसफर क्यों कर दिया गया तो कहा गया कि सी० आई० डी० की रिपोर्ट थी इसलिये ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन मेरी सूचना यह है कि कांग्रेस पार्टी के लोग वहां के नहीं चाहते थे कि वहां अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेशन चले। इस तरह से जो आफिसर्स अच्छा काम करते है उनको डिमोरेलाइज करने की कोशिश की जाती है, आप मेरा यकीन करें या न करें। श्री मुलायम सिंह ने मुझसे कहा कि वहां के डिस्ट्रिक्ट मैं जिस्ट्रेट अंसारी ने यह हरकत की है और जब से चौबे का ट्रांसफर वहां से हो गया है, वहां का प्रशासन डिमारेलाइज हो गया है और वहां शासन ईमानदार नहीं रह सकता। मैं लिखते-लिखते थक गया, लेकिन उस पर कोई नोटिस नहीं लिया जाता इसलिये कि मेरा कंट्रोल नहीं है, और नहीं रहेगा। वे जो कुछ चाहते हैं कराते हैं जायज भी, नाजायज भी। इस तरह से जब कंट्रोल ढीला होगा तो लोग कहां तक उसे बर्दाश्त करें।

हमारे शिवपाल सिंह, विधायक जो उन्नाव के हैं उनके मर्डर की कोशिश 6 महीने से है। मैं आपको लिख चुका हूं, बहुत तफसील से लिख चुका हूं, लेकिन कोई नतीजा नहीं हुआ है। और ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई, फिर न मालूम कैसे छूट गये और पीछे लगे हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कह चुका हूं, सुपरिंटेंडेंट पुलिस को कह चुका हूं, सुपरिंटेंडेंट पहले वहां ईमानदार था लेकिन उसको हटा दिया गया। आज वहां ऐसा पुलिस सुपरिंटेंडेंट है जो इनके इशारे पर काम करता है। न मालूम वहां कितने केसेज हुए, एक हमारे प्रमुख हैं जिनको एक सब-इन्सपेक्टर ने कई बार नोटिस दिया कत्ल करने का। वह डिस्ट्रिक्ट मैं जिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट पुलिस के सामने खुल कर बात करता है कत्ल करने का। वह बेचारा फिर रोते हुए हमारे पास आया, वैसे वह बहादुर आदमी है लेकिन परेशान है। मैंने फिर आपको लिखा तो आपके यहां से आया कि डी० आई० जी० इन्क्वायरी करेंगे। डी० आई० जी० क्या इन्क्वायरी करेंगे? पहले जो सेंटर में होम मिनिस्टर रह चुके हैं श्री उमा शंकर दीक्षित जो बहुत पावरफुल हैं उनके सगे भतीजे श्री गोपीनाथ दीक्षित यह सब करा रहे हैं। मैं अनेकों बार लिख चुका हूं, प्रतिवेदन वगैरह में भी बात आ चुकी है। जिसमें श्री गोपीनाथ का जिक्र आया है। वे पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, बड़े पावरफुल आदमी हैं, हमारे दल के कंडिडेट से वे हार चुके हैं, उनको जायज या नाजायज तरीके से हमारे दल को खतम करना है। आगे यह कह दिया कि कत्ल की कोशिश हो रही है, यह डी० आई० जी० को कह दिया। दूसरी बात एस० पी० के बारे में....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

चौधरी साहब आप ही बता दें कि क्या कह दिया जाय?

चौधरी चरण सिंह---

अगर एस० पी० को शय न दी गयी होती तो उसकी क्या हिम्मत थी कि धमकी देता। चूंकि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस फोर्स बिल्कुल अन-डिस्पिन्लिड फोर्स हो गयी है इसलिये उसकी यह हिम्मत हो गयी। आज जो कुछ ऊपर होता है उसका असर 24 घंटे में ही जो नीचे का कांस्टेबिल है उसके ऊपर छा जाता है। अपोजीशन का जो आदमी कुछ कहता है

वह गलत माना जाता है, आपका आदमी जो कुछ कहता है वह सही माना जाता है। चूंकि आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी पार्टी जीत गयी है लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन में आपका दल चला गया है। मैं तो कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई फर्क नहीं आना चाहिये। डेमोक्रेसीज में केवल पालिसीज बदलती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अंतर नहीं पड़ता। आप किस तरह से लोगों को न्याय देंगे मुझे बता दीजिये। ज्यादा बातें मैं नहीं कहना चाहता। इटावा, पीलीभीत की बातें आप जानते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, चौधरी साहब कुछ भी कहते हैं मैं उसको आदर और शांति से सुनता हूं तथा उनके अनुभव से लाभ उठाने की चेष्टा करता हूं, थोड़ा बहुत करने की कोशिश भी की है। एक बात आज कहना चाहता हूं। हमने डी० आई० जी० से कह दिया है कि उनकी देखरेख रखिये, बल्कि उनसे कहा गया है कि इस सिलसिले में बराबर गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते रहिये। डी० आई० जी० को इसलिये दिया कि अगर किसी छोटे अफसर को, एस० पी० को इन्क्वायरी करने के लिये कहते तो चार्ज लगाया जा सकता था कि वह इशारे पर काम करता है। इसलिये मैंने इसका औचित्य नहीं समझा। मैंने डी० आई० जी० की रिपोर्ट मांगी है, डी० आई० जी०, एस० पी० से बहुत ही बड़ा अफसर है और डी० आई० जी० से रिपोर्ट इसलिये मांगी है ताकि वस्तुस्थिति सामने आ जाय और शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ की जा सके, जिनके खिलाफ की जानी चाहिये। मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इसमें दलगत भावना संबंधी कोई बात नहीं है।

चौधरी साहब, आज एक अयोग्य आदमी यहां पर बैठ गया है तो अयोग्य आप कह सकते हैं, लेकिन मैं नियत के सिलसिले में आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरी नियत पर शंका न करें।

चौधरी चरण सिंह--

अब मैं क्या कहूं, मुख्य मंत्री महोदय। इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर नीचे के अधिकारी न मिलें हो तो आप निष्पक्ष हैं। मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर ऐसा न होता तो एस० पी० की हिम्मत नहीं थी कि वह धमकी देता।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

हमारे कांग्रेस वालों को भी कई जगह शिकायतें हो गयी हैं। सी० पी० आई० को बांदा में हो गयी है। मंजूर अहमद खां जो यहां बैठे हुये हैं उनको पता नहीं कितने अधिकारियों से शिकायत है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, पीलीभीत के बारे में बतायें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैंने पीलीभीत के सिलसिलें में....

(कई सदस्यों ने साथ-साथ बोलना आरम्भ किया)

व्यवस्था का प्रश्न

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोण्डा)--

अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न क्या है ?

आप इतने लोग साथ-साथ कहेंगे तो कैसे होगा ?

श्री त्रिवेणी सहाय--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदन में माननीय काशीनाथ मिश्र जी को गाली देने का बहुत अभ्यास हो गया है। इसके पहले उन्होंने एक बार मुझको बेवकूफ कह के संबोधन किया था और आज उन्होंने इस आदरणीय सदन के सामने श्री राम अधार राय को कहा है कि आप बदतमीज हैं। तो मैं चाहूंगा कि श्रीमन्, क्या आपने उनको इस तरह की छूट दी है जो वह गाली देते हैं। आप उनसे इन शब्दों को वापस कराइये। यह उचित नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किये हैं बदमाश इत्यादि या इस तरह का तो उसके लिये मैं अपने सारे दल की ओर से क्षमा मांगता हूं। मैं समझता हूं कि ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल होने चाहिये थे।

श्री चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, यदि बहुगुणा जी कुछ कैबिनेट का जल्दी इंक्सपैन्शन कर लें तो शायद यह मामला ठीक हो जाय।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इसकी शाबासी नहीं दिया कि खर्च कम रखा है।

श्री बाबू लाल शर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि बांदा जिले में खाद्यान्न की जो स्थिति है उसके संबंध में मंत्री जी ने कहा कि यदि वैसी ही पूरे प्रदेश में स्थिति होगी तो खाद्यान्न की व्यवस्था करने के आदेश हम करेंगे। 5 नवम्बर, 1974 का पत्र जो ग्राम प्रधानों के नाम भेजा गया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हर न्याय पंचायत में सस्ते गल्ले की दुकान और मोटा अनाज देंगे। तो इसमें व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

इसमें व्यवस्था का जो प्रश्न उठा रहे हैं वह इसमें निहित नहीं है।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)--

भुखमरी हो रही है तो व्यवस्था का प्रश्न है। (शोर)

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का मतलब है कि नियम है, संविधान है तो उसके हिसाब से काम न हो तो व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है। जो मुख्य प्रश्न है उसको व्यवस्था क लिय और दूसर उपाय आपको सुलभ हैं उसम कहें।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाय

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन प्रस्तावों को मैंने अस्वीकृत कर दिया है।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, इसमें व्यवस्था का प्रश्न है। (शोर) एक विशेषाधिकार का प्रश्न है उसको ले लीजिये।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

कार्य सूची 11 को लेते हैं। विशेषाधिकार के 8 सवालों को 30 तारीख को देखेंगे।

मुख्य मंत्री के कार्यालय तथा सचिव, विधान सभा द्वारा उचित व्यवहार न करने के सम्बन्ध में शिकायत

*श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

मैं सदन नहीं चलने दूंगा जब तक कि मेरी बात न सुनी जायगी। अध्यक्ष महोदय, 21 तारीख को जब हमारे लघु उद्योग मंत्री जी की अध्यक्षता में उद्योग समिति की बैठक थी उस दिन हमारे ऊपर कुछ राजनीतिक गुण्डों ने मारने का षड़यंत्र रचा। मैं वहां से एक ज्ञापन लेकर मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में गया। फाटक में मैंने पूछा कि मंत्री महोदय हैं तो एक चपरासी ने बताया कि नहीं हैं। फाटक खुला था इसलिये चपरासी से पूछकर अन्दर चला गया। अन्दर 2–3 पैंट वाले बैठे थे। मैं भी एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। उन्होंने कहा कि आप कैसे बिना पूछे चले आये। मैंने कहा कि चपरासी से पूछकर आया हूं। उन्होंने कहा कि बाहर चले जाइये। मैंने कहा कि मेरा ज्ञापन मुख्य मंत्री जी को दे दें। उन्होंने कहा कि चपरासी बाहर निकालो। चपरासी ने धक्का देकर बाहर निकाला। मैं दो दिन यहां हाल्ट करके अपने क्षेत्र में गया। मेरी मशीन, मेरे खेत और मेरे ऊपर हमला किया गया। मैं भागकर यहां आया। मैंने सोचा इसको सदन में रक्खूंगा। मैंने सूचना दी है। उसके बाद मैंने एक प्रश्न दिया। मैं आज विरोधी दल को आश्वासन देता हूं कि मैं सदन में आज इसलिये आया हूं, उसके बाद नहीं आऊंगा, जब तक कि इसका जवाब नहीं मिलेगा। अगर पार्टी कहेगी तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगा।

मैं चौधरी साहब और दूसरी पार्टीज के नेताओं से इस सम्बन्ध में सम्बन्ध स्थापित करना चाहता हूं। मैं रात को 9 बजे अपने कमरे में था, 25 तारीख थी, मुख्य मंत्री जी का आदेश कमरे में मिला, लेकिन केयरटेकर साहब तो शराब में डूबे रहते हैं। मेरे कमरे में जो सामान लाया गया है उसके लिये राज्य सम्पत्ति अधिकारी ने हजारों रुपया लुटाया है। वह रात में मुझे फोन मिला। कहा गया कि मुख्य मंत्री बुला रहे हैं। मैंने कहा कि यह कौन सी बला है। सिंचाई मंत्री, सामुदायिक विकास मंत्री, राजस्व मंत्री व पांडे जी के यहां रोडवेज की अनियमिततायें लेकर गया लेकिन वहां राजमंगल पांडे के सिक्रेटी ने दरख्वास्त लेने पर तवज्जह नहीं दी, क्यों कि मैं टायर नहीं बेचता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे दल के दो आदमी हैं, छोटा दल है। मैंने सोचा कि अध्यक्ष से सम्पर्क किया जाय। वह कहते हैं छोटी पार्टी है। तो मैं यह सूचना लेकर आया हूं। मैंने सूचना दी तो उन्होंने कहा कि सचिव के यहां जाइये। मैंने देने की कोशिश की, उन्होंने अवाइड करने की कोशिश की। मैंने आपके सचिव के सामने दरख्वास्त रख दी। उन्होंने पी 0 ए 0 से कहा ले जाओ। मैं चाहता था कि उनकी टिप्पणी हो जाय। मैं बहिर्गमन 5 साल के लिये करूंगा। मैं जब आया तो सचिव ने उस निगाह से देखा जैसे कि किसी ब्लेक मारकेटियर को देखा जाता है। मैं फिर बहुगुना जी के कमरे में गया। वहां 9 बजे रात को हाजिर हुआ था। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आपकी सूचना को सचिव ने प्राप्त किया, सचिव को नोट जो है और पत्र भी है, वह मुझे सचिव ने दे दिया है ।

श्री भगवती प्रसाद--

अध्यक्ष जी मेरी बात सुन लीजिये . . . .

श्री अध्यक्ष--

आपने नोटिस . . . .

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, आपको उनकी बात सुनने में क्या परेशानी है ?

श्री अध्यक्ष--

इसमें सचिव का भी है ।

श्री भगवती प्रसाद--

चपरासी से मैंने पूछा कि भाई मुख्य मंत्री जी से मिलने आया हूं कैसे अन्दर मिलने जाया जाय । उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी नहीं है यह बताने की । आपकी हिम्मत हो तो जाओ । मैं कोहली साहब को नहीं पहचानता था । जब अन्दर गया तो देखा कि वहां दर्जनों प्रदेश के लुटेरे, दलाल और ब्लैकमार्केटियर लोग बैठे थे, मैं बैठ गया । हमारे बी० के० डी० के भाई बांके लाल जी भी बैठे थे । दर्जनों चोरों के बीच बहुगुना जी बैठे थे । मैं बीमार था । पैदल गया था । मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे । अंदर नहीं बुलाया गया । सी० पी० आई० के गर्ग साहब पहुंचे । मैं बैठा था । कोहली ने मुझसे बात नहीं किया । म बता नहीं सकता किस नफरत से उन्होंने मुझे देखा । लेकिन मैंने चाहा कि मिल जरूर लूं; हमारे मुख्य मंत्री हैं । रायल होटल के 88 नम्बर कमरे में फोन गया था मुख्य मंत्री जी के यहां से। चपरासी ने जब बताया कि मुख्य मंत्री जी के यहां का फोन है, तो मैं सुनने गया । मालूम हुआ कि मुझको बुलाया गया है । इसलिये मैं मिलने गया । लेकिन मान्यवर, आजकल मन्त्रियों के स्टाफ में बड़ा अभद्र व्यवहार होता है । सामुदायिक विकास मंत्री, सिंचाई मंत्री, राजस्व मंत्री के यहां तो गनीमत है, लेकिन और सभी मन्त्रियों के यहां, राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी, राजमंगल पाण्डेय जी और मुख्य मंत्री जी के यहां बड़ा अभद्र व्यवहार किया जाता है, स्टाफ के द्वारा, मिलने वालों स ।

तो जब मैं मुख्य मंत्री के यहां पहुंचा तो चाय चल रही थी । इनके यहां एक पी० ए० हिप्पी-कट ह, शायद अमरीका से आये हैं । वह गवर्नर हैं । मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया । मान्यवर, मेरे खिलाफ मर्डर की कान्सपीरेसी का मामला था और मुख्य मंत्री के स्टाफ ने मेरे साथ इस तरह अभद्र व्यवहार किया जबकि मैं उनसे मिलने गया । मैं आज मुख्य मत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सजा देंगे हेलीन साहब को और अपने सचिव को इस अभद्र व्यवहार के लिये । ये लोग, मान्यवर, आज करप्शन बढ़ा रहे हैं । लिखते हैं, इस सरकार के लोग कि ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन आज धड़ल्ले से ट्रांसफर हो रहे हैं। राजमंगल जी ने परिवहन विभाग में तमाम हरिजन कर्मचारियों को निकाल कर अपने पिट्ठुओं को भर दिया है और ये हरिजन लोग बेचारे घूम रहे हैं ।

मैं निवेदन करूंगा अपने विरोधी भाइयों से कि वे कभी इन मन्त्रियों से अपने निजी काम के लिये न जायं, सिवाय जनरल और पब्लिक काम के । मान्यवर, मेरी बात का जब तक उचित जवाब नहीं दिया जायेगा, मैं सदन को चलने नहीं दूंगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मामला है। स्थिति असह्य है। कृपया इन परिस्थितियों में मुख्य मंत्री जी से जवाब दिलवा दें।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

मान्यवर, मैं भी 19 तारीख को मुख्य मंत्री जी से मिलने गया और अभद्र व्यवहार हुआ।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, ये कक्ष में आकर बात करने को कहते हैं लेकिन कक्ष में जाते हैं तो चपरासी से धक्के लगवाकर इनके पी0 ए0 लोग बाहर निकाल देते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मैं 19 तारीख को मुख्य मंत्री जी से मिलने गया था। जब मुख्य मंत्री जी से मिल कर हम और मालवीया जी वापस आये, तो देखा कि कोहली चपरासी को डांट रहे थे कि उसने हम लोगों को बहुगुणा जी से क्यों मिलने दिया ? क्या इसी तरह का व्यवहार करने के लिये मुख्य मंत्री जी उसको यहां उत्तर प्रदेश में लाये हैं। यह तो मुख्य मंत्री जी के स्टाफ में रोज हो रहा है। हम जब चेम्बर में बैठे हुये थे तो आपके चपरासी पर कोहली साहब की डाट पड़ रही थी। मालवीय जी वहां बात कर रहे थे। आपके पी0 ए0 मदान्ध हैं कि जो हम कहेंगे वही बहुगुणा जी की बात होगी। या आपके निदेश होंगे कि विरोधी मिलने आयें तो रोक दीजिये और कांग्रेसी मिलने आयें तो इजाजत दे दीजिये। हमको घुसने नहीं दिया गया और जबरदस्ती हम लोग घुसे। जब फाटक से निकले तो चपरासी को उन्होंने बुरी तरह से डाटा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

बात साधारण होते हुए भी बड़ी गंभीर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इसीलिये कुछ नहीं हो पाता है। एक मामला उठता है जब तो उसको खत्म करने के लिये अनेक मामले उठ जाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भगवती प्रसाद जी ने जो कुछ यहां कहा उसकी जिम्मेदारी विरोधी दल पर है। इस सवाल को आपने खत्म किया। विशेषाधिकार का क्रम बना हुआ है। भगवती प्रसाद जी शाम को आये। अध्यक्ष लिखा हुआ था। उनसे कहा गया ठीक कर दीजिये। उन्होंने ठीक कर दिया, सचिव लिख दिया काट कर और सचिव को दे दिया। सचिव ने न केवल पढ़ा बल्कि अपना नोट भी लिखा। मैं विरोधी दल से कहूंगा कि अगर इस तरह से वह आत्मघाती दृष्टिकोण अपनायेगा तो अपना नुकसान स्वयं करगा। आपको जो कहना है उसे ठीक ढंग से कहेंगे तो शासन को झुका सकते हैं लेकिन अगर पहले एक बोला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा तथा पांचवा बोला तो असल मामला दब जायगा और इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी क्योंकि इस तरह से आप बिना किसी क्रम तथा व्यवस्था के सदन को चलाने के लिये मुझे मजबूर करते हैं। मैं माननीय नेता विरोधी दल का आभारी हूं कि उन्होंने सम्मति व्यक्त की कि अव्यवस्था होगी तो एक भी काम नहीं होगा। इस तरह अनगिनत लोगों के साथ अन्याय होता है। अपनी बात की धुन में औरों की बात दब जाती है। उस रोज नियाज हसन साहब का एडजर्नमेन्ट मोशन था। वहां तक आने नहीं दिया गया। मैं तो यहीं कहूंगा कि जो प्रक्रिया है, नियमावली है उसके अनुसार कार्य किया जायगा तो सबका हित होगा। मैं यहां अधिकतर आपके संरक्षण के लिये ही बठा हुआ हूं। जो शासन में हैं, जो सत्ता में हैं उनको तो संरक्षण की आवश्यकता ही

[श्री अध्यक्ष]

नहीं है। विरोधी दल के सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि यह संरक्षण जो दिया गया है इसका प्रयोग तभी विधिवत् तथा प्रभावी ढंग से हो सकता है जब आप में धैर्य हो और यह समझने की क्षमता हो कि मेरे सवाल से अधिक महत्व का सवाल किसी दूसरे का भी हो सकता है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

आप में भी न्याय हो ?

श्री अध्यक्ष--

आपका कहना है कि मुझ में अन्याय है।

श्री बांके लाल--

हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--

आप कह रहे हैं मुझ में भी न्याय हो तो मैं बांके लाल जी से कहूंगा कि उनके अलावा उनके दल से अथवा संसार में कोई कह दे तो मैं अभी चला जाऊंगा। मैं बांके लाल जी को बांके लाल जी से ज्यादा जानता हूं। वह मेरे साथ जेल में रहे हैं और सोते में भी लड़ते हैं।

(हंसी)

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

बांकेलाल जी से आप ज्यादा वाकिफ हैं तो मेरी तरफ से आप उनको माफ कर दें।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (क्रमागत)

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

10 वें आइटम पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव हैं क्या उनको आपने खत्म कर दिया ?

श्री अध्यक्ष--

क्रम से सब पर विचार होता है। एक दम से सब पर विचार नहीं हो सकता। कार्य-स्थगन के सभी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो सकता। माननीय चौधरी साहब ने जो उठाया था उनमें वह भी है। उनके अलावा जो और सूचनायें उठाई हैं जो आज वक्तव्य के लिये हैं उनको शाम को देखूंगा। प्रश्न यह है कि जो 3 सम्बन्धित सवाल हैं उनको उठाया गया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

कार्य स्थगन का प्रस्ताव मैंने दिया है।

श्री सत्यपाल मलिक--

जब माननीय मुख्य मंत्री जो जबाव दे रहे थे तो मैंने कहा था कि 19 चीनी मिलों में से 14 मिलें बन्द हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने भीखालाल जी से कहा कि इसे 51 में लिया जाय। यह महत्वपूर्ण है। भीखालाल जी मुझसे मिले थे। मैंने 51 में वह मान लिया है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

चीनी मिलों के बारे में आप कार्य स्थगन का प्रस्ताव स्वीकार करें ....

श्री अध्यक्ष--

यह विषय 51 में उनके नाम से है। आपका नाम भी जोड़ दिया जायेगा..... (व्यवधान)। मैं निवेदन करूंगा कि एक-एक करके बोलें।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)--

मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि श्री जय प्रकाश नारायण ने उत्तर प्रदेश में बिहार-टाइप आन्दोलन के लिये आह्वान किया है।

श्री अध्यक्ष--

इसको मैंने अस्वीकार कर दिया है। किसी आन्दोलन के बारे में या किसी दल के आन्दोलन के बारे में और जिसमें बड़ा उद्वेलन है उनके बारे में यहां फैसला नहीं होगा। इसलिये उसे अस्वीकृत कर दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैंने इस बारे में कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया था। इससे प्रदेश में हिंसा की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना है। हम लोगों के पास सबूत है जिसे हम बता सकते हैं। इसलिये इस पर विचार होना चाहिये।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

मान्यवर, यहां पर विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों ने आकर प्रदर्शन किया और अब उसे और तीव्र करने की बात कही है। उनकी मांगें हैं कि उनका वेतन-मान निश्चित किया जाय, यू0 जी0 सी0 के अनुसार उन्हें वेतन दिया जाय, 50 प्रतिशत अध्यापकों को प्रतिनिधित्व दिया जाय, ट्रेजरी से वेतन दिलाया जाय आदि उनकी मांगें हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तमाम शिक्षण संस्थायें बन्द होने वाली हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री से भी कई लोग मिल चुके हैं। इसलिये यदि वे यहां पर सदन में अपना एक वक्तव्य दे दें.... ।

श्री अध्यक्ष--

जब 51 का विषय आयेगा तब कहिये। जो तीन उत्तर के लिये सुरक्षित सवाल थे उन्हें इस समय उठाया गया है। 50 में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। 51 में दीजिये।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

अध्यक्ष महोदय, मैंने भी कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया था जिस तरह से बाजरा घोटाले को दबाया जा रहा है उसी तरह का यह भी है इसमें डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस की रिपोर्ट की नकल भी नत्थी कर दी है श्री आर0 डी0 सोनकर, इलाहाबाद के जिलाधिकारी, मामला पर पर्दा डाल रहे हैं और भ्रष्टाचार पनपा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आपका इसलिये अस्वीकार किया कि आपके दो एक साथ प्रस्ताव हैं आपने दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिये हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

आज मैंने एक ही दिया है।

श्री अध्यक्ष---

आप 51 में दीजिये ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

अध्यक्ष महोदय, डिप्टी सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट है कि 700 रुपया तहसीलदार के चपरासी से बरामद किया, तहसीलदार से कहा कि मेरा काम करा दो । चपरासी ने कहा कि हम रुपया तहसीलदार साहब को दे देंगे और तुम्हारा काम जरूर हो जायेगा । उस चपरासी से 700 रुपये बरामद हुये और चपरासी ने बयान दिया है और दो गवाहों ने भी बयान दिया है, 11 नवम्बर की यह रिपोर्ट है इस डी० एस० डी० ने रिपोर्ट लिखाया है । मुख्य सचिव को और माननीय मुख्य मंत्री जी को सूचना दी जा चुकी है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ इसलिये इस पर विचार होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

आप जानते हैं 56 का विषय नहीं है यह तो 51 में आयेगा। कार्य स्थगन में हम इस समय सिर्फ 56 लेंगे ।

(व्यवधान)

बाजरा व धान (चावल) काण्डों से सम्बन्धित सभी कागजात सदन के पटल पर रखने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय मैंने आपके पास अपनी ओर से और विरोधी दलों के अन्य नेताओं की ओर से एक प्रस्ताव भेजा है वह मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं:---

अध्यक्ष महोदय हम लोग नियम 110(8) के अन्तर्गत अधोलिखित प्रस्ताव पर तुरन्त विचार करने के लिये नियम 85 को निलम्बित करने का प्रस्ताव करते हैं । कल सत्तारूढ़ दल ने बाजरा व धान (चावल) कांड की छानबीन करने के लिये सदन की एक समिति का निर्माण किये जाने के संबंध में नियम 200 के अन्तर्गत हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। परन्तु यह जनता के हित में है कि उक्त कांडों की सच्चाई उसके सामने आये हम लोगों का खयाल है कि इन दोनों कांडों में जब कि हमारे प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा प्रतिशत पर्याप्त अन्न नहीं प्राप्त कर पा रहा है कुछ राजनीतिज्ञों तथा अधिकारियों ने हजारों टन गल्ला प्रदेश से बाहर भेज कर लाखों करोड़ों रुपया नाजायज तौर पर कमाया है । जन तंत्र कभी भी सफल नहीं हो सकता है जहां राजनीतिज्ञ सदाचारी न हों ।

अतः हम प्रस्ताव करते हैं कि बाजरा व धान (चावल) कांड से संबंधित पुलिस को जो भी रिपोर्ट हो तथा दोनों कांडों से संबंधित सभी पत्रावलियां जो खाद्य व गृह विभाग में उपलब्ध हों वह अन्य सभी कागजात सदन को मेज पर रखी जायं ।

अध्यक्ष महोदय, हम 15 दिसम्बर, 74 को ही इस आशय का पत्र लिख चुके हैं नियम 311 के अन्तर्गत हमारा उपरोक्त अनुरोध स्वीकार करें उसके लिये आप सक्षम हैं । यह माननीय त्रिपाठी जी, श्री रामपाल सिंह यादव, नियाज हसन की ओर से आपको दिया है । मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि यह स्वयं उस कहानी को बता रहा है लेकिन फिर भी दो शब्द कहना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

पहले तो यह सवाल जो है इसके दो टुकड़े हैं एक तो 15 दिन के नोटिस सम्बन्धी जो नियम 85 से सम्बन्धित है उसको निलम्बित किया जाय उसके बाद यह आयेगा, पहले निलम्बित होगा। तो उसके दो हिस्से हैं ।

चौधरी चरण सिंह--

तो मैं पहले निलम्बित करने के बारे में ही अर्ज करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, नियम या कानून इसलिये बनाये जाते हैं ताकि जनता को सुविधा हो और उसके मातहत नियम इसलिये बनते हैं कि जिससे जनता का कार्य अच्छे प्रकार से सम्पादित हो सके, सदन का कार्य अच्छी तरह चल सके । असल उद्देश्य है पब्लिक इन्ट्रेस्ट । अतएव नियमों को जनहित की दृष्टि में रखकर इन्टरप्रेटेशन करने की जिम्मेदारी आपकी है । आपको मालूम होगा और बहुत से हमारे दोस्तों को भी मालूम होगा अमेरिका यानी यू0एस0ए0 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग्स के जरिये से, बजाये ऐक्ट के, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन के महत्वपूर्ण कार्य किये हैं । जैसे-जसे समाज तरक्की करता जाता है, उन्होंने पुराने कानूनों का इन्टरप्रेटेशन ऐसा लगाया जो समाज का तकाजा था । कोई मुल्क या समाज तरक्की नहीं कर सकता है, जब तक कि उसका जो पुराना सामाजिक ढांचा है, आईरन स्ट्रक्चर है, उसमें परिवर्तन न किया जाये । तो मैं कह रहा था कि वहां पर एक जिस्टिंग ऐक्ट का इन्टरप्रेटेशन ऐसा किया कि उसमें संशोधन की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी । फिर मैं कहना चाहता हूं और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि आप कोई मिनिस्टर या प्रभावशाली राजनीतिक रिश्वत लेता है या और कोई दुराचरण करता है तो क्या इलाज है हमारे पास उसको रोकने के लिये या उसको दंडित करने के लिये ।

आई0पी0सी0 में एक धारा है, जिसके अधीन प्राइवेट नागरिक कोई दावा कर सकता है किसी अफसर आदि के खिलाफ, यानी पब्लिक सर्वेन्ट्स के खिलाफ दावा कर सकता है लकिन यहां पब्लिक सर्वेन्ट की परिभाषा में मिनिस्टर नहीं आता । अभी कई जगह इस बात की सिफारिश हो चुकी है कि इस प्रकार का उसमें अमेंडमेंट करना चाहिये । किन्तु आप उसको कतई मानने को तैयार नहीं हैं । अब एक कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट है, उसके अनुसार उनके खिलाफ इन्क्वायरी हो सकती है, लेकिन उसमें चीफ मिनिस्टर की रजामंदी होना आवश्यक है, जो आमतौर पर नहीं मिलती । तीसरी बात है कि रिजोल्यूशन लाकर यह किया जा सकता है कि जांच के लिये हाईकोर्ट का जज बिठाया जाये । वहां पर भी आप अपने बहुमत का लाभ उठा सकते हैं और उठाते हैं, लेकिन उसको भी आप मानेंगे नहीं । अब चौथा रास्ता यह है सदन की इन्क्वायरी कमेटी ही इन्क्वायरी कर ले, जिसमें ट्रेजरी बेंचेज के माननीय सदस्य भी होंगे । उसके लिये भी आप तैयार नहीं हैं । मैं कहता हूं कि आखिर हर अन्याय और गलती का कोई तो इलाज होना चाहिये । आपने हमारे सामने कोई भी इलाज नहीं रखा है, जो कि रास्ता हम अपना सकें । यू0एस0ए0 में प्रेसीडेंट निक्सन का मामला आया, तो हमने देखा कि जिनको उन्होंने मुकर्रर किया था, उन्होंने उनके खिलाफ कार्यवाही की, गवाही दी, प्रापर ऐक्शन लिया और सच्चाई को देश के सामने ले आये । उन्हीं के सेक्रेटरी और प्रेस-अटैची ने उनके खिलाफ निर्णय ले दिया । तो इस तरह से डेमोक्रेसी चलती है । आप इस तरह सोचें कि वह हमारा आदमी, है, हमारे दल का आदमी है, हम उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते हैं, इससे दल की बदनामी होगी, तो इस तरह से तो जनतंत्र चल ही नहीं सकता है । लिहाजा इस मामले में आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है । आप इसका इन्टरप्रेटेशन ऐसा करें, जिससे जनहित का सम्पादन हो सके और न्याय हो सके । और न्याय हो या न हो, किन्तु सच्चाई जनता के सामने अवश्य आ जाये । मैं 15 दिसम्बर, को ही आपको एक पत्र लिख चुका था । फिर हम लोगों की राय यह हुई कि इसकी आवश्यकता नहीं है, सदन

[चौधरी चरण सिंह]

की कमेटी बन जाये । पूरे सदन में रखने के बजाय एक सीमित समिति के सामने वह रखा जाय और वह सारा कार्य करे जो सुप्रीम कोर्ट को करने का अधिकार है ।

वह मेरे मित्रों ने कल माना नहीं । मैं इसको क्या कहूं सिवा राजमन्द और मैजारिटी का मद । या मुझे बतलायें कि कल को वह यहां बैठ जायं और यह लोग उधर बैठ जायं और यह बेईमानी करने लगें तो कोई इलाज होना चाहिये । हमारे यहां इलाज नहीं हो रहा है । इस लिये विरोधी पक्ष के नेतागण फिर आपके सामने हाजिर हुये हैं कि अगर कमेटी मुकर्रर नहीं हुई तो सदन के सामने आप रखवाइये । इस पर भी हम देखना चाहते हैं कि क्या दृष्टिकोण है । उसमें बेशक, सदन के सामने रखने से अगर समझ में आये, फिर कमेटी मुकर्रर हो जाय और गवाही में बुलाये जायं लेकिन उसमें कुछ हम कुछ देख पायेंगे, मुझे ठीक नहीं मालूम कि हम कुछ और कर सकेंगे । मैं चाहता हूं कि वह रिपोर्ट, वह कागजात जिससे रखे जा सकें आप ऐसा इन्टरप्रिटेशन कीजिये और आप इस लिये इस रूल को निलम्बित कीजिये । आप निलम्बित कर सकते हैं । आप को भी इस मामले में अल्टीमेट पावर्स हैं, अगर फिर न मानें । आपको अपनी रेजीडुअरी पावर्स को इस्तेमाल करना चाहिये । अगर इसमें भी नहीं करेंगे, तो माफ कीजिये इससे बेहतर कोई केस नहीं मिलेगा । फिर अध्यक्ष महोदय आप शायद तखलिया में विचार करेंगे और इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया । इस लिए मरी रिक्वेस्ट है कि इस रूल का निलम्बन करेंगे और इस मामले पर बहस करने की इजाजत देंगे ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, दो शब्द मैं भी कहना चाहता हूं । क्योंकि जो पत्र आपके पास भेजा गया है इसमें हम सब विरोधी दल के नेतागण जिनका हस्ताक्षर है एकमत हैं ।

पहला प्रश्न आपके सामने यह है कि जो नियम है सदन के वह निलम्बित किये जायं । उसके सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि आपको जिस वक्त यह शक्ति दी गयी होगी उस वक्त बड़ा विचार हुआ होगा । एक तरफ बहुमत है, बड़ा जोरदार बहुमत है । दूसरी तरफ विपक्ष है । यदि विपक्ष कोई उचित बात रखता है, और बहुमत वोट के आधार पर उसको गिरा देगा तो आप किसकी रक्षा करेंगे । बहुमत की रक्षा करेंगे या विपक्ष की । विपक्ष कम संख्या में है । आपकी निगाह में वह मुनासिब बात रखता है तो आपको पूरी शक्ति है आप उस नियम का निलम्बन करेंगे और विपक्ष के पक्ष में अपना डिस्क्रीशन इस्तेमाल करेंगे ।

एक बात कल विस्तारपूर्वक आपके सामने रखी गयी । देश में भुखमरी है । देश में अन्न का अभाव है । कांग्रेस की ओर से कहा जाता है कि दस लाख लोग मरने की स्थिति में पहुंच गये हैं । मिर्जापुर के कांग्रेसी कहते हैं कि भुखमरी है । सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है कि भुखमरी है । हमारे बहुगुणा जी ने कह दिया कि कोई भी शिकायत करेंगे तो उसको सुनेंगे । हमारा नाम नहीं लिया । बड़ी कृपा की क्योंकि वह हमारी शिकायत सुनते नहीं । आज यह स्थिति आ गयी है कि भुखमरी है चारों तरफ । एक तरफ तो यह है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि तस्करी हो रही है । दस करोड़ का चावल की तस्करी हो गयी, लगभग 7 लाख रुपये के बाजरे की तस्करी हो गयी । जहां एक तरफ अकाल है वहां दूसरी तरफ अनाज दूसरे राज्य को चला गया । किस के द्वारा चला गया, उसका नाम संदिग्ध है । इस लिए समझते हैं कि केन्द्रीय मंत्री उसमें शामिल है, राज्य के मंत्री, जो इस बहुमत के आधार पर बने हैं वह उसमें शामिल ह । यहां इमर्जेंसी है । इमर्जेंसी में सदन एकदम से सस्पेंड कर दिया जाता है । देश में इमर्जेन्सी आती है तो राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री संविधान सस्पेंड कर देते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्टेट में इमर्जेन्सी आयेगी तो गवर्नर और हमारे मुख्य मंत्री एक में मिल कर कार्यवाही करेंगे । लकिन अगर इमर्जेन्सी यहां आये तो कौन निर्णय लेगा ? आपकी निगाह में यह महत्वपूर्ण प्रश्न है या नहीं यह सारा समाज देखना चाहता है । आपके सामने एक प्रश्न कि नियम का निलम्बन करें । परिस्थितियां ऐसी मौजूद है कि नियम का निलम्बन करें । मान्यवर, हम चिल्लाते हैं । बात सही है । हमें दुख होता है, हम नियम के विपरीत काम करने लगते हैं । हम नियमों के विपरीत क्यों हो जाते हैं । इसमें हमें क्या मजा मिलता है । चार आदमी खिलाफ बोलते हैं, चार आदमी माफिक में बोलते हैं । जिम्मेदारी केवल हमारी ही नहीं है बल्कि सबकी है । चेयर की जिम्मदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है और शासन की भी जिम्मेदारी है । निलम्बन करने का कानून क्यों बनाया गया ? इसलिये बनाया गया कि जब कानून का सहारा न मिलता हो टेक्नीकलिटीज के आधार पर काम न हो सकता हो और उसके आधार पर शासन बाजी मार ले जाय । इसीलिये निलम्बन का नियम रखा गया कि एक तो न्याय न मिल सकता हो उसके आधार पर और टैकनीकैलिटीज के आधार पर खत्म न हो जाय । जब तिवारी जी बोले तो पोल खुल गई । मैं उनकी बात पर आ रहा हूं । वह टैक्नीकैलिटीज के आधार पर हमारे मुकदमें को खारिज करना चाहते हैं इसलिये मेरी आप से विनम्र प्रार्थना है कि न्याय का संरक्षण करने के लिये आप इसको स्वीकार करेंगे या टैक्नीकैलिटिज के आधार पर इसको खारिज हो जाने देंगे ।

मान्यवर, प्रजातंत्र की यहां पर बड़ी दुहाई दी जाती है । प्रजातंत्र के दो पहिये हैं एक तो आप हैं । दूसरा पहिया हम हैं चाहे छोटे पहिये हैं । कल बड़े सुन्दर शब्दों में भूमिका बांधी गई । जब मुख्य मंत्री जी बोलते हैं तो इस तरह की बात कहते हैं कि मैं तो परास्त हो जाता हूं । ऐसी ही बात तिवारी जी के लिये भी है । मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि लेश मात्र भी वह पालन करते हैं । एक उदाहरण माननीय निक्सन का है । वह मोस्ट पावरफुल मैन था लेकिन एक ही वाटरगेट कांड के कारण नीचे चला गया । यहां एक नहीं अनेक वाटर गेट कांड होते रहते हैं और किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती । मैं नहीं कहना चाहता हूं कि यह मारुति कांड है या क्या कांड है। अमरीका का एक मामला जनता के के सामने आया । उसने केवल शंका के ऊपर अपने पद से इस्तीफा दे दिया । सारे देश में उसके यहां गड्ढे हो गये थे । उसकी जगह उसने इमारतें खड़ी कर दीं । लेकिन उसने अपने पद की चिन्ता नहीं की, उसने कुर्सी से चिपका रहना पसन्द नहीं किया और इस्तीफा देना पसन्द किया । इन बातों का मुकाबला कीजिये ।

मान्यवर, एक अजीब चीज आपके सामने है । हमें इनसे न्याय नहीं मिल सकता है । हमें इमानदारी में शक है । हमने यह चीज आपके सामने रखी । मैं कह रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ी कृपा की और कहा कि विरोधी दल के लोगों को हम सी0आई0डी0 की रिपोर्ट दिखा सकते हैं । दूसरी बात उन्होंने हमारी उस समय तक मानी नहीं थी कि हम कहते थे कि हम केवल रिपोर्ट देखने के लिये तैयार नहीं हैं । हमने कहा था कि हमें फाइल देखने को मिलनी चाहिये । फाइल ही सारे अर्थ और अनर्थ का सूत्रपात होती है । हम एक ऐसे मुख्य मंत्री के बारे में कह रहे हैं जिसका तस्करी में हाथ होना दिखाई दे रहा है । जब इस प्रकार की विरोधी दलों की शंका है तो उसको मिटाना चाहिये । आपके हाथ में बैलेंस है । आप सबक सामन कह सकें कि विरोधी दल सच कहते हैं या झूंठ कहते हैं, इससे अच्छा और कोई अवसर नहीं मिलेगा । अगर आपने नियम का निलम्बन किया और यह देखा कि विपक्षी असहाय है जैसे पानी लाइन के अन्दर चलता है और मजबूर होकर इधर उधर हो जाता है वही स्थिति आज विपक्ष की हो गई है आज डिमोक्रेसी में हमको विश्वास नहीं है, आज हमको उसकी चिन्ता नहीं है, जिस तरह से इनकी डिमोक्रेसी बनी हुई है, उसे चलना चाहिये । ये कहते हैं कि साधन गलत है, जैसे हम वहां पहुंचेंगे ठीक कर लेंगे । हमारे

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

लिये मान्यवर, देखना है कि जस्टिस पर हम किस तरह से पंहुचते हैं । मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमें पब्लिक के सामने संदेहों को दूर करने के लिये अवसर दें । मान्यवर, यह कमेटी बने । यह तभी बन सकती है जब कि नियमों का निलम्बन हो तो मान्यवर, जब नियमों का निलम्बन करेंगे तब हमें फाइल देखने का अवसर मिलेगा । आज मान्यवर, यह प्रथम अवसर होगा इस सदन के इतिहास में कि आप न्याय की रक्षा में, आप इस नियम का निलम्बन करेंगे ।

*श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस मसले को चौधरी साहब और हमारे साथी ने उठाया है उसे सुनने के दौरान में कुछ शब्द आप नियमों के बारे में कह रहे थे, तो मुझे, 'ला इज एक ऐश' याद आ गया । आया आप इस मसले पर पर्दा डालना चाहते हैं या चाहते हैं कि न्याय हो इतना बड़ा वाटर गेट कांड अमेरिका में हुआ और निक्सन का क्या हश्र हुआ । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि आखिर हमारे सामने चारा क्या है । कोई बात मुनासिब भी अगर रखी जाय और न मानी जाय तो या तो हम यह तय कर लें कि आज से हम सदन आयेंगे ही नहीं । आप बैठें, चलायें सदन या आपको फैसला करना पड़ेगा एक उदाहरण आपके सामने है वाटर गेट कांड का । दुनियां भर की ताकत निक्सन के हाथ में थी, मगर जजेज का जो फसला हुआ, वह सबको मालूम है । आप सुप्रीम जज की हैसियत से यहां पर बैठे हुये हैं । एक मामला उठाया गया, मुख्य मंत्री जी नहीं माने । जहां तक मुझे याद है कि अब जब आपके यहां बैठक हुई थी, तो मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि जैसे पार्लियामेंट में विरोधी दल वालों की एक कमेटी बनाई गई है, उसी तरह से यहां पर भी एक कमेटी बना दी जाय या विरोधी दल वालों की एक बैठक करके जो उससे सम्बन्धित फाइल है, उसे देखने के लिये कहा था । उसी तरह का मसला चौधरी साहब ने उठाया है । तो हम कहना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि इन्साफ हो, या आप जो इससे मुतालिक आदमी हैं, उसे सजा हो, या आप उस पर पर्दा डालना चाहते हैं । इन सब सवालों को तथा माननीय मुख्य मंत्री की दिक्कत को देखने वाले आप हैं और जब ऐसी सूरत आ जाय तो कोई रास्ता आपको निकालना होगा । तो अगर रास्ता न निकलेगा तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि हम छोटे-मोटे कर्मचारियों की गर्दनें तो नाप दी जाती हैं परन्तु जो बड़े-बड़े लोग हैं, घड़ियाल हैं, उनके बारे में आप क्या करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम का निलम्बन किया जाय या न किया जाय, इसका फैसला आप करेंगे । लेकिन जैसी कल चर्चा हुई, वह तो अखबारों म छपी हुई है...

माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को मानते हैं कि घोटाला लाखों रुपये का है । इन्टेलीजेन्स से इन्क्वायरी की गयी । इन्टेलीजेन्स की रिपोर्ट खुफिया रखी गयी या नहीं । अगर खुफिया रखी जायेगी तो क्राइम का पनिशमेंट कैसे और कौन करेगा । यह तो क्राइम की बात हुई लेकिन इस सदन के सामने यह तथ्य आना चाहिये कि हम किन हालातों में इस घोटाले में फंसे और किन हालातों में लाखों रुपया लोगों ने बनाया और उनके नाम रिपोर्ट में भी नहीं आये । आप इस बात को ध्यान में रखें कि नेता विरोधी दल ने अभी तो यह धमकी नहीं दी है कि वह यहां पर सत्याग्रह करेंगे । अगर आप नियम निलम्बित नहीं करेंगे तो क्या होगा ।

(व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

आप सुप्रीम कोर्ट में रिट कर दीजिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

वही होगा जो श्री मोरार जी देसाई ने पार्लियामेंटमें किया था । आपका फैसला बिलकुल साफ है । आपके नेता श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने कहा कि मैं पार्लियामेंट से इस्तीफा देना चाहता हूं । क्योंकि यहां पर बहुमत से निर्णय होते हैं । प्रजातंत्र की प्रणाली को चलाना है, तो हमें कुछ चीजों का फैसला यहां पर करना चाहिये । इसीलिये मैंने सुबह ही कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा था । कार्य-स्थगन का मतलब है कि सब कार्य रोक कर उस पर कार्यवाही होनी चाहिये इस प्रजातंत्र के बारे में क्या रवैया है । आवाहन तो हो चुका है । बिहार टाइप आन्दोलन चले, असेम्बली तोड़ी जाये । आप इस तरह से असेम्बली को आगे ले जाना चाहते है । गोरखपुर का जिला परिषद जलाया गया, लखनऊ का विश्वविद्यालय जलाया गया। 26 लाख जमा करने के लिये निकले लेकिन 18 लाख खा गये । सम्पूर्ण क्रांति का जो नक्शा जय प्रकाश जी ने समझा है, अगर चौधरी साहब प्राइम मिनिस्टर हो जायें तो क्रांति हो जायेगी, लेकिन क्या इस वक्त शासक दल का विरोधी दल नहीं होगा ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गर्ग साहब कह रहे हैं उससे तो केवल एक बात समझ में आ रही है कि--

हमको सितम अजीज, सितमगर को हम अजीज,
नामेहरबां नहीं है, अगर मेहरबां नहीं ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने एक प्रस्ताव आपके सामने रखा है, उसके संदर्भ में मैं 2-3 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मख्य मंत्री और शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । भाई गर्ग जी ने जो उनकी आदत है, हिन्दुस्तान में सत्ता पक्ष की बैसाखी बनने की जो वकालत सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, वही यहां भी की है, जो उनके दल की आदत है । 1942 से चाहे अंग्रेज कुर्सी पर रहे हों या कांग्रेस कुर्सी पर रही हो, उनका काम शुरू से जो रहा है, वह करते रहेंगे ।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे यह बाजरा स्कैन्डल हो, गेहूं स्कैन्डल हो या धान का स्कैन्डल हो । अभी यहां पर वाटर गेट कांड की बात आई थी । वह क्या है ? केवल छोटा सा कांड था । उसमें केवल इतनी बात थी कि रिपब्लिकन इलेक्शन आफिस में जो टेलीफोन था, उसको टेप किया गया था, केवल यही एक मामला था और यही मामला अदालत में गया, तो निक्सन साहब को इस्तीफा देना पड़ा । यह जो स्कन्डल हुआ, यों तो देश और प्रदेश में बहुत से स्कैन्डल चल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे सार्वजनिक जीवन छिपा हुआ है, कुछ एस लोगों का मामला है जो सार्वजनिक कार्यकर्त्ता है, जो दल विशेष के नता हैं, जो यहां के मुख्य मंत्री रह चुके हैं ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हालांकि भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, आखिर वे कौन से तरीके हैं, वह कौन सा पैमाना है जिसे आप अपनाना चाहते हैं । आपसे मेरा अनुरोध है कि हमारे ये जो सत्ता पक्ष के मुख्य मंत्री हैं वे भ्रष्टाचार का जो करिश्मा है, जो काली चादर है, उसको उठायें और उसके नीचे जो बड़ा मुर्दा छिपाये हुये हैं, उसको सामने लायें । केन्द्र में क्या हुआ, जो लाइसेंस स्कैन्डल तुल मोहन राम द्वारा हुआ, उसमें साफ हुआ कि एक ने दूसर के और दूसरे ने तीसरे के और तीसरे ने चौथे के दस्तखत किये । इस प्रकार बीसियों लोगों न बीसों दस्तखत किये । श्री जगत नारायण मिश्रा जिसे बिहार में नकद नारायण कहते हैं, यहां भी कोई पंडित इसमें पड़ा हुआ है । जिस प्रकार से संसद (पार्लियामेंट) के

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

सामने सारी बातें आईं, नियमों और कानूनसे हम नहीं डरते हैं। जो सार्वजनिक जीवन पर पर्दा डालते हैं, उन कानूनों को तोड़ने के लिये हम यहां पर आये हैं। चाहे ये किसी कानून और नियमों की दुहाई देते हों लेकिन अगर वे भ्रष्टाचार पर पर्दा डालते हों, भ्रष्टाचार को बढ़ाते हों, सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के अनैतिक कार्यों पर पर्दा डालते हों तो निश्चय ही हमें उनको तोड़ने का अधिकार है। इसलिये मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी से कि, यह किसी दलगत का आधार नहीं है, यह 10 करोड़ लोगों के चरित्र की बात है, वे बतायें कि अगर उनके पास कोई रिपोर्ट है तो उसके पीछे कौन-कौन लोग हैं। हो सकता है कि किसी सार्वजनिक कार्यकर्त्ता जो किसी भी दल के नेता हों इसमें उनका नाम बेमतलब खींचा जा रहा है। हो सकता है कि वे न हों, तो जब तक पूरी चीज सदन के सामने नहीं आती है, तब तक मामला वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है कि चौधरी साहब और हमारे अन्य नेताओं ने जो प्रस्ताव रखा है, कि जो स्कैन्डल का सारा मामला है, चाहे वह धान का हो, चाहे बाजरे का हो, उस सम्बन्ध में जो भी दस्तावेज सरकार को प्राप्त हुई है, या सी० आई० डी० की जो रिपोर्ट, शासन को उपलब्ध है, वह सदन के पटल पर रखी जाय, अगर वे कोई सदन के सदस्यों की कमेटी बनाने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि अगर कोई कमेटी बनाना सरकार के लिये संभव न हो तो, सारे पत्रों को सदन के पटल पर रखा जाय ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष नियम 111

(व्यवधान)

में आपके माध्यम से नेता विरोधी दल से आग्रह करना चाहता हूं कि हो सकता है कि मेरी बात उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है उसके विपरीत हो। जनतन्त्र में विरोधी विचारों को सुनने का जरा धैर्य तो रखिये। आप घबराते क्यों हैं ?

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

आपके नियम से मुख्य मंत्री गड्ढे में जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामायण राय—

आपके सामने एक नियम के निलम्बन का प्रस्ताव रखा गया है लेकिन प्रक्रिया नियमावली के नियम 11 के मुताबिक कोई भी विषय जो सदन में उठाया जा चुका हो 6 महीने तक वही विषय पुनः नहीं उठाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)—

आप तो यह बताइये कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये कौन नियम है।

श्री रामायण राय—

नेता विरोधी दल ने इस नियम का बहाना लेकर पुनः इस सवाल को उठाया है। एक ओर तो उनकी ओर से कहा जाता है कि हम नियमों का बहुत आदर करते हैं, हम नियमों के अन्तर्गत ही कोई वाद विवाद करना चाहते हैं और जब कोई नियम की बात की जाती है तो उनके पीछे बठने वाले लोग दूसरे की बात सुनने का भी धर्य नहीं रखते हैं।

(व्यवधान)

श्री धीरेन्द्र सहाय---

नियम को मानने के लिये तैयार हैं लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार को रोकना नहीं चाहते हैं तो हम उसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री रामायण राय---

इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा कि जनता ने मुझे यहां अपनी बात कहने के लिए भेजा है और आप मुझे कहने नहीं देते हैं ।

श्री धीरेन्द्र सहाय---

यह नाटक यहां होने से क्या फायदा ?

श्री रामायण राय---

जिस समय नेता विरोधी दल इधर बैठे हुये थे वह भी जमाना देखा है मैंने ।

(व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे---

रामायण राय जी का कहना है कि वही प्रस्ताव पुनः नहीं आ सकता ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

बोलने की आजादी का मतलब गलत बोलने की भी आजादी ।

श्री रामायण राय--

कहा जा रहा है कि इतना बड़ा घोटाला हो गया और अगर सदन के अन्दर सारे कागजात पेश नहीं किये जायंगे तो शायद अपराधियों को, उधर के लोगों के विचार से, सही दंड नहीं मिल सकेगा । तो जनतंत्र में असली दंड तो जनता दिया करती है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह जनतंत्र है और ....

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

यह जिन्न तंत्र है, जनतंत्र कहां है ।

(व्यवधान)

श्री रामायण राय---

चौधरी साहब के जमाने में क्या हुआ, उसकी पुनरावृत्ति मैं नहीं करना चाहता । लेकिन इतना आग्रह करना चाहता हूं कि बहुत से लोग उधर ऐसे हो सकते हैं जिन पर 302 व 395 जैसी दफाओं के अन्तर्गत मुकदमें चल रहे हैं । (व्यवधान) हमारे एक दोस्त ने कल कहा था, कल शाम के अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, जय प्रकाश नारायण जी की जय जय कार के .....

(व्यवधान)

एक सदस्य---

उन्हीं की जय जय कार करके आप जीत कर आये हैं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

आपने कहा कि इधर 395 वाले लोग हैं, आपके बारे में गालिब ने एक शेर कहा है--- इन्सानियत की बात तो इतनी है शेख जी, बदकिस्मती से आप भी इन्सान बन गये ।

श्री रामायण राय---

आपके बारे में सब जानते हैं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

आप तो साम्प्रदायिकता को भड़का कर चुनाव जीत कर आये हैं ।

(व्यवधान)

श्री रामायण राय---

अगर विरोधी पक्ष चाहता है कि सही मानी में अपराधियों को सजा मिले, तो वह संबंधित कागजातों को सदन में पेश करने के लिये क्यों कह रहा है, उससे तो अपराधियों को मदद मिल जायगी (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री ने तो खुद कहा है कि विरोधी पक्ष के नेता कागजात को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं । फिर जो नियम हैं उनको भी देखना चाहिये । उसके अन्तर्गत दुबारा वही विषय पर जिस पर चर्चा हो चुकी हो नहीं आ सकता 6 माह तक । (व्यवधान) मुझे तो आज सुबह सूचना मिली थी कि आप लोग असेम्बली का हमेशा के लिये बायकाट करने जा रहे हैं (व्यवधान) तो मेरा निवेदन है कि नियमों के अनुसार यह विषय अब नहीं लिया जाना चाहिये ।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल ने आज फिर उस प्रश्न को उठाया है जिस पर सदन ने कल दिन भर चर्चा की थी और प्रश्न उठाते हुए उन्होंने कई मुद्दे पेश किये कि रास्ता क्या है जिससे गड़बड़ी बाहर हो सके, या बाहर निकल सके । उसको पर्दाफाश करने का रास्ता उनके खयाल से इसके सिवा कुछ और नहीं रह गया कि इस हाउस में वह फाइल या कागज सम्बन्धी रिपोर्ट रखी जाय और उस पर बहस हो । मेरा निवेदन यह है कि चूंकि इस हाउस को पावर आफ कंविक्शन नहीं है, चूंकि यह हाउस सजा नहीं दे सकता और एकमात्र सजा, जैसा कि चौधरी साहब ठीक ही समझते हैं कि आम जनता के सामने चेहरा बेनकाब हो जायेगा गलत आदमियों का । उसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते । इसके लिये कोर्ट आफ ला है, वही इस काम को कर सकता है । जब उसको सजा हो जायेगी तब उसका चेहरा दूसरों के सामने आ जायेगा क्योंकि कोर्ट का फैसला हो जाने के बाद सीक्रेट डाकुमेंट नहीं रह जायगा । लेकिन जब हम इस सदन में बहस करेंगे तो बहस करने में एक दूसरे के सामने बातें आयेंगी और जब यहां बहस होगी और सारी चीजें पढ़ी जायेंगी और कही जायेंगी तो वे छपेंगी भी क्योंकि जाहिर है कि सदन में बात होने पर वे उसे छापने के हकदार हो जायेंगे और इस तरह से हो सकता है कि कुछ चालाक लोग जो इस गड़बड़-घुटाले से सम्बन्धित हों इसका फायदा उठावें । क्योंकि चर्चा में बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिनसे जनहित न होकर अहित होने का डर रहेगा ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब ने ठीक कहा कि कमीशन आफ इनक्वायरी को पावल चीफ मिनिस्टर जब कहेगा तब एक्सरसाइज होती है । हम प्राइमाफेसी अगर कनविन्स्ड हों कि अमुक व्यक्ति या मंत्री इससे सम्बन्धित है तो हम अपनी राय इधर या उधर दे सकते हैं लेकिन सच्ची बात तो यह है कि कल हमने काफी मुंह बन्द करके, काफी जब्त करके दिन भर बहस में हिस्सा लिया । कहा गया कि इसमें बड़ा भारी घुटाला हुआ है लेकिन हमने उस पर अपनी राय इसलिये नहीं दी कि कहीं ऐसा न हो कि लोग प्रिज्यूडिस हो जाय

और अधिकारी या और लोग हमारी राय जान जायं कि हमारा मकसद क्या है। इस तरह से सच पूछा जाय तो कल हमें बड़ा डिसऐडवान्टेज रहा लेकिन शासक दल को डिस्एडवांटेज में रखना विरोधी दल का कर्त्तव्य है और वह करता भी है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। हमारा पक्ष बहुत मजबूत होते हुए भी स्पष्टवादिता के साथ बहुत सारी बातें करने की आवश्यकता हमने नहीं समझी। माधव बाबू की मैं बहुत इज्जत करता हूं। चौधरी साहब तो नहीं लेकिन वे बार बार कहते रहे कि यहां के मंत्री, वहां के मंत्री, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर अलग से पत्र लिख कर बतला दें कि किस पर उनका इशारा है, किस आदमी को वे समझते हैं कि इस घुटाले में उसने कोई हिस्सा बटाया है। इसकी उनको जानकारी होगी। और मैं उनको विश्वास दिलाता हू कि वह कागज मैं सी० आई० डी० को भी जांच के लिये दे दूंगा कि वह देख लें कि वह आदमी उस क्राइम की परिधि में आता है कि नहीं आता है। लेकिन एक आम बात कहते जाना और कहते कहते इतनी दूर तक चले जाना कि वह सारे लोगों के मन पर यह प्रभाव डाले--उस दृष्टि से तो आपके लिये यह ठीक है क्योंकि विरोधी दल का यह मुख्य कार्यक्रम है, एक प्लान है कि संसद के बाहर और यहां भी भ्रष्टाचार का नारा बुलन्द करना चाहिये। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिये आपके मन में बहुत ज्यादा उत्साह ह, होना भी चाहिये। लेकिन बदकिस्मती से हम यहां बैठे हैं या खुशकिस्मती से बैठे हैं, यह तो इतिहास निर्णय करेगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो प्रस्ताव आज आया है और जो चार्ज लगाये जा रहे हैं कि तत्कालीन मुख्य मंत्री ने कोई परमिट दिया था। तत्कालीन मुख्य मंत्री ने परमिट की एप्लीकेशन जो उनके सामने आयी थी उससे संबंधित विभाग को भेज दी थी जैसा कि हर एक मंत्री किसी पत्र को संबंधित विभाग को भेजता है।

चौधरी चरण सिंह--

इस जगह पर यह सवाल आता है। क्या आप आर्डर के जो लब्ज हैं, अगर फाइल हो तो पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं निवेदन कर रहा हूं कि वह फाइल सी० आई० डी० को दे दी है। उसमें परमिट के अलावा वह मूल पत्र भी है। जो आदेश आर० एफ० सी० को लिखा था वह भी उसी फाइल में मौजूद है। वह पूरी फाइल इसलिये दी गयी है कि अगर वह महसूस करें कि कोई दूसरा भी, बड़े से बड़ा व्यक्ति इस परिधि में आता है तो उसको भी देखा जा सके।

चौधरी चरण सिंह--

नहीं, इस तरह से जरूरी फाइल नहीं दी जाती है। जो सी० आई० डी० के अफसर थे उनको बुला कर फाइल दिखायी जा सकती थी। इतनी महत्वपूर्ण फाइल नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा किस स्टैन्ड पर आप यह कहते हैं। आप आर्डर की बात बतायें ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

तत्कालीन मुख्य मंत्री ने, उस नोट में, भाव नगर की एक समिति कोई बनकर आयी कि हम वहां पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे गुजरात में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के सिर पर मौत नाच रही है यह सब कहा। तत्कालीन मुख्य मंत्री ने कहा कि गुजरात की स्थिति खराब है और यह एक हजार टन इस सोसाइटी को दे दिया जाय।

(शोर)

आप लोग मेरी बात सुन लें। यह बात मैं आपसे इसलिये कह रहा हूं कि इसकी बहुत सी मूल बातों में मैं जाना नहीं चाहता हूं। क्योंकि इससे आगे की कार्यवाही में बाधा पड़ेगी।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

इसमें मैं किसी व्यक्ति का नाम लूं, वह पकड़ में आये या उसके उस पर मुकदमा चले तो मुकदमा आदि चलने में इससे कठिनाई होगी। इसलिये मैं कुछ आगे नहीं कहना चाहता। किसी मंत्री, किसी सदस्य या किसी केन्द्रीय मंत्री के संबंध में अगर कुछ तथ्य हों और आपके सामने आये हों और किसी का उसमें हाथ रहा हो तो चौधरी साहब आप या माधव बाबू, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास इस संबंध में कुछ तथ्य हों, आप इन तथ्यों को मेरे पास भेज दें, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जो जांच की जा रही है उसमें इन तथ्यों को मिला लिया जायगा।

जहां तक इसमें कांग्रेस दल के किसी सदस्य का हाथ होगा तो जैसा अभी हाल ही में, हमने तुलमोहन राम को उनकी गड़बड़ी करने पर मुअत्तल किया है, अगर ऐसा किसी सदस्य ने घपला किया होगा, अगर गड़बड़ी की होगी तो वह आगे आयेगा और हमारे ईमान का इम्तहान इस सदन को फिर मिलेगा और यह सदन देख लेगा कि हमने क्या क्या किया। लिहाजा इसी बात को बार-बार करने में कोई खास लाभ नहीं है सिवाय इसके कि कुछ धूल बराबर आसमान पर डालते रहें। धूल आसमान पर डालने से अगर यह सोचा जाय कि आसमान साफ दिखेगा तो वह साफ नहीं होगा बल्कि वह और धुधंला दिखेगा। क्योंकि कोर्ट के सामने कोई चीज छिपी नहीं रहेगी। हम भी यह नहीं कह सकते कि तत्कालीन मुख्य मंत्री के आदेश को हम पेश नहीं कर सकते। इसलिये मैं सभी विरोधी दल के माननीय सदस्यों को, चौधरी साहब, आपके द्वारा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी नियत बिल्कुल साफ है। हमारे गर्ग साहब या फासिज्म से डरते हों या किसी और चीज से डरते हों लेकिन मुझे डर किसी चीज का नहीं है। सारी बातों का निर्णय भविष्य अपने आप करता चला जा रहा है। मुझे इस नियम के निलम्बन के ऊपर कोई आपत्ति नहीं होती यदि इससे कोई पब्लिक पर्पज हल होता। विरोधी दलों के नेताओं से कह दिया कि 15 तारीख को जो इन्टेलीजेन्स विभाग की रिपोर्ट आयी है यदि उसको वह देखना चाहते हैं तो वे देख सकते हैं। मैं आपसे अलग से कहता था कि यदि कोई नोट बनाना चाहते हैं तो वह नोट कर सकते हैं। मैं कहने के लिये तैयार हूं कि आपसे और सदन से इस संबंध में कोई बात छिपायी नहीं है। चौधरी साहब फाइल न तो इस सदन में रखी गयी है और न रखी जायेगी।

चौधरी चरण सिंह--

मेरा नाम क्यों लेते हैं। मुझ पर कृपा रखें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आपका नाम क्यों न लूं। आपके प्रति आदर रखते हुये कुछ बातें ऐसी हैं जिनको कहना पड़ता है उत्तरदायित्व निभाने के लिये। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जाता हूं। जब आप यह कहते हैं कि प्रशासन तुम्हारा ठीक नहीं है तो मैं संतोषपूर्वक उसको सुन लेता हूं। मैं बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि जब विरोधी दल को सम्बोधित करूं तो आप लोग भी धैर्य से सुन लिया करें। इसलिये आप लोग विरोधी दल की आज्ञा से इस प्रस्ताव को प्रेस न करें और अदालत तक सजा पाने का इन्तजार करें।

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ओम प्रकाश शर्मा कौन है, कहां का रहने वाला है। यह बतला दें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, चौधरी साहब को सूचना के तौर पर बता रहा हूं कि यदि वे चाहेंगे तो उनको सूचना पूरी तौर से दे देंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, यह दोनों व्यक्ति एक साथ रह चुके हैं और आपस में रिपोर्ट देखें तो यह में बरदाश्त नहीं कर सकता हूं। इसलिये मैं भी रिपोर्ट को देखूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, मैंने यह कहा था कि और नेता तथा विरोधी दल के नेता दोनों को। माधव बाबू को चौधरी साहब और न मैं ही छोड़ूंगा। हम उस दिन का इन्तजार करेंगे जिस दिन चौधरी साहब की मनोकामना पूरी हो और सब दल टूटकर चौधरी साहब के दल में शामिल हो जायं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह इकट्ठा दल खरीदना चाहते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आप डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना चाहते हैं और चौधरी साहब पूरी खिचड़ी पकाना चाहते हैं।

मान्यवर, ओम प्रकाश शर्मा एक प्राइवेट व्यक्ति है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, जो कि बाजरा कांड में शामिल है।

चौधरी चरण सिंह--

पूरी तरह सूचना दीजिये। फाइल देखी है कि नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

फाइल देखी है। मैं उसको पब्लिकली नहीं कहना चाहता हूं। मैं आपको और विरोधी नेताओं को बतला दूंगा।

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, एफ० आई० आर० में नाम होते हैं। तो आप बतायें कि वह कौन व्यक्ति है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैंने यह अर्ज किया था कि मैं उस आदमी का जो इस केस में किंगपिन है जानबूझ कर नाम नहीं बतलाना चाहता हूं। प्राइवेटली मैं उसको बतला सकता हूं।

चौधरी चरण सिंह--

नाम तो एफ० आई० आर० में आ गया है। यह पब्लिक डाकुमेंट है।

(व्यवधान) ....

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

यह सारा का सारा केस वहीं रह जावेगा तो ओम प्रकाश शर्मा का नाम आना चाहिये अगर नहीं बतलाया जावेगा तो निश्चित रूप से उसके जीवन को खतरा है। इस बाजरा और धान कांड में केन्द्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार तक शामिल है। जब आप प्रस्ताव मानने के लिये तैयार नहीं हैं तो यह बात निश्चित मानी जावेगी। इसकी जानकारी इस सदन को होना चाहिये।

*श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ)---

आज इस मुल्क का सांचा यह विधान सभा है । अगर लोकतंत्र को बचाना है तो जो भी चीजें हो सामने आनी चाहिये। कल एक माननीय सदस्य ने चौधरी साहब की धर्मपत्नी का जिक्र कर दिया तो मैंने कुछ गुस्से में कह दिया तो मुझे उसके लिये अफसोस है । लेकिन यह नौटंकी करने की जगह नहीं है । जिस तरह का वातावरण देश में होता है वैसा ही यहां भी किया जाता है । ग्रेट बिट्रेन में गृह मंत्री को झूठ बोलने पर डेबलिन ने मुंह पर चांटा मार दिया था । जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि अगर उन्होंने दुबारा झूठ बोला तो मैं फिर चांटा मारूंगी । यहं सारा सदन यह जानना चाहता है कि इसमें कौन कौन लोग ह जिससे सरकार उनको बचा न सके । मैं गलत आरोप लगाना नहीं चाहता लेकिन आज इस देश में किसी आदमी के पढ़े लिखे होने या उसके काबिलियत की इज्जत नहीं है अगर वह दरबारगीरी नहीं कर सकता है । मामूली से मामूली आदमी भी चार आने का मेम्बर होकर दुनियां के सुख भोग सकता है, सुविधायें ले सकता है अगर वह बड़े नेताओं के निकट है । इस तरह से आज देश की राजनीति चल रही है । मैं बहुगुणा जी की इज्जत करता हूं क्योंकि उन्होंने आजादी की लड़ाई में शिरकत की है लेकिन जो यशपाल कपूर हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिये क्या किया है । सिर्फ वह प्रधान मंत्री के साथ तिकड़म करना जानते हैं । सिर्फ इसी तरह का, जो कांड आज हुआ है, वह घोटाला करते हैं, प्रधान मंत्री के नाम पर बेईमानी करते फिर रहे हैं और इतने बड़े-बड़े कांडों में इनवाल्व हैं । जब यह स्थिति है और आज देश के इतने बड़े बड़े लोग इस तरह के स्कैन्डल में इनवाल्व हैं, तो कोई पुलिस, सी० आई० डी० और अदालत इस देश और प्रदेश में न्याय नहीं दिला सकती । इसलिये अगर विरोधी पक्ष के लोग इस मांग को छोड़ देते हैं तो हम सभी लोग गलत कहें जायेंगे । हम सरकार को सिर्फ बदनाम करने के लिये नहीं इस मांग को कर रहे हैं, बल्कि इस देश और प्रदेश के न्याय को बचाने की मांग कर रहे हैं । और ऐसा करने में अगर हम सफल हो सकते हैं तो वह है कि इस सदन के मंच से सफल हो सकते हैं और इतने खतरनाक लोगों के काले कारनामों का पर्दाफास कर सकते हैं । इसलिये मेरा विरोधी दल के लोगों से अपील है कि अगर ये उचित जबाब नहीं देते मैं धमकी नहीं देता--तो हम उसके लिये आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे । मैं तो मुख्य मंत्री जी से कह रहा हूं कि कोई आयोग ऐसा बनाया जाय जिसमें सभी मंत्रियों के बारे में (मंत्रियों ही नहीं विधायकों के बारे में भी) जांच हो कि चुनाव के पहले और एम०एल०ए० बनने पर या मंत्री बनने पर उसकी क्या सम्पत्ति हो गयी । मैं पुनः अपने विरोधी पक्ष के साथियों से कहता हूं कि अगर सदन के इस काम को करने में अगर सफल नहीं होते, तो विरोधी दल के सदस्यों को बिना अपनी सालीनता की परवा किये (मैं नहीं कहता कि कोई झगड़ा फसाद हो या मारपीट हो) अपनी मांग के लिये लड़ना है, जिस रास्ते को हमारे गांधी जी ने बताया था । गांधी जी ने कहा था कि हाउस आफ कामन्श वेश्यालय हैं । तो अगर आज हमारी बात इस सदन में नहीं मानी जाती, तो यह सदन एक वैश्यालय से भी घटिया जगह हो जाती है । इसलिये हमें इन लोगों के साथ कोई काम नहीं चलने देना है, जब तक ये हमारी बात नहीं मानते ।

*श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)---

मान्यवर, हम सभी लोग कल से इस बाजरा कांड में विभिन्न वक्ताओं को सुन रहे हैं और यह बड़ी दुखद बात है कि ऐसे कांड प्रदेश में आज हो रहे हैं, अगर यह सही है तो । लेकिन एक बात जरूर है कि हम और आप जब यहां बैठे हुये हैं तो इस मामले को दोनों पहलुओं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से विचार करने के लिये बाध्य हो जाते हैं । पहला पहलू तो यह है कि क्या हमारी मन्सा राजनैतिक वातावरण में कुछ लोगों को बदनाम करने की है या कि जो लोग इसमें इनवाल्व हैं,

(इस समय 2 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुये ।)

उनको दंड दिलाना है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यदि हम न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमें सोचना है कि न्याय पालिका कहीं अपने कामों को करने में विचलित न हो जाय । बहुत सी बाते हैं ऐसी इस देश और प्रदेश में । गांधी जी का कत्ल हुआ । न्यायपालिका के सामने केस गया । नानावती केस हुआ, न्यायपालिका के सामने गया । इंदिरा गांधी के खिलाफ पिटीशन आज न्यायपालिका के सामने है, क्योंकि देश की प्रधान मंत्री हैं इसलिये मैं नहीं समझता कि न्यायपालिका पर हम क्यों विश्वास न करें और जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा . . .

श्री गंजी प्रसाद (जिला वाराणसी)--

न्यायपालिका की बात यह सत्तारूढ़ दल नहीं मानेगा ।

श्री प्रेम दत्त--

मुख्य मंत्री जी ने कल और आज भी घोषणा की है और मैं समझता हूं कि हमको मुख्य मंत्री के कहने पर विश्वास करना चाहिये कि जो लोग इनवाल्व हैं उनको सरकार बक्सेगी नहीं । जब वे दंडित हो जायेंगे तो उनकी इमेज समाप्त हो जायेगी और कार्यपालिका और न्यायपालिका का एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं खतरे में पड़ेगा क्योंकि जो डिवेट चल रही है, उससे न्यायपालिका के सामने यह बात आयेगी कि उस पर से हम लोगों का विश्वास उठ रहा है । विधान सभा का मैं समझता हूं विधान सभा को ऐसा कार्य करना चाहिये । जिससे न्यायपालिका को भी अपने पर अविश्वास हो जाय । मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को वापस लिया जाय और यह आशा की जाय, विश्वास किया जाय कि जो लोग दोष के भागी हैं उनको अवश्य दंड मिलेगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, अभी चौधरी साहब ने पूछा था कि उसका नाम बतलाइये कौन है । इस सदन के अन्दर सभी माननीय सदस्यों की भी मंशा ऐसी लगती है कि नाम बतला दिया जाय और पूरा पता बतला दिया जाय । मैं सूचनार्थ बतलाये देता हूं उसका नाम है ओम प्रकाश, पुत्र मदन लाल, गली चूना वाली, जिला मथुरा ।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोन्डा)--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री ने विरोधी पक्ष की भावना को देखते हुये यह बता दिया कि ओमप्रकाश शर्मा कौन है और कहां का रहने वाला है । इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं । लकिन माननीय मुख्य मंत्री जी जब यह दलील देते हैं कि उसका नाम अगर विधान सभा में ले लग तो मानो वह आदमी भाग जायगा, दुनिया से हट जायगा और वह कोई केस नहीं चला सकेंगे तो एसी दलील देकर मैं समझता हूं वह हमारे दिमाग को पलटना चाहते हैं । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश शर्मा कोई भी शख्स हो लेकिन जब उसका नाम विधान सभा में आ ही गया तो इस कांड में ओम प्रकाश शर्मा एक ही आदमी हो सकता है, लिहाजा वह सतर्क हो जायगा । लेकिन जब इसी विधान सभा में मैंने बताया था कि जगजीवन राम जी का पुत्र पकड़ा गया है तो मुझे चुप कर दिया गया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

आज यह कहा जा रहा है कि हम नियम नहीं बदलेंगे और नियम के अनुसार हम कार्य करेंगे । हम भी चाहते हैं कि इस विधान सभा में कांस्टीट्यूशन मीन्स एडाप्ट कर के ही काम किये जायं और हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन मुझे सबसे बड़ी शर्म इस बात की है कि एक नहीं बीसियों उदाहरण ऐसे हैं जिनमें सारे नियमों को ताक पर रख कर कार्यवाही की गयी है और इस मसले में हमारे प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री इंवाल्व हैं। अभी चौधरी साहब ने कहा कि जब जन प्रतिनिधि इस मसले में इनवाल्व है तो यह वाजिब हो जाता है कि विधान सभा के सदस्यों की समिति जांच के लिये बनाई जाय । आज कांडों की भरमार हो रही है जैसे नागर वाला कांड, सत्या कांड, कोयला कांड और न जाने कितने कांड । इन कांडों के पीछे जनता की यह भावना रहती है कि आखिर ये कांड किसने कराये और कौन उनके लिय जिम्मदार है और वह जिम्मेदार व्यक्ति सामने आये । नियाज साहब ने ठीक ही कहा था कि पोलिटिक्स तस्करी होती है उसके लिये कोई कानून नहीं है जब कि और सबके लिये कानून बने हुये हैं और उनको जेल में डाला जा सकता है । जो पोलिटिकल तस्करी, बदमाशी, चोरी करते हैं और अपने पद का नाजायज फायदा उठा कर देश व प्रदेश में सब जगह भ्रष्टाचार फैलाये हुये हैं उनको पकड़ने के लिय आपने कोई कानून नहीं बनाया । उसके लिये चौधरी साहब ने कल जो प्रस्ताव रखा था वह बहुत अच्छा प्रस्ताव था लेकिन आपने उसे नियमों में उलझा कर यह कोशिश की कि यह मसला किसी तरह से टाल दिया जाय । मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी भावना भी आन्दोलन के खिलाफ है लेकिन आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि बिना इसके देश आगे नहीं बढ़ेगा । बड़ी खुशी की बात है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये आपके दिमाग में भी बात आयी है । दिल्ली में बैठी हुई इंदिरा गांधी भी तस्करों को पकड़ रही हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री चोर बाजारियों को पकड़ कर रखना चाहते हैं । हम आपक इस नारे का स्वागत करते हैं । इसके पीछे आपकी मंशा क्या है । इसे हम छोड देते हैं क्योंकि इन्होंने सफेद टोपी पहन करके देश को लूटा है। मैं यह डंके की चोट पर कहता हूं कि आपके यहां के बैठे हुये लोग यदि अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें तो किसी भी जिले का कोई विधायक आपका नहीं बचगा जो इससे इन्वाल्व न हो. . . (व्यवधान) . . .

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

यह कोई तरीका नहीं है कि आप हर एक सदस्य को चैलेंज करें । कोई विरोधी दल क सदस्य बताये . . . (व्यवधान) . . .

श्री अधिष्ठाता--

माननीय ईश्वरी सिंह जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें । आपको बोलने का मौका मिलेगा माननीय त्रिवेणी सहाय जी, आप अपनी बात समाप्त कर ल ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

जब सीलिंग में जमीन निकाली जायेगी और उसकी रिपोर्ट आयेगी तब पता चलेगा कि आप कितनी जमीन हड़पना चाहते थे । सबकी पोल खुल जायेगी । मैं कहता हूं कि आपके दल का कोई भी दमदार व्यक्ति है जो इस बात से इन्कार करेगा. . . आपको यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी । जयप्रकाश जी का आन्दोलन आ रहा है। आप कह रहे है वह आन्दोलन ऐसा है, वैसा है और वह मार्कसिस्ट है और सुभाषचन्द्र बोस को फासिस्ट कहते हो। तुमने क्या नहीं किया और आज बड़े वफादार दोस्त बनते हो। लेकिन फिर भी जय प्रकाश नारायण आयेगा। बहुगुणा जी इस बात का दम भरते हैं कि हम देखेंगे। आप क्या देखेंगे ? जब वह आयगा तो आपको मजबरन अपनी पोल खोलनी पड़ेगी। जहां तक नियमों का सवाल है

आप कहते हैं कि कोई नियम नहीं है । कल आपने यही कहा था कि नियमों में प्राविधान नहीं है । अधिष्ठाता महोदय, नियम हम बनाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिये कि नियम कहता है इसलिये स्वीकार नहीं किया जाता है । ऐसे नियम बनाने चाहिये जिससे देश का हित हो, जनता का हित हो उस तरह से हम को करना चाहिये आप नियम को इस रूप में लेते हैं जिससे आपको फायदा हो । तो इस ढंग से क्यों लेते हैं मुझे एक कहावत याद आ गई है । एक राक्षस था जो आदमी को मार मार कर खाता था और जब वह थक गया तो उसके साथियों ने कहा कि आदमियों को मारना छोड़ दो तो उसने ऐसा किया कि एक की खाल उतरवाई तो कहा कि जो इसम फिट आयेगा उसको वह मारकर खायेगा । तो उस खाल में जो छोटे पड़ते थे उनको तो मारकर खाता ही था और जो बड़े होते थे उनकी गर्दन काटकर मार डालता था । तो इस प्रकार से आप बात करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जायं आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

तो चौधरी साहब ने जो प्रस्ताव रखा है उसको आप मान लें ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अधिष्ठाता महोदय, बहुत मजबूरी के बाद.....

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मेरा एक व्यवस्था का सवाल है कल आपने इस घोटाले के बारे में जो प्रस्ताव रखा था उसका आपने विरोध किया इसलिये आप इस पर रूलिंग नहीं दे सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

राय साहब आप जानते हैं मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जब आप माननीय सदन के सदस्य नहीं थे तो आपको यहां बोलने का अधिकार नहीं था । तो स्थिति मनुष्य की बदलती रहती है । जैसी स्थिति में होता है उसके अनुसार दायित्व का निवहन उसे करना होता है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अधिष्ठाता महोदय, कल इस बाजरा कांड और धान कांड के संबंध में एक सदन की समिति बनाने का प्रस्ताव आया था और उस समय भी सरकार ने उस मांग को ठुकरा दिया और आज यह प्रस्ताव आया है बाजरा और धान कांड के घोटाले के संबंध में कि जो भी सी० आई० डी० की इन्क्वायरी हुई या पुलिस को इन्क्वायरी हुई या चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो जांच की वह सदन की मेज पर रखे जायं । अधिष्ठाता महोदय, इस संबंध में.....

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपसे अर्ज कर दूं कि चौधरी साहब का जो प्रस्ताव है वह नियम को निलंबित करने के लिये है । तो उस पर चर्चा हो रही है कि उस प्रस्ताव को मान लिया जाय । तो नियम को निलंबित करने के बारे में आप जो कुछ विचार रखना चाहत हैं वह व्यक्त करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

सवाल यह है कि नियम जो कुछ भी हो इसमें सारे उत्तर प्रदेश की जनता का संबंध है इससे यह बचना चाहते हैं। निश्चित तौर पर मुख्य मंत्री जी या उनके मंत्री या उनके साथी इस पर निश्चित तौर पर इनवाल्व हैं। तो उस पर जांच के लिये चौधरी साहब ने कहा है। अगर कोई गलत बात करता हूं तो उसमें जांच मेरे खिलाफ हो और मेरे साथी उसका विरोध करें तो निश्चित तौर पर वह मेरे साथ इनवाल्व होंगे उनका भी उसमें हाथ होगा। इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने प्रश्न है अगर उनका उसमें हाथ नहीं है उनके मंत्रियों का हाथ नहीं है तो इस प्रस्ताव से क्यों बचना चाहते हैं।

मैं यह कहूंगा जो मुझे पता चला है पहले तो इस संबंध में राजेन्द्र कुमारी बाजपेई जी ने जो कदम उठाये उससे लगता था कि वह निश्चित तौर से जांच करना चाहती हैं। लेकिन कल के बयान से ऐसा लगा है कि खाद्य मंत्री अब उससे बचना चाहती हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं लेकिन उनके सामने दो सवाल हैं कि अगर वह इमानदारी से कार्य करना चाहते हैं तो वह मुख्य मंत्री पद पर नहीं रह सकेंगे। बाजरा कांड और धान कांड में वह नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यशपाल कपूर इसमें शामिल हैं। वह सीधे-सीधे श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ हैं। जैसा कि मेरे साथी मलिक साहब ने अभी बताया था वही पूरे हिन्दुस्तान की राजनीति को चला रहे हैं। वही यह राय देते हैं कि कहां का कौन मुख्य मंत्री बनेगा। अभी जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस की ताकत बढ़ी, तो निश्चित रूप से ऐसे-ऐसे घोटालों का पैसा ऐसी जगहों पर खर्च किया जाता है। इस घोटाले को इसलिये यह छिपाना चाहते हैं। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि आज सवाल नियम और उसके विरोध का नहीं है, आज सवाल है उत्तर प्रदेश की 10 करोड़ जनता के सामने ईमानदारी का।

हम लोगों का यह फर्ज है कि सच्चाई सामने लाई जाए, उसमें हम लगे हुए हैं। यदि यह सच्चाई नहीं है तो यह बचना क्यों चाहते हैं उससे? चौधरी साहब ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि सन् 46 से लेकर हमारे सारे कार्यों की जांच करा ली जाए और 71 से जो अब तक मुख्य मंत्री हुये हैं उनकी आप जांच करा लीजिये। किन्तु आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपका पर्दाफाश उसमें हो जायगा। इससे लगता है कि इसमें मुख्य मंत्री जी का भी हाथ है। मुख्य मंत्री का तो नहीं, किन्तु उनके साथियों का पूरा हाथ है और उसमें उन्हें अपनी कुर्सी जाने का पूरा खतरा दिखाई देता है। वह चाहते हैं कि यह मामला साफ हो, लेकिन वह उसमें स्वयं नहीं उलझना चाहते हैं। मुख्य मंत्री के सामने एक ही विकल्प है--मुख्य मंत्री पद या ईमानदारी। यदि साहस पूर्वक आप ईमानदारी का कदम उठायेंगे तो यह आपका ऐतिहासिक कदम होगा, उत्तर प्रदेश की जनता आपका नाम लेगी। मुख्य मत्री पद पर आपको ऐसे भी श्रीमती इन्दिरा गांधी नहीं रहने देंगी। उनकी इच्छा के खिलाफ आप एक दिन भी बयान कर देंगे तो आप गिरते हुये नजर आयेंगे। इस समय ऐसी स्थिति नहीं है कि वह आपको हटा सकें। निश्चित रूप से वह आपको इस पद पर नहीं रहने देंगी।

(इस समय 2 बजकर 41 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इसलिये मेरी राय है कि आप ईमानदारी से न हटें। इस कांड में श्री ओम प्रकाश शर्मा और उनके पिता, जो मथुरा के रहने वाले हैं उनका नाम आया है, अब सबसे ज्यादा खतरा उनकी जान का है। इसलिये उनके प्राणों की सुरक्षा की पहले व्यवस्था की जाय। ओम प्रकाश शर्मा की हत्या की जा सकती है। क्योंकि स्पष्ट है जब हम लोग जांच करेंगे वह ऐसे रहस्य खोलेंगे, जिसमें केन्द्र से लेकर यहां तक के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ के चेहरे बेनकाब हो जायेंगे। इसलिये आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप साहसिक कदम उठाकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और सच्चाई को जनता के सामने आने दें। मुख्य मंत्री तो आपको ऐसे भी नहीं रहना है।

*श्री शारदा भक्त सिंह (जिला हरदोई)—

मान्यवर, जो प्रस्ताव आज विधान सभा के सामने है, उसके सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही कि यदि विधान सभा में यह प्रश्न उठाया जायगा तो न्याय सम्भव नहीं होगा और यदि पुलिस द्वारा जांच कराई जायगी तो न्याय सम्भव होगा। इस पर हमारी ओर से, सम्पूर्ण विरोधी दल की तरफ से कहा गया है कि नियमों का निलम्बन कर दिया जाये और विधान सभा में यह प्रश्न इसलिये रखा जाये, ताकि सच्चाई सबके सामने आ जाये। इस सम्बन्ध में मैं कल से सत्तारूढ़ दल की तरफ से कही जाने वाली बातें सुन रहा था। यह कहा जा रहा था कि एफ० आई० आर० लिखवा दिया है, अब उस पर आवश्यक और उचित कार्यवाही होगी।

मैं कहना चाहता हूं, जो कि मैं फौजदारी के मामलों की बात जानता हूं, यह हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है। यह एफ० आई० आर० बिलकुल नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वह है जो सबसे पहले अपराधी के बारे में पुलिस को सूचना मिलती है। यह प्रथम सूचना नहीं हो सकती है। चौकीदार भी यदि किसी मामले की सूचना भेजे पुलिस को तो उसके बाद जो सूचना लिखवाई जायेगी, वह प्रथम सूचना नहीं होगी। इसलिये होम सेक्रेटरी द्वारा जानबूझ कर यह फर्जी सूचना लिखवाई गई है, जो प्रथम सूचना नहीं हो सकती है। इसके पहले जो तथ्य सामने आये हैं, उनसे यह कहा गया है कि श्री सतीश चन्द्र जी ने जांच की थी और जब सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि गड़बड़ घोटाला हुआ है तो उन्होंने अग्रिम आदेश दिये। तो इससे कोई शहादत नहीं बनती है, केवल उसका समर्थन करता है। यह एफ० आई० आर० नहीं हो सकती। सारा डिपार्टमेंट जानता है कि अपराध हुआ है। लोग इसमें संबंधित है। जांच हो गयी। प्राइमाफेशी केस बन गया उसके बाद डिपार्टमेंट ने सोचा कि एफ० आई० आर० लिखायी जाय। मैं कहना चाहता हूं कि जितने अपराधी थे उनको बचाने के लिये केवल एक आदमी का नाम होम सेक्रेटरी द्वारा लिखाया गया है ताकि पुलिस के हाथ बंध जायं।

इस बात का ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि एफ०आई०आर० लिखायी गयी है। होम सेक्रेटरी ने लिखाया है कि जांच से पता चला। जिस वाकये के तथ्य जांच के द्वारा निकले, क्या यह कहा जा सकता है कि यह पहला व्यक्ति है जो सूचना दे रहा है? इसलिये मैंने जब यह देखा कि प्रथम सूचना में नाम दिया है, जो तथ्य जांच से निकले हैं उन पर कार्यवाही नहीं होती है। उस सूचना के ऊपर दोबारा कार्यवाही करायी जाती है। सरकार की तरफ से इसलिये यह लिखाया गया है कि यह मामला ओम प्रकाश पर केन्द्रित कर दिया जाय। मैं कल से बड़ा हैरान हूं। माननीय मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि मैं नाम बताना चाहता हूं लेकिन नाम बताते इसलिये नहीं हैं कि नाम बता देंगे तो वह भाग जायगा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वह अपराधी है, अगर माननीय मुख्य मंत्री सदन में उसका नाम नहीं बतायेंगे तो क्या वह घर में बैठा मिल जायगा, और नाम बता देंगे, अखबारों में निकल जायगा तो वह भाग जायगा? क्या मजाक उड़ाया जा रहा है। जो इतना बड़ा कांड हुआ है, उसमें जो अपराधी है, अगर उसका नाम नहीं बतायेंगे तो वह भागेगा नहीं, तो वह घर में बैठा रहेगा और पुलिस को मिल जायगा। जब प्राइमाफेसी केस बन गया, यहां के होम सेक्रेटरी ने लिखा दी रिपोर्ट, तो आठ घंटे के अन्दर बन्द हो जाना चाहिये। अभी तक बन्द नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब है? यहां की पुलिस अभी बैठी हुई है। जिस समय यहां पर प्रथम सूचना लिखायी गयी, टेलीफोन करके उसको एक मिनट के अन्दर गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिये था। होम सेक्रेटरी कहते ह कि मैं इन तथ्यों पर पहुंचा हूं, और मुझे विश्वास है कि फलां-फलां आदमी ने अपराध किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदा भक्त सिंह]

यह अब कहते हैं कि नाम बता देंगे तो मुलजिम भाग जायगा। जब ओम प्रकाश अभी तक नहीं पकड़ा जा सका तो और कोई अपराधी कैसे पकड़ा जायगा? अगर मैं इस नतीजे पर पहुंचता कि आप बड़ी कड़ाई के साथ कार्यवाही कर रहे हैं तो मैं समझता कि इसमें विधान सभा में बहस की आवश्यकता नहीं है। सारा प्रान्त जान चुका होता कि एक मुलजिम पकड़ा जा चुका है, तलाश बराबर जारी है, लेकिन इसमें कहा तो जा रहा है कि बहुत काम कर रहे हैं लेकिन किया कुछ नहीं जा रहा है।

उत्तर प्रदेश की सरकार पर यह कलंक है कि इतना बड़ा कांड हुआ, जिससे सारा प्रान्त हिला जा रहा है लेकिन मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं उस अपराधी को अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है। हम लोगों का चरित्र जनता के सामने धूमिल हो चुका है। जनता कहती है कि एम० एल० ए० लोग गड़बड़ घोटाला किया करते हैं और उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। आज सारा सदन आश्वस्त होता अगर आपकी कार्यवाही हो चुकी होती, चार-छः मुलजिम पकड़े गये होते तो लोग समझते कि कार्यवाही हो रही है, और आप मुलजिमों को बचाना नहीं चाहते हैं। आप कहते कि हमने लोगों को पकड़ा और आप उनके नाम गिना देते कि इतने लोगों को पकड़ा गया है। मार्च के महीने से यह मामला चल रहा है १६ तारीख को एफ० आई० आर० लिखायी गयी और 17 तारीख को सदन की बैठक हो। रिपोर्ट लिखायी गयी 16 तारीख को और आप कह रहे हैं कार्यवाही करेंगे। मैंने देखा है फौजदारी के मामले में जब कार्यवाही पुलिस करती है। पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। पुलिस इतनी निकम्मी नहीं है। ओम प्रकाश के घर की कुर्की होनी चाहिये, जितने मुलजिम हैं उन सबकी नयी दफा 87-88 के अन्तगत उनकी कुर्की होनी चाहिये मालूम ऐसा पड़ता है कि अभी तक पुलिस किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है, सरकार भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है और सरकार तथ्यों को छुपाये हुये है। आप भी तथ्यों को छिपाये हुये हैं। मैं आप से कहना चाहता हूं कि यह एफ० आई० आर० एक बड़ा जबर्दस्त धोखा होगा। जब मामला अदालत के सामने जायेगा तो यह कहा जायेगा कि यह एफ० आई० आर० नहीं है। यह प्रथम सूचना नहीं हो सकती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग नियम का निलम्बन इसलिये चाहते हैं कि आपकी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और आपके हाथ साफ नहीं दिखाई देते हैं। कारण कोई भी रहे हों लेकिन सच्चाई के साथ पुलिस काम करती, नहीं कर रही है। उसके ऊपर और आपके ऊपर कोई जोर पड़ रहा है जिससे इसमें कुछ नहीं हो पा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि आप कड़ाई के साथ काम कर सकें जिससे लोग कहें कि आपने ऐसा काम किया जिससे आपके ऊपर कलंक न आ सके। आप सोच विचार कर हमारी प्रार्थना स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष---

इसके दो हिस्से हैं। (व्यवधान) इस प्रश्न को सुन लें। आप बैठ जायं।

श्री राम अधार---

आप हमारी बात सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अभी नियम की बात चल रही है। इस सवाल के दो पहलू हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, अभी आप कोई व्यवस्था न दें।

श्री अध्यक्ष---

अभी आप सुनिये। जो यह प्रश्न उपस्थित किया गया माननीय नेता विरोधी दल द्वारा और माननीय नेता जन संघ तथा अन्य नेताओं ने अपेक्षा व्यक्त की कि नियम के निलम्बन का जो प्रश्न है, यह अध्यक्ष की सीमा की परिधि में आता है। मैं खुले दिल से सोच रहा था कि आखिर कोई ऐसा सवाल है जिस पर अध्यक्ष का नियम निलम्बन का अधिकार है अथवा नहीं अगर हमको जब आप कर रहे हैं तो आपकी इच्छा की पूर्ति की दिशा में मैं किस तरह का कदम बढ़ा सकता हूं ? लेकिन दूसरे स्थान पर यह प्रक्रिया अलग है क्योंकि आपकी नियमावली के पृष्ठ 84, के नियम 310 के अन्तर्गत निलम्बन के लिये लिखा हुआ है कि "कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेगा" तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी कर सकता है कि किसी नियम को सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायगा। यदि यही होता तो कुछ गुंजायश होती और मैं कुछ व्याख्या करता। जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा लेकिन इसके आगे लिख दिया गया है कि "ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जायेगी।" प्रक्रिया के बारे में तो मैं सक्षम हूं। लेकिन किसी नियम के निलम्बन करने का अधिकार अध्यक्ष को नहीं है, सदन को है, आपको है और यह लोकतान्त्रिक भी है कि नियमों की कठिनाई के संबंध में बहुमत से विचार होना चाहिये।

चौधरी चरण सिंह---

शायद टाइप में गलती हो गई हो। 312 होना चाहिये था इसमें आप को पूरा डिसक्रीशन है।

श्री अध्यक्ष---

वह यह है कि निर्वाचन एवं कठिनाइयों का निराकरण---यदि इन नियमों के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के निर्वाचन के संबंध में संदेह उत्पन्न हो तो अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। यह दूसरा प्रश्न है। यह भिन्न है। लेकिन यदि प्रक्रिया की शक्ति को सीमित न कर दिया होता तो कोई चीज हमारे लिये व्याख्या करने के लिये शेष रह जाती तो यह मजबूरी है।

चौधरी चरण सिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, 313 जरा देख लीजिये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

अध्यक्ष जी, जब नियम के ऊपर निर्णय देने की बात आवे, तब उस पर निर्णय दें। मेरी प्रार्थना है कि कोई माननीय सदस्य अभी और बोलना चाहेंगे।

चौधरी चरण सिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, 313 देख लीजिये। मेरा ख्याल है 313 है।

*श्री लक्ष्मण सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने ओम प्रकाश का नाम बता दिया। एक खुशी की बात और है कि अधिष्ठाता महोदय रामायण राय साहब यह समझ रहे हैं कि नियमों में थोड़ी सी ढीलकर देने से शायद जनता को ज्यादा लाभ होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन्हीं के तहत यह नाम बताने को स्वीकार कर लिया। नियम 311

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मण सिंह]

का हवाला जो हमारे माननीय सदस्य ने दिया था उसमें है, रिपीटीशन आफ मोशन। कल जो मोशन था कि कमेटी नियुक्त की जाय और आज वह मोशन नहीं है। आज नेता विरोधी दल ने वह मोशन नहीं रखा। आज मोशन यह था कि पत्रावली हाउस के सामने रखी जाय और पत्रावली माननीय सदस्य देख सकें। हमारे माननीय सदस्य शारदा भक्त सिंह जी ने जो बात रखी वह यह रखी कि उसे एफ0 आई0 आर0 नहीं कहते हैं बल्कि एफ0 आई0 आर0 वह है है जो सर्वप्रथम लिखाई जाय। अगर हाउस के सारे मेम्बर्स पत्रावली को देख लेते हैं, तो मुलजिम को पकड़ने में आसानी होती, क्योंकि आपने यह घोषणा कर दी है कि मुलजिम का नाम ओम प्रकाश शर्मा है और उसका पता भी मथुरा का दे दिया है। दूसरी बात यह है कि आपने यह कहा कि वह जो कागजात हैं, उसे खुफिया को दे दिया गया है और उसे, उससे लेने में कठिनाई होगी। आपने यह भी कहा कि अगर पत्रावली सदन में रखी जायगी तो असल मुलजिम जो बड़े-बड़े हैं, जिनके नाम आ चुके हैं, वे भाग जायंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वे ऐसे मुलजिम नहीं हैं, जो भाग जायेंगे, वे देश से नहीं भागेंगे। वे इस देश में ही बने रहेंगे। वे बाजरा काण्ड, चावल काण्ड जैसे बड़े बड़े काण्ड कर चुके हैं, वे भागेंगे नहीं। रूल्स का सस्पेंशन आप करेंगे कि नहीं यह तो आप जानें। जहां तक पत्रावली दिखाने का प्रश्न है, पत्रावली मेम्बर्स को दिखाई जाय। इसमें रूल्स को सस्पेंशन करने की बात नहीं है। प्रान्त की जनता के साथ न्याय करने के लिये तथा भ्रष्टाचार की समाप्ति हेतु यह करें कि सब मेम्बर्स के सामने पत्रावली मंगाने की कृपा करें। माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि पत्रावली सी0 आई0 डी0 के इंस्पेक्टर को दे दी गई है। आप माननीय सदस्यों को पत्रावली नहीं दिखा सकते हैं। यह किसी बहस का विषय नहीं था। यह तो उनकी मेहरबानी है। शिष्टाचार सम्बन्धी मामला है। मेरा ऐसा अनुमान है कि अगर हम लोग थोड़ी और मेहनत करते तो माननीय मुख्य मंत्री जी पत्रावली जरूर मंगवा देते। पत्रावली सदन के सामने आनी चाहिये यह मेरी आप से प्रार्थना है। नियम और रूल की बातें अदालत में हुआ करती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह आपकी पावर्स में है कि आप मुख्य मंत्री जी को आदेश दें कि वह पत्रावली को मंगवा कर सदन के सामने रखें।

*श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि इस मामले पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। कल तो उन्होंने वोट कराकर नामंजूर कर दिया था, लेकिन आज धीरे धीरे सब बातें उन्होंने स्वीकार कर ली हैं। जो काण्ड हुए हैं वह सब जनता के सामने जाने चाहिये। अखबारों में कल आम प्रकाश का नाम छपा था। आज उसके बाप का नाम छपेगा, आज उसका पता छपेगा कि वह कहां का है। यह छपेगा अखबारों में कि वह मथुरा का रहने वाला है। वही नहीं और भी बहुत से लोग हैं। मुझे आज इस बात की खुशी है कि कल पूरे दिन और आधे दिन के बाद एक बात सामने आयी है। उस पत्रावली को जिसमें सारे राज छिपे हुय हैं, उसे सदन के सामने रखा जाये। बाजरा रेलगाड़ी से न भेजकर ट्रक से भेजा गया और बजाय गुजरात जाने के दिल्ली पहुंचा दिया गया और हजारों लाखों रुपये का धान जो हमारे प्रदेश में आना चाहिये था, हमारे प्रदेश के गरीब लोगों के घरों में जाना चाहिये था, वह हिन्दुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच गया। आज हमारे धान का एक एक कण नियमों के अन्दर बंधा हुआ है, लेकिन वह सारे नियमों का उल्लंघन करके उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर चला गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं कहना चाहता हूं कि इसमें लाखों का नहीं करोड़ों का घोटाला हुआ है। और नियमों की दुहाई दी जा रही है। इसीलिये मेरा निवेदन है कि जब सरकार नंगी हो जाये, उसके सारे कारनामे हमारे सामने आ जायें तो पत्रावली को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। मान्यवर, इसीलिये मेरा निवेदन है कि नियमों से छूट दी जाये और इस सदन के सामने सारे के सारे तथ्य प्रस्तुत किये जायें। मैं आगाह करता हूं कि इस तरह का कोई काण्ड हो और सी० आई० डी० की इन्क्वायरी ही होती रहे, यह उचित नहीं है। रिपोर्ट तुरन्त लिखायी जानी चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि डेढ़ साल के बाद रिपोर्ट लिखायी जाये। इस तरह की हालत हो रही है। जनता की मांग को इस तरह से दबाया नहीं जा सकता है। केवल कागज पर कार्यवाही पर्याप्त नहीं है। यह जो हुआ है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा।

*बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी)--

अध्यक्ष महोदय, मेरी इस मामले में एक शंका है और मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी उसका निराकरण करें। 10-3-73 को एक समिति ने किसी के माध्यम द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिया कि उन्हें उत्तर प्रदेश से बाजरा खरीदने के लिये इजाजत दी जाय। मैं जानना चाहूंगा कि जैसे ओम प्रकाश का नाम लिया गया वैसे उनके अलावा और कौन-कौन लोग थे? दूसरे जब 18-6-73 को सरकार को जब यह मालूम हो गया था कि यह समिति बिल्कुल फिक्टीशश है, आदर्श सेवा समिति, तो क्या उस समिति में केवल ओम प्रकाश शर्मा ही जीवित जन्तु हैं अथवा और भी कोई ऐसा ही व्यक्ति है, जो उसकी परिधि में आता है। मेरी प्रार्थना है कि समिति में जो भी लोग थे, उनके नाम सदन के समक्ष रखे जायं?

*श्री राम अधार--

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल, ने आज जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर एक ऐसा सवाल उठा है, जनता के मन में आज कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं के प्रति एक भावना ब। गई है कि पूरे देश के अन्दर आज भ्रष्टाचार पनप रहा है। सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी उससे वंचित हैं। आज यहां पर जिस फाइल के बारे में बात हो रही है, मैं भी चाहूंगा कि वह फाइल सदन के समक्ष रखी जाय ताकि हमारे मुख्य मंत्री जी जनता के दिमाग को साफ कर सकें। एक बात तो साफ हो गई है कि उनका इसमें हाथ नहीं है। अगर फाइल सदन के सामने प्रस्तुत हो जायगी तो जनता दिमाग में जो शुबाह बना हुआ है, वह भी दूर हो जायगा। फाइल से कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं के नाम भी स्पष्ट हो जायेंगे। इसके अन्दर केवल ओम प्रकाश शर्मा केयर आफ शपाल कपूर ही नहीं उसके अन्दर एक पत्र चन्द्रजीत यादव का भी होगा। ओम प्रकाश तो एक छोटा सा मामूली आदमी है। उनको जानकारी नहीं है कि उसके पहले माननीय कमलापति त्रिपाठी के समय में उत्तर प्रदेश में भी ये सारी काली ताकतें, कांग्रेस के अन्दर घुसी हुई थीं और बार बार हमला करके नाजायज फायदा उठाना चाहती थी, उसी का परिणाम है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री भी उसमें शामिल हैं। आज दिल्ली से गंगोत्री से गंदी हो चुकी हैं और सारे नाले जो उत्तर प्रदेश में उससे निकले हैं, गंदगी फैलाने पर तुले हुये हैं। जहां पर इस प्रकार का शासन तंत्र हो, 80 लाख का घोटाला हो, कानपुर में 17 लाख का घोटाला हो, बाजरा कांड हो, चावल कांड हो और लाखों कांड हों, बलिया के अन्दर सिंचाई विभाग द्वारा 1 1/4 करोड़ रुपय का घोटाला हो, काम चलने वाला नहीं है। मैंने इस बार में कई बार सरकार को लिखा, पुलिस म रिपोट हुई और पुलिस ने कहा कि इसके अन्दर कोई तथ्य नहीं। मामला सदन म आया, मुझे मेर प्रश्न का उत्तर भी मिला। लकिन जब मामला विजीलेंस में गया तो पता चला कि वहां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम आधार]

के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर करोड़ों रुपये का घोटाला किये हुये हैं। यह घटना मथुरा की है। अगर आप जानते हैं कि यह बात सही है तो आप अपनी गद्दी की परवाह न कीजिये और जो लोग आपकी सरकार को डुबोना चाहते हैं, उनकी परवाह मत कीजिये। इससे देश के अन्दर आपका इतिहास बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो तीनों बन्दरों के उसूल हैं कि बुरा मत सुनों, बुरा मत देखो और बुरा मत करो, वह कायम रहे तो इसकी जांच करायें। मैं तो चाहता हूं कि आप न्याय करिये, बुरा कहिये मत ताकि प्रदेश की जनता के सामने आपकी मर्यादा जो आपने बनायी है वह कायम रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर कहूंगा कि इस फाइल के अन्दर यशपाल कपूर भी हैं, चन्द्रजीत यादव भी हैं। अगर नहीं हैं तो आप कह दीजिये कि नहीं हैं।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मुख्य मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर चौधरी साहब की बात को वह मान लें तो जिस तरह से सत्याग्रह कर के जय प्रकाश जी का नाम चल रहा है आप उससे आगे चले जायेंगे। भ्रष्टाचारी लोगों का नाम अगर सदन में आ जाय तो हम भी डर जायेंगे और उधर के लोग भी डर जायेंगे, और भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। मुख्य मंत्री कहते हैं कि जेल भेजेंगे। ये भी जेल गये, हम भी जेल गये। जेल से तो कोई डर ही नहीं है। हमको डर लगता है जनता से। अगर यह बात खुल जायगी तो हमारी बड़ी सजा हो जायगी। अगर मुख्य मंत्री जी इस बात को मान लेंगे तो प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत कम हो जायगा क्योंकि सत्ता के लोगों के बिना हाथ लगाये कोई भ्रष्टाचार होता नहीं है। अकेले अधिकारी अपने मन से भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। इसलिये अगर भ्रष्टाचार मिटाने का ठेका लिया है, लोकतंत्र बचाने का ठेका लिया है तो चौधरी साहब की बात मान लीजिये। जिस सीमा पर आज भ्रष्टाचार है उसमें मुख्य मंत्री भी डूब जायेंगे और हम भी डूब जायेंगे। इसलिये हम चाहते हैं कि आप भी बचें और हम भी बचें। इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं कहना है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले कहा था, एक निवेदन करना चाहता हूं इस माननीय सदन से कि इस कांड के सम्बन्ध में हमारे पास जो इंटेलिजेन्स रिपोर्ट्स आयी है और जो सम्बन्धित कागजात हमारी फाइल पर भी होंगे मैं उनको आपके कक्ष में इस आशा के साथ कि उसकी गोपनीयता को माननीय विरोधी दल के नेता लोग रखेंगे दिखाने को तैयार हूं। मेरी पूरी आशा है कि उसको देखन के बाद, मिनियेचर सदन के देख लेने के बाद, जिसमें सदन का प्रतिनिधित्व नेता विरोधी दल और अन्य विरोधी दलों के नेता और हमारे दल की ओर से संसदीय कार्य मंत्री करेंगे वह उसको कर सकते हैं। मैं उससे एक कदम और आगे जाता हूं, अगर कोई बात उनको लगे कि उसको लिख लेना चाहिये अपनी जानकारी के लिये तो उसके नोट्स वह ले लें, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि मुझे छिपाने का इसमें कुछ है नहीं और मैं दोबारा कहता हूं कि इस दल को भी छिपाने की कोई चीज नहीं है। मैं चौधरी साहब के आदर्श के बोझ से इतना दबा हूं कि सोचता रह जाता हूं कि क्या कहूं क्या न कहूं। इस सदन में बहुत से नाम लिये गये, हम अगर कोई नाम लेंगे तो आपको गुस्सा आ जायेगा, हम आपको गुस्सा दिलाना नहीं चाहते।

एक सदस्य--

सच्ची बात तो कहें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अब मेरी प्रार्थना है कि कार्य मंत्रणा समिति के निश्चय के अनुसार इस कार्यक्रम को चलने दें, सवा 3 बजे हैं, हम लोगों ने रोमन हालि डे मना लिया, आगे का कार्यक्रम अब आप चलायें। आशा है माननीय चौधरी साहब विरोध पक्ष की तरफ से मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे।

चौधरी चरण सिंह--

जहां तक इस मामले का ताल्लुक है, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने फरमाया, उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। (विरोध पक्ष से) अरे भाई तालियां नहीं बजायीं... (हंसी) (मेज थपथपाई गयीं)।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

ये बिना आपके हुकुम के सही काम भी नहीं करेंगे ।

चौधरी चरण सिंह--

मैं यकीन दिलाता हूं कि मैंने अपने साथियों से तथा विरोधी दल के अन्य नेताओं से इस सिलसिले में बातचीत कर ली है । हमको खुशी है कि आखिरकार हमारी बात को माननीय मुख्य मंत्री जी ने मान लिया । हमारी दरख्वास्त तो केवल इतनी ही थी कि जनता के सामने सारी चीज आ जाय । जनता के प्रतिनिधियों के सामने ही आप उसे लाने को राजी हो गये, खुशी की बात है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

यह तो पहले भी हम कर रहे थे ।

चौधरी चरण सिंह--

अब क्यों खुलवाते हो उसे, रहने दो । आप तो सी0आई0डी0 की रिपोर्ट ही दिखने के लिये कहते थे । मैं सारी फाइल के लिये कहता था । खैर, बड़ी खुशी है कि आप इसके लिये अब तैयार हो गये । जहां तक गोपनीयता का सवाल है, हम यकीन दिलाते है कि हम बिला वजह जो गोपनीयता है फाइल के सिलसिले में, जो आम तौर से रहनी चाहिये, उसे तोड़ेंगे नहीं। हमें क्या फायदा है उसे तोड़ने से । अगर सरकार की शान किसी तरह गिरती है तो हमारी शान गिरती है ।

एक बात और कहना चाहता हूं । काश, और मामलों में भी हमारे नौजवान दोस्त इसी तरह से विरोध पक्ष की जायज बातों को सुनने व मानने की कोशिश करें तो उनकी कठिनाइयां स्वयं कम हो जायंगी । मसलन मैंने यहां कहा था कि एक माननीय सदस्य को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, आपने कहा कि डी(आई(जी0 को भेज दिया है । अब फाइल पंहुचते पंहुचते दो माह लग जायेंगे । अभी तो वह फाइल आपके दफ्तर में ही पड़ी होगी । इसकी जगह आप अगर एस(पी0 को बुला लेते तो यह तुरन्त हो जाता । कहने के लिये आपने कह दिया कि डी0आई0जी0 को दे दिया । आखिर डी(आई0जी0 जैसा बड़ा आदमी क्या कर सकता है, वह तो पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट से ही रिपोर्ट मांगेगा ? वह पुलिस सुपरिन्टेडेन्ट उस सब इन्सपेक्टर को सपोर्ट कर रहा है । आपन यह अच्छी बिगनिंग की है, परमात्मा करे माननीय मुख्य मंत्री की यही सुबुद्धि बनी रहे ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैंने इस केस के अन्दर फाइल दिखलाने की बात कह कर, जो परम्परायें थीं उन सब के विपरीत काम किया है । लेकिन इसको प्रिसिडेंट न मान लिया जाय कि सरकार हर फाइल दिखलाती रहेगी ।

चौधरी चरण सिंह--

अगर किसी मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत हो तब तो आप दिखला देंगे ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

यह मैं अभी नहीं कह सकता ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, अभी माननीय नेता विरोधी दल ने जो कुछ कहा है उसके साथ मेरा भी कथन माना जाय । मैं तो जानता था पहले ही से और मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने ऐसी उचित मांग मान ली । हां, एक ही बात की शिकायत है मुझे कि यह बात बहुत पहले ही कर दिये होते तो शायद इतना समय सदन का व्यर्थ न होता । बस, इतना ही मुझे कहना था ।

श्री अध्यक्ष--

फिर हमारे इतने माननीय सदस्य बोलने का मौका नहीं पाते ।

खाद्य औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 में विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधन

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा द्वारा पारित खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि विधान सभा द्वारा पारित खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 5

5--दि ड्रग्स ऐण्ड कास्मेटिक्स ऐक्ट, 1940 में--

1940 का ऐक्ट 23 । संशोधन ।

(1) धारा 6 में उपधारा (1) में वर्तमान परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित अतिरिक्त परन्तुक बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:--

"परन्तु यह और कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से यह निदेश दे सकेगी कि केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला और निदेशक के कृत्य उत्तर प्रदेश में क्रमशः ऐसे प्राधिकारी तथा ऐसे अधिकारी द्वारा जिन्हें राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किये जा सकेंगे और तब इस अधिनियम में केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला या निदेशक के प्रति किसी निर्देश, यथास्थिति, ऐसे प्राधिकारी के अधिकारी के प्रति निदेश समझा जायगा ।"

(2) धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:-

सबूत का भार

"19-क--जब कोई औषधि या प्रसाधन सामग्री धारा 22 के खंड (ग) के अधीन किसी निरीक्षक द्वारा किसी व्यक्ति से इस युक्तियुक्त [का] विश्वास से अधिगृहीत की जाय कि ऐसे औषधि या प्रसाधन सामग्री मिथ्या छाप वाली अथवा अपमिश्रित है तो इस बात को साबित करने का भार कि ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री मिथ्या छाप वाली अथवा अपमिश्रित नहीं है, उस व्यक्ति पर होगा जिसक कब्ज से ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री अभिगृहीत की गई थी ।"

(3) धारा 27 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

इस अध्याय के उल्लंघन में औषधियों के निर्माण उसकी बिक्री आदि के लिये शास्ति

"27—जो कोई भी स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा:—

(क) किसी औषधि का—

(1) जो धारा 17 के खंड (क), खंड (ख) खंड (ग), खंड (घ), खंड (च), या खंड (छ) के अधीन मिथ्या छाप वाली अथवा धारा 17—ख के अधीन अपमिश्रित समझी गयी हो, या

(2) धारा 18 के खंड (ग) की अपेक्षानुसार किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना, या

(ख) इस अध्याय या तदधीन बनाये गये किसी नियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में खंड (क) में निर्दिष्ट किसी औषधि से भिन्न किसी औषधि का विक्रय के लिये विनिर्माण करता है, विक्रय करता है, विक्रय के लिये उसका स्टाक या प्रदर्शन करता है अथवा उसका वितरण करता है तो वह आजीवन कारावास से दंडित किया जायेगा । परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय किन्हीं विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दंडित कर सकेगा जो आजीवन करावास से कम हो ।"

(4) धारा 27—क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

इस अध्याय के उल्लघंन में प्रसाधन सामग्रियों के विनिर्माण, विक्रम आदि के लिये शास्ति

"27—क—जो कोई भी स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अध्याय अथवा तदधीन बनाये गये किसी नियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में किसी प्रसाधन सामग्री का विक्रय के लिये विनिर्माण करता है, विक्रय करता है, विक्रय के लिये उसका स्टाक या प्रदर्शन करता है अथवा उसका वितरण करता है तो वह आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दंडित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो ।"

[(5) धारा 30 निकाल दी जाय ।]

(5) धारा 30 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"30—इस अध्याय के अधीन दंडनीय सभी अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे ।"

श्री अध्यक्ष—

इसमें कुछ संशोधन है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उपखंड (2) द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई गई धारा 19—क की द्वितीय पंक्ति में शब्द "युक्तियुक्त" के बाद शब्द "का" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उपखंड (2) के अन्तर्गत प्रस्तावित नई धारा 19-क की चौथी पंक्ति में शब्द "भार" तथा शब्द "उस" के बीच में शब्द "कि ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री मिथ्या छाप वाली अथवा अपमिश्रित नहीं है," बढ़ा दिये जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उपखंड (3) द्वारा प्रतिस्थापित की जा रही धारा 27 के उपखंड (ख) की तीसरी पंक्ति में शब्द "विनिर्माण" के बाद शब्द "करता है" बढ़ा दिये जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उपखंड (4) द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई जाने वाली धारा 27-क की तीसरी पंक्ति में शब्द "विनिर्माण" के बाद शब्द "करता है" बढ़ा दिये जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उपखंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(5) धारा 30 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायें, अर्थात्--

(30) इस अध्याय के अधीन दंडनीय सभी अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति में शब्द "के" तथा शब्द "विरुद्ध" के बीच में शब्द "अपमिश्रण के" बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन विधान सभा द्वारा पारित खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन विधान सभा द्वारा पारित खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश वन निगम अध्यादेश 1974 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश वन निगम विधेयक 1974†

श्री अवधेश कुमार (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश वन निगम अध्यादेश, 1974 का अनुमोदन करता है ।

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वन निगम विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय ।

---

†20 अगस्त, 1974 की कार्यवाही में छपा है ।

श्रीमन् उस वक्त जब विधान सभा का पिछला अधिवेशन चल रहा था, उस समय इसको रखा गया था लेकिन समय अधिक न होने के कारण इस पर विचार न हो सका इस कारण से अध्यादेश लाना पड़ा । अब कारपोरेशन का काम भी शुरू हो गया है तो मुझको पूर्ण विश्वास है कि यह सदन इसको मंजूर करेगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)---

मान्यवर, वन निगम के सम्बन्ध में विधेयक लाया गया है वह बहुत भारी षड़यंत्र है ।

श्री अध्यक्ष---

आप बोलना चाहते हैं या संशोधन रखना चाहते हैं ।

(माननीय सदस्य ने इस पर आसन ग्रहण कर लिया)

*श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आक्षा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वन निगम विधेयक, 1974 राय जानने के लिये एक मास तक जनता में परिचालित किया जाय ।

मान्यवर, जिस प्रकार से आज अपने प्रदेश के अन्दर अनेकों समस्यायें हैं, उनमें से एक समस्या वन विभाग की भी है । आज वन विभाग की उपयोगिता के बारे में कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने जो राय जाहिर की है उसको इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं ।

जिस प्रकार खेती के विकास के लिये आवश्यक संसाधन जुटाने की आवश्यकता है उसी प्रकार वन के विकास के लिये भी सभी साधन जुटाने की आवश्यकता है ।

वनों की उपयोगिता के बारे में तो सभी जानते हैं । वनों के होने से वर्षा ज्यादा होती है । वर्षा होने से नदियों और तालाबों में पानी ज्यादा रहता है जिससे सिंचाई में सहूलियत मिलती रहती है । इन वनों का विकास किया जा सकता है लेकिन 27 साल हो गये हैं और जो विकास हुआ है उसको मैं आपके सामने रखता हूं । विशेषज्ञों के जो आंकड़े हैं उन्होंने कहा है कि अपने प्रदेश में 22 से 25 फीसदी मैदानी इलाके में और 45 फीसदी पहाड़ी इलाके में बनों का होना आवश्यक है ।

आज प्रदेश में केवल 15 फीसदी मैदानी इलाके में और 40 फीसदी पहाड़ी इलाके में बन हैं । यह बन सारे प्रदेश में काटे जा रहे हैं । उनको नष्ट किया जा रहा है । इस प्रकार संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है । यह सारी बातें हो रही हैं तो उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 27 वर्षों में सरकार को इसका होश नहीं था परन्तु जब नेशनल रिफार्मस एग्रीकल्चरल कमीशन ने सिफारिश की कि बनों का होना आवश्यक है तो आपको वन निगम बनाने को ध्यान में आया । मैं कहना चाहता हूं कि आपने कितने निगम बनाये हैं जैसे कि खाद्य निगम, परिवहन निगम, वित्त निगम, लघु उद्योग निगम, खादी बोर्ड, सेतु निगम, बिजली बोर्ड, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, गन्ना विकास बैंक और गन्ना विकास परिषद् । इस प्रकार कितने ही बोर्ड, निगम और परिषदें आपने बना दी हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये निगम कोई रामबाण की औषधि नहीं है । आप यह जो निगम बना रहे हैं तो इन निगमों के पीछे लोकतंत्र की खाल ओढ़कर दूसरे तरीके से तानाशाही होने की दिशा में जा रहे हैं । जब कोई गड़बड़ी इन निगमों में होती है तो उस समय यह कह देंगे कि निगम से पूछें । जैसे कि बिजली बोर्ड है उसमें श्री बालिगा जी ने कहा कि 3 महीने के अन्दर 3 करोड़ रुपये के ट्रांसफारमर चोरी चले गये । इसको जब पूछा जायेगा तब सरकार की तरफ से इसका उत्तर आयेगा कि इस गड़बड़ी को निगम से पूछें । इस प्रकार निगम बनाने का परिणाम क्या हो रहा है यह सब जानते हैं । मंत्री से लेकर संतरी तक गड़बड़ी को छिपाने के लिये कोशिश करेंगे और वह पब्लिक के सामने न आ सकेगी । इसलिये निगम बनाते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बाबूलाल वर्मा]

आपने निगम की बात कही है तो मैं बताता हूं कि यह विधेयक इसलिये लाये कि चूंकि पहले सीजन के उपयोग हेतु राज्यपाल महोदय को बन निगम अध्यादेश लाना आवश्यक हो गया था और चूंकि उस समय उत्तर प्रदेश विधान मंडल सत्र में नहीं था इस लिये अब उत्तर प्रदेश वन निगम अध्यादेश, 1974 को पुर:स्थापित किया गया। परन्तु 27 सालों में बनों के लिये जो किया आप उसमें सोते रहे। मैं कहना चाहता हूं कि त्रेता युग में कुम्भकरण 6 महीने सोता था और यह कलयुगी सरकार 27 सालों में सोकर उठी है। उसमें लिखा है कि चूंकि सीजन शुरू होने व ल: था इसलिये अध्यादेश लाना आवश्यक हो गया था। यह क्यों जारी किया गया, क्या गन्ने का सीजन, फसल का सीजन यदि कहते तो मेरी समझ में आता परन्तु यह बन का सीजन क्या होता है? क्या बनों में लकड़बग्घा या भेड़िया छिपकर गड़बड़ी मचा रहे थे इसलिये बन निगम बना दिया गया कि लकड़बग्घा या भेड़िया बनों में छुप नहीं सकेंगे। वह भेड़िया कोई गड़बड़ी नहीं करने पायेगा चूंकि अध्यादेश बना दिया गया है। यह राज्यपाल का आदेश जारी हुआ है, एक बार एक आदमी जंगल में शिकार करने गया। वह बंदूक घर पर भूल गया है। जब शेर ने हमला किया तो उसने कहा कि वह बन्दूक घर पर छोड़ आया है लेकिन लाइसेंस उसके पास है। इसलिये उसने कहा कि खबरदार हमला न करना। शेर ने उसको मार डाला। तो इसी तरह की बात निगम में भी होगी। मैंने पिछले साल एक कारटून देखा था। उसमें एक महिला का चित्र बना था और ऊपर से पर्दा पड़ा था। उसके अन्दर तस्कर, जखीरेबाज आदि लोग छिपे हुए थे। ऊपर लिखा था: परदा न हटाओ परदा हट जावेगा तो भेद खुल जावेगा। यानी जो बुराई है वह थोड़ी थोड़ी दिखलाई पड़ रही है लेकिन परदा उठ जाने से भेद खुल जावेगा। तो सरकार इसको बचाने के लिए निगम बना रही है। इस विभाग ने चार प्रकार के काम करने के लिए कहा है: (1) परिवेक्षण, (2) परीक्षण, (3) विकास और (4) दोहन। तो इसकी पूर्ति के लिय यह निगम बनाया जा रहा है लेकिन जो पहले निगम बने हैं उनकी क्या कहानी है। मैं जानता हूं कि उनके परिणाम क्या हुए है। उनमें कितने गड़बड़ हुए हैं लेकिन जब हम उनके बारे में कहते हैं तो सरकार कहती है कि निगम से पूछो। तो निगम इसके लिये बनाया जा रहा है कि खर्च बढ़े। इसमें 9 आदमी रक्खे जावेंगे और इस तरह से खर्च बढ़ेगा। आज जंगल नष्ट हो रहे हैं तो यदि कोई ठेकेदार उसको काटता है तो उसके लिये क्या रोकथाम की गई है। आपके पास ईमानदार आदमी नहीं है। तो आपको निगम बनाकर भी इन्हीं आदमियों से काम लेना है। कर्मचारी और अधिकारी वहीं होंगे। केवल निगम लादकर सरकार जो गड़बड़ी करे उससे मुक्ति देने की बात है। जब कोई बात सदन में आवेगी तो सरकार कहेगी कि निगम पर कार्यवाही करो। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं उसमें यदि दम है तो यह है कि जो निगम बनेगा उसके द्वारा जो चीज जहां पैदा होगी उसका उपयोग वहीं पर कर्मशाला खोलकर वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान करके किया जावेगा। तो जो जमीन गांवों में पड़ी हुई है उसका उपयोग नहीं हो पाता है, तो उसका उपयोग निगम के द्वारा वन लगाकर किया जाय। नदियों के किनारे बहुत सी जमीन मिल जावेंगी कि जिस पर व्यय किया जाय तो पेड़ लग सकते है। इस तरह लाखों एकड़ जमीन इस प्रदेश में पड़ी है जिसमें बालू है और गांव सभा वन लगा सकती हैं। एक तो जलाने के लिये लगड़ी मिलेगी और दूसरे गोबर बच जायेगा और खाद के काम आ सकेगा। अतः यह आपको करना चाहिये।

अगर वन निगम बनाना चाहते हैं, यद्यपि उससे कोई फायदा नहीं हैं, तो जैसा आपने कहा है कि कर्मशालायें और कारखाने खोलेंगे, तो यह नियम क्यों नहीं बनाते कि जिस जिले में बहुत से जंगल हैं, वहां वे कारखाने और कर्मशालायें खोली जायं। बहराइच जिले में 16

जंगल हैं, लेकिन आपने वहां कोई कारखाना या कर्मशाना नहीं खोली है। जिस जिले के अंदर इतनी लकड़ी है, पलाई वुड है, लीसा है, घास और बांस हैं, लेकिन कोई कारखाने नहीं लगा सके। बहुत से कारखाने वहां लगा सकते थे, लेकिन किया कुछ नहीं। तो यह केवल आपके पाप को छिपाने का बहाना मात्र है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस निगम के बनाने के पहले काफी सोच-विचार लिया जाय और तब आगे कदम उठाये जायं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उधर के लोग जो बैठे हैं, इसकी महत्ता को नहीं समझते। वे तो केवल बिस पास कराने में "हां" शब्द कहना जानते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक ठीक नहीं है और मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाय और इसे जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जाय। कमेटी इस पर विचार करे। यह बड़ा अहम मसला है। करोड़ो रुपये की सम्पत्ति का सवाल है। यह सम्पत्ति लुट जायेगी। आप कुछ नहीं कर पायेंगे। इसलिये निगम बनाने के पहले जनता में इसको परिचालित करें और समिति बनाकर इस पर विचार कर लें।

*श्री आशा राम यादव (जिला मिर्जापुर)--

अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वन निगम विधेयक, 1974, को प्रवर समिति को भेज दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर दे दे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से बताना चाहता हूं कि वन राष्ट्र की बहुमूल्य सम्पत्ति होती है। वनों से राष्ट्र विकास में बड़ा योगदान होता है। हमारे देश में वनों और बृक्षों से राष्ट्र की संस्कृति का संबंध रहा है। हमारा देश वनों से भरा था। लेकिन जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया और शासन हमारे देश पर करने लगे तो उन्होंने बेरहमी से हमारे देश के वनों को कटवाना आरम्भ कर दिया, क्योंकि उनको देश से कोई ममता नहीं थी। जब 27 वर्ष पहले कांग्रेस ने शासन की बागडोर सभाली, तो इन्होंने भी उसका ख्याल नहीं किया और अंधाधुंध वनों का कटवाना शुरू किया जिसके देश पर बुरे परिणाम हुए। भूगोल के विद्वान जानते है कि किसी भी देश में 33 प्रतिशत वन होने चाहिये लेकिन हमारे देश में वनों का प्रतिशत 23.2 और प्रदेश का 13.2 ह। अब आप यह देखें कि जहां 33 प्रतिशत वन होना चाहिये वहां उत्तर प्रदेश में 13.2 प्रतिशत वन हैं और वनों का वितरण भी समान नहीं है। जहां पहाड़ी एरिया अथवा तराई में वन अधिक हैं वहां मैदानी इलाके में वन बहुत कम हैं जिसका परिणाम यह होता है कि उत्तर प्रदेश में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है। देश भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है और 33 प्रतिशत वन न होने से प्रदेश का समुचित विकास भी नहीं हो सका। 27 वर्ष पहले जहां पश्चिमी जिलों में हफ्तों पानी की झड़ी लगी रहती थी वहां अब पूर्वी उत्तर प्रदेश सूखे से कराह रहा है वन न होने के कारण। वन होने से भाप भरा मानसून जब उन पर से गुजरता है तो वनों से प्रभावित हो कर वह वहां पर वर्षा करता है और वन इन 27 वर्षो के कम होने से परिणाम यह है कि बरसा कम होने लगी जिससे सूखा पड़ने लगा। दूसरा नुकसान वनों के कम होने से यह हुआ कि जमीन बाढ़ के कारण कटती जा रही है, उपजाऊ भूमि बेकार तथा नष्ट होती जा रही ह और हालत यह है कि वहां भी जंगल लगाने का कार्य नहीं किया जा रहा है। वन कटने से बाढ़ भयंकर रूप में पुर्वी जिलों में आया करती है जसे आजमगढ़, बलिया, देवरिया आदि जिलों में लोग बाढ़ से कराह रहे हैं। जंगल कटने से यहां वन सम्पदा संबंधी उद्योग भी स्थापित नहीं हो सके। मिर्जापुर में बांस से कागज की लुगदी बनाई जा सकती है लेकिन वहां उसका कारखाना स्थापित न करके बिहार में बांस भेजा जा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री आशा राम यादव]

रहा है । इस प्रकार आपने हमेशा जंगलों की उपेक्षा की है जिसके कारण प्रदेश एक भयंकर स्थिति में फंस गया है। खाद्य स्थिति संगठन विशेषज्ञों के अनुसार हमारी माली आवश्यकताओं तथा वन संस्थानों के बीच एक गहरी खाई पैदा हो रही है । जहां विकसित देशों में प्रति व्यक्ति कार्ट की खपत .74 घन मीटर होती है और अफ्रीका जैसे पिछड़े महाद्वीप में .54 घन मीटर कार्ट उपयोग होती है वहां हमारे देश में वह .2 तथा प्रदेश में .1 घन मीटर प्रति व्यक्ति कार्ट इस्तेमाल होती है । इस प्रकार अगर हम वनों पर आधारित जो उद्योग हैं उस दृष्टि से भी देखें तो हम बहुत पिछड़े हुए हैं । यह आपका वन विभाग, उत्तर प्रदेश 1974 की प्रगति विवरण है जिसमें बतलाया गया है किस प्रकार से यहां वनों को लगाया गया है । हम देखेंगे कि आंकड़े बहुत ही कम दिखाये गये हैं और आने वाली पीढ़ी इनको कभी क्षमा नहीं करेगी क्योंकि यह प्रांत वनों में कमी होने से सूखे तथा बाढ़ से कराह रहा है । जो सरकारी आंकड़े वनों के बारे में दिये गये हैं और जहां जहां पर इन्होंने कहा है कि पेड़ लगाये जायेंगे वहां पर एक भीपेड़ नहीं मिलेगा । मिर्जापुर में आपको एक भी पेड़ नहीं मिलेगा। जंगल एक तरह से सूख गये हैं।

मैं अभी दुद्धी से आ रहा था तो मैंने देखा कि वहां पर मीलों तक वनों में आग लगी हुई है। उसकी व्यवस्था करने वाला कोई नहीं है । इस तरह से आज जंगलों की हालत है । दूसरी बात यह है कि सन् 52 में वनों के विकास के लिये एक राष्ट्रीय नीति बनायी गई थी और वनों को चार भागों में विभाजित किया गया था । पहले प्रकार के तो वे वन हैं जिनको इन्होंने आरक्षित वन कहा और जो कि देश की जलवायु और भौतिक दृष्टि से आवश्यक होने चाहिये थे । किन्तु उत्तर प्रदेश में ऐसे वन नहीं लगाये गये । पूरा का पूरा मैदानी भाग खाली पड़ा हुआ है । दूसरे प्रकार के वे वन थे जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा और उद्योग की दृष्टि से आवश्यक थे । उत्तर प्रदेश में इस तरह के एक भी वन की स्थापना नहीं की गई । तीसरे प्रकार के ग्राम वन जिनकी खाद खेतों में बहुत उपयोगी होती है और चौथे ऐसे वन जिनके पेड़ों की लकड़ी चूल्हे में जलाने के काम आती है । इन सभी प्रकार के वनों की उत्तर प्रदेश में कोई उपयोगिता नहीं समझी गई और एक की भी स्थापना नहीं हुई । केवल कागजी योजनायें हैं जो कि केवल कागजों पर ही हैं । मैं इस संबंध में सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि निगमों की स्थापना द्वारा आप अपने ऊपर पर्दा न डालें । जो योजना बनीं, उनका पालन नहीं हुआ है । आप इस कार्य को निगम को न सौंप कर स्वयं करें । आप जनता के प्रति उत्तरदायी हैं इसलिये मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप एक निश्चित समय निर्धारित कर लें कि इतने समय में निश्चित रूप से वन लगाये जायेंगे । दूसरा सुझाव यह है कि प्रदेश में जितनी नदियां बहती हैं उनमें आये दिन बाढ़ आती रहती है । ऐसी नदियों के दोनों तटों पर आप वन लगा दें इससे बाढ़ से भी रक्षा हो जायेगी और उससे जो जमीन खत्म होती है उसे भी रोका जा सकेगा । तीसरा सुझाव मेरा यह है कि गांवों के पास बकार, बंजर और अनुपजाऊ भूमि जो होती है उनमें वन लगाये जायं जिससे खाद की समस्या भी हल हो जायेगी और जमीन भी उपयोगी हो जायेगा। साथ ही उन जंगलों से जो लकड़ी मिलेगी उससे वहां के किसान अपना चूल्हा तो जला सकेंगे । इसके अलावा आपको जो यातायात की सड़कें हैं उनक दोनों तरफ काफी जमीन रहती है, उसके दोनों किनारों में वन लगाये जायं । इससे वहां की जलवायु भी ठीक रहेगी ।

एक सुझाव और देना चाहता हूं कि आपके जंगल विभाग के जो कर्मचारी हैं वे जंगलों को काटने का काम ठेकों पर दे देते हैं जिससे वे लोग अन्धाधुन्ध जंगलों को काट लेते हैं । आपका कर्मचारी पैसा लेकर यह करवाता है । अतः इसके लिये वैज्ञानिक तरीके का उपयोग किया जाय जिससे जंगलो की अधिक सुरक्षा हो सकेगी । मेरा अंतिम सुझाव यह है कि आपके वन विभाग के कमचारी प्रशिक्षित नहीं हैं । अतः उनके लिये एक प्रशिक्षण केंद्र खोला जाय

और उत्तर प्रदेश में एक वन विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिये जिससे विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके जंगलों का सही उपयोग करा सकें । मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैंजमाननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वन विभाग में जो आप बनाने जा रहे हैं उसको आप खत्म करें और जिस तरीके से काम चल रहा था उसी तरह से उसे चलने दें।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

माननीय अध्यक्ष जी, राजा साहब माननीय मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है वह एक कारपोरेशन बनाने के संबंध में है । क्या ही अच्छा होता यदि यह बिल पहले आया होता और इस पर बहस हो गई होती । और यह कारपोरेशन बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं इस पर इस माननीय सदन में मत व्यक्त हो गये होते तो शायद आप आसानी से इस निष्कर्ष पर आसानी से पहुंच पाते । हमारे उत्तर प्रदेश की जनता कारपोरेशन बनाना चाहती है या नहीं ।

नेशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर में जो रिपोर्ट छपी है श्रीमन् वह इस बात को ताईद करती है कि हमारे देश में जंगलों के लिए कारपोरेशन की आवश्यकता है लेकिन उन्होंने जो इसके लिये बात रखी है राय साहब ने उन बातों को उद्देश्य और कारणों में से निकाल दिया है कहा है कि मैन मेक फारेस्ट हों ताकि उन पर बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप कर सकें तो यह बात खास तौर से रिपोर्ट में कही गई है उसके लिये मैन मेक फारेस्ट चाहिये और उसके माध्यम से काम होना चाहिये उस रिपोर्ट का लब्बो-लिबाब यह है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने विवेचना दी है उसमें लिखा है "राज्य में बनने में अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम पर्यवेक्षण तथा विकास और वन उपज के अपेक्षाकृत अच्छे विदोहन के लिये तथा उससे संबंधित विषयों की व्यवस्था करने के लिये तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो निगम बनाने की बात है उसस जो अनुभव है वह हमारे सामने आ चुका है चाहे वह बिजली बोर्ड है उसे आप देख लीजिये, चाहे फूड कारपोरेशन है । मैं तो कहूंगा कि फूड कारपोरेशन आफ इंडिया जो है या बिजली बोर्ड जो है जब से उसके हाथ में इन विभाग का कार्य सौंपा गया तब से विभाग में एफीसेंसी खतम हो गई है न सिर्फ एफीसेंसी खतम हुई है बल्कि उन सबने घाटे का अवलम्बन लिया है और वह सरकार का मुंह देखते हैं । उत्तर प्रदेश से बिजली गायब हो गई और फूड कारपोरेशन ने जब से काम शुरू किया तब से गोदामों से गल्ला गायब हो गया इतना ही नहीं जो पहले दाम थे उसमें कई गुना बढ़ोतरी हुई । तो पुराना अनुभव यह है कि निगम बनाने से काम ठीक से नहीं हुए और अंततोगत्वा वह घाटा दिखाते हैं । आप पुराने कंजरवेटिव सिस्टम को खतम करना चाहते हैं, उसमें चेंज करना चाहते हैं जो पुराना अंग्रेजों के जमाने से सिस्टम चला आ रहा है उसको चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है वह होना चाहिये इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन कारपोरेशन बनाने से इस समस्या का हल क्या कर लेंगे ।

मैं माननीय राजा साहब से कहना चाहता हूं कि क्या कारपोरेशन बनाने से आपका जो मन्तव्य है वह पूरा हो जायेगा ? दो-तीन पंचवर्षीय योजनायें जो चालू हुई उसमें जो खर्च हुआ उसके आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं तीनों योजनाओं में वन विकास के कार्यों पर 138.42 लाख और 8.32 लाख, 1968 से 70 तक 243 लाख रुपया व्यय हुआ। श्रीमन्, यह रिपोर्ट में कहा गया है। आज वनों का विकास क्यों नहीं हो पाया है उसका एक कारण यह है और वह कारण यह है कि जितना धन मिलना चाहिये था वनों के विकास के लिए वह धन मिला नहीं इसलिये मनों का विकास नहीं हो पाया तो जो यह मूल बात थी उस पर गवर्नमेन्ट को सोचना चाहिये था इसके लिये फंड ज्यादा होने चाहिये । ठीक है कि आज पुराने कंजरवेटिव सिस्टम को खत्म करना चाहिये । श्रीमन् वन विभाग की रिपोर्ट छपी है वह मेरे पास है उसमें से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

आप देखेंगे कि जो उद्योग हैं वह प्लाईउड के हैं या खेल-कूद के सामान के हैं व आरा मशीन है, फर्नीचर उद्योग हैं तो इस प्रकार के छोटे छोटे उद्योग हैं जिनके लिये कारपोरेशन की आवश्यकता नहीं है। इन कामों के लिये आरा मशीन वाले प्राइवेट लोगों से लकड़ी ले सकते हैं। तो इन कामों के लिये कारपोरेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जनता की राय जानना आवश्यक है। जो पुराना सिस्टम है क्या उसके माध्यम से यह कार्य नहीं हो सकता है, यह आपको देखना है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, यह मेरा संशोधन है कि उत्तर प्रदेश वन निगम विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया जाए और इसका प्रतिवेदन एक....

श्री अध्यक्ष–

संशोधन को इस स्टेज पर मैं नहीं स्वीकार करूंगा, आप भाषण दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

इसमें बहुत बड़ा षड़यंत्र है। जितने विभाग हैं उसमें से यह सबसे छोटा विभाग है और इस विभाग का बजट भी बहुत मामूली है। जो आप निगम बनाने जा रहे हैं, वह इसलिये बनाने जा रहे हैं कि उस पर से सरकार का नियंत्रण हटे और भ्रष्ट अधिकारियों को पूरी छूट मिले, मंत्रियों और उनके समर्थकों को जंगलात खत्म कर बहुत बड़ा भूमिपति बनाया जाए। इसके अलावा भी इसमें बड़े स्वार्थ अन्तर्निहित हो सकते हैं। इस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है।

मैं अपने यहां के जंगलों के बारे में बताना चाहता हूं। वहां पर सैकड़ों एकड़ जमीन पर वन अधिकारी खेती कराते हैं, उन्होंने ट्यूबवेल लगवाएं हैं, वह सरकारी बिजली खर्च करते हैं और अन्य सरकारी सुविधाओं का अपने स्वार्थ में इस्तेमाल करत हैं। इन पर सारा खर्चा सरकारी होता है, लेकिन सरकार को कोई लाभ न मिलकर सारा लाभ उनको व्यक्तिगत रुप से मिलता है। जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी है, उनके हाथ में इसे सौंपकर आप भ्रष्टाचार को और बढ़ायेंगे जो सरकार भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है, उसको और बढ़ावा देने के लिये यह सरकार एक कदम उठाने जा रही है। जो हमारा सड़क परिवहन निगम है, उसमें आप सभी जानते हैं, कितना बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है। उसको देखकर आप निगम बनाने का अपना इरादा छोड़ें। इसका नतीजा यहा होगा कि जब कभी इसके भ्रष्टाचार के विषय में मैं सदन में मान्यवर, आपके माध्यम से प्रश्न सरकार से करूंगा तो उसके लिये हमें इजाजत नहीं देंगे और आप कहेंगे कि यह तो सरकार के नियंत्रण के बाहर की बात है। इसलिये सरकार द्वारा ऐसा रास्ता अपनाया जा रहा, जो हम लोग सदन के अन्दर आपके माध्यम से इस विभाग की अनियमितताओं के बारे में थोड़ी बहुत बात कह लेते हैं, वह भी बन्द हो जायेगी। इस तरह से जब सरकार के नियंत्रण में है, सरकार अफसरों की मनमानी को रोक नहीं पा रही है, निगम बनने के बाद तो अफसर और स्वेच्छाचारी हो जायेंगे और जैसा कहा गया जंगलात खत्म हो जायेंगे तो उसका प्रदेश और देश की जलवायु पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जलवायु खराब हो जायेगी और वर्षा भी समाप्त हो जायेगी। जब निगम बनेगा तो उसका एक नतीजा यह भी होगा कि उसके अफसर कर्ज लेंगे यह भी इनका उद्देश्य है। ये कर्ज लने के लिये वनों का बैनामा कर देंगे, तो फिर वे वन आपके पास वापस आने वाले नहीं है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, यदि आप अपने मंत्रिमंडल को बढ़ावें, डिप्टी मिनिस्टर आप नियुक्त कर लीजिये, जो कि इस विभाग का काफी अच्छी तरह से इंतजाम कर सकते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

जब बढ़ा लूंगा तो आप लोगों कहेंगे सरकारी खर्च बढ़ा दिया जाय। आप न तो पूर्व में चलने देते हैं न पश्चिम में।

श्री मुलायम सिंह यादव---

ऐसी बात नहीं है। मैं तो यह भी कहता हूं कि आप हेप्लीकाप्टर पर मत चलिये, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना आपने किया है। लेकिन आप हमारी कोई बात मानते ही कहां हैं। इसके पीछे आपको यह भी उद्देश्य हो सकता है कि जिन अपने साथियों का आप कहीं इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, उनको इसमें खपा दिया जाय। आप अपने आदमी को इसमें चेयरमैन बनवा देंगे। यह भी सरकार की मंशा हो सकती है कि अपने में से कोई निगम का अध्यक्ष बनावें। इस तरह से भी सन्तुष्टि करने का आपका मामला हो सकता है। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कह रहे हैं, इन अफसरों को अपने नीचे से निकाल कर और मनमानी करने का अवसर देंगे। यह किसी स्टेट बैंक या एल० आई० सी० से कर्जा लेंगे। लेकिन जैसे विद्युत् परिषद् एक निगम है उसमें इतना घाटा चल रहा है कि पूरी प्रापर्टी बेच दें तो भी उस कर्जे को नहीं चुका सकेंगे। इसी तरह से वह वनों को खत्म कर देंगे। इसलिये मैं कहूंगा कि आप इस निगम को न बनाएं। अगर आपको ज्यादा भ्रष्टाचारी बनाना है तो आप बनायें।

श्री अध्यक्ष---

बाबा रामनाथ। समय नहीं है। दो मिनट में समाप्त कर दें।

*बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं वन मंत्री से कहना चाहूंगा कि किसी भी विभाग का जायजा उसकी आमदनी से लिया जाता है। मेरे पास 1965 से लेकर 1972 तक के आंकड़े हैं कि वनों से कितना राजस्व मिला और कितना खर्चा हुआ। 1965-66 में राजस्व की उपलब्धि 14 करोड़ 25 लाख के करीब थी। 1971-72 में 21 करोड़ 22 हजार थी। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि 1970-71 में जो राजस्व प्राप्त हुआ था 1972-73 में वह गिर गया। जब हम विकास की तरफ जाते हैं तो पिछले साल से अगले साल में ज्यादा राजस्व की उपलब्धि होनी चाहिये। लेकिन अगर इसका पूरा ब्योरा दिया जाय तो उससे मालूम होगा कि हमारे वन विभाग से उपलब्ध होने वाला राजस्व गिरता जा रहा है। यह शोचनीय अवस्था है।

दूसरी बात यह है कि पर्वतीय अंचल से एक पत्रिका निकलती है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जिस तरह से वनों की लड़की ठेकेदारी से लेते हैं, वह किसी तरह से बेची जाती है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मैचबाक्स बनाने वाली एक कम्पनी है जिसको मिट्टी के मोल वहां की लकड़ी दे दी गयी। कोई हिसाब नहीं कि उसको कितनी लकड़ी चाहिये थी। इस तरह से वन विभाग की लकड़ी का दुरुपयोग होता है। वनों से लिसा निकलता है, लकड़ी से दियासलाई बनती है, फर्नीचर बनता है। इस तरह से हमारे वन मंत्री और विभाग को जानकारी होनी चाहिये कि क्या वजह है कि राजस्व बढ़ता क्यों नहीं है।

जहां तक निगम का सवाल है मेरा एक ही सुझाव है। निगम में एक अध्यक्ष होंगे। जैसा ग्लूकोज कांड में हुआ। वहां पर जो ड्रग बनाने वाला था वह फार्माकालोजिस्ट नहीं था। यहां पर अध्यक्ष ऐसे आदमी को बनाएं जो कम से कम एक्सपर्ट हो जो वन की समस्याओं को समझता हो और जो वन से सम्बन्धित इंडस्ट्रीज ह उनके मुताल्लिक जानता हो। साथ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[बाबा रामनाथ---]

हो साथ जो आप समिति बनायें उसमें भी ऐसे लोगों को रखें जिनको वन की समस्याओं के मुताल्लिक ज्ञान हो। कहीं पार्टीबन्दी में फंस कर किसी ऐसे आदमी को न बिठा दें जो आज वनों की दुर्दशा है उससे ज्यादा दुर्दशा निगम में हो जाय।

मेरा सिर्फ एक सुझाव है कि इसमें जो भी जायं, खास कर अध्यक्ष कम से कम एक एक्सपर्ट होना चाहिये ताकि अधिक से अधिक राजस्व की उपलब्धि हो सके और वनों का सदुपयोग हो सके। यही मुझे कहना है।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसका संबंध हिन्दुस्तान की सभ्यता से है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सभ्यता खाने लग जाती है। इस समय भारतीय सभ्यता के ऊपर यूरोप की सभ्यता हावी हो गई है तो हिन्दुस्तान और प्रदेश की सरकार वन सभ्यता को खत्म करने पर उतारू हो गई है। इधर जितने वन कटे हैं वह चिन्ता का कारण हो गये हैं।

1958 में हमारे प्रधान मंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने मिर्जापुर में जाकर कहा था रिहन्द बांध का उद्घाटन करते हुये कि हम इसके दक्षिणांचल को स्विजरलैन्ड बना देंगे। लेकिन वह दिल्ली लौट आये। लेकिन जो इलाका जंगल का है मिर्जापुर का उसमें कुछ भी नहीं किया गया है। उत्तराखण्ड में सूबे की सरकार जंगल के निवासियों के साथ बड़े पैमाने पर उनको असुरक्षित बना रही है उसी का नतीजा है कि आज वहां चीक आन्दोलन चल रहा है। बूढ़े और औरतें इसमें शामिल होकर सरकार की जो जंगल विरोधी नीति है उसका विरोध कर रहे हैं। वह नंगे बदन पेड़ों पर चिपक जाते हैं।

जो ठेकेदारी व्यवस्था द्वारा कार्य हो रहा है उसके संबंध में मिर्जापुर तथा उत्तराखंड के निवासियों की ओर से यह आवाज आ रही है कि ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिये। इस बिल की मारफत जो निगम बनाने की बात कही जा रही है तो इससे वन सभ्यता को कोई फायदा नहीं हो सकता है। वन निगम बनाने से वन सभ्यता टिक नहीं सकती है। जब तक इसका शासन गांव पंचायत या जिला परिषद के स्तर पर न चलाया जायेगा तब तक विदेशी दिमाग से कारपोरेशन बनाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। यह वन दिल्ली, लखनऊ तथा वाराणसी आदि शहरों के ही आकर्षण केन्द्र न हो जायं। वहां के निवासियों की यह स्थिति हो गई है कि नंगे बदन प्रतापगढ़ और बलिया स्टेशनों पर उनको भीख मांगते हुये देखा जा सकता है और सरकार के पास उनको देने के लिये कुछ भी नहीं है।

आज जरूरत इस बात की हो गई है कि वहां पर छोटे छोटे उद्योग स्थापित किये जाय जिनमें वहां की वन सम्पदा का इस्तेमाल हो सके। उनकी आर्थिक विषमता दूर हो सके। वन के इलाकों में वन विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिये। आज मिर्जापुर का पूरे का पूरा दक्षिणांचल इस व्यवस्था से पीड़ित हो गया है। पूर्वांकल का पूरा इलाका बिजली का लाभ उठा रहा है लेकिन दुद्धी और चौपन के इलाके के लोगों ने एक बल्ब भी नहीं देखा है। वे नहीं जानते हैं कि बिजली क्या चीज है। मेरा निवेदन यह है कि पहले जंगल राजाओं के शिकार की जगह हुआ करते थे। लेकिन आज इस नजरिये को बदलना होगा। केवल कारपोरेशन से काम चलने वाला नहीं है। इसको प्रवर समिति में भेजा जाय जिससे वहां पर इसके ऊपर अच्छी तरह से विचार हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को सुनने के बाद कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वन विभाग समाप्त कर दिया जायगा, तो ऐसा नहीं है। वन विभाग अपनी जगह पर रहेगा। वन निगम को एक कारण से स्थापित किया गया है कि ठेकेदारी जो प्रथा है उसको हमें समाप्त करना है और आप लोगों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष उत्तरकाशी और टेहरी में कार्य आरम्भ कर दिया है और यह मैदानी जिले में गोंडा और खीरी जिले और थोड़ा सा पीलीभीत जिले में वह कार्य आरम्भ कर दिया है। धीरे धीरे यह ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो जायगी और जो वृक्षारोपण का कार्य है वह तो वन विभाग अपने ढंग से करता रहेगा। इसलिये मैं यह जो संशोधन है इसको नहीं मंजूर करता।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश वन निगम अध्यादेश, 1974 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वन निगम विधेयक, 1974 राय जानने के लिये एक मास तक जनता में परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वन निगम विधेयक, 1974 को प्रवर समिति को भेज दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के अन्दर दे दें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वन निगम विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3

परिभाषायें 2--इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "निगम" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश वन निगम से है;

(ख) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य किसी नगर महापालिका, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, नोटीफाइड एरिया कमेटी, जिला परिषद्, अन्तरिम जिला परिषद्, क्षत्र समिति अथवा गांव सभा से है;

(ग) "प्रबन्ध निदेशक" का तात्पर्य धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त निगम के प्रबन्धक निदेशक से है;

(घ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

(ङ) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है,

(च) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ।

निगम की स्थापना तथा उसका गठन

निगम की स्थापना

3--(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा तथा ऐसे दिनांक से जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जायेगा, उत्तर प्रदेश वन निगम के नाम से एक निगम गठित करेगी ।

(2) निगम शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा वाला एक निर्गमित निकाय होगा तथा वह अपने निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा उसका निस्तारण करने की शक्ति होगी ।

(3) निगम समस्त प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी होगा ।

(4) निगम का मुख्यालय लखनऊ में होगा तथा उसके कार्यालय ऐसे अन्य स्थानों पर भी हो सकते हैं जहां वह आवश्यक समझे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 4

निगम का गठन

4--(1) निगम एक अध्यक्ष जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी तथा निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात्--

(क) पांच सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन सेवा करने वाले अधिकारियों में से नियुक्त किये जायेंगे, जिनमें से एक को निगम का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया जायेगा; और

(ख) तीन से अनधिक अशासकीय सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से जिन्हें उसकी राय में वनों के परिरक्षण तथा विकास से संबंधित विषयों का अनुभव हो, नियुक्त किये जायेंगे ।

(2) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति गजट में अधिसूचित की जायेगी ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :--

खंड 4 (1) को निकाल कर उसके स्थान पर निम्नलिखित लिख दिया जाय :--

4 (1) निगम में एक अध्यक्ष जिसका चुनाव निम्नलिखित सदस्य अपने में से ही करेंगे, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी नहीं होगा ।

श्री अजीत प्रसाद सिंह--

मैं इसको नहीं मंजूर करता ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 4 (1) को निकाल कर उसके स्थान पर निम्नलिखित लिख दिया जाय:--

4 (1) निगम में एक अध्यक्ष जिसका चुनाव निम्नलिखित सदस्य अपने में से ही करेंगे, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य सरकारी अधिकारी कर्मचारी नहीं होगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 4 (1) (ख) की प्रथम पंक्ति के प्रथम शब्द "तीन" को हटा कर उसके स्थान पर शब्द "छ" लिख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 4 (1) (ख) की प्रथम पंक्ति के प्रथम शब्द "तीन" को हटा कर उसके स्थान पर शब्द "छ" लिख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बाबूलाल वर्मा--

मान्यवर, जो मैं जो संशोधन पेश कर रहा हूं वह आपके हित के लिये है इसे आप अवश्य स्वीकार करेंगे।

खंड 4 के उपखंड 1 (ख) की प्रथम पंक्ति में शब्द "तीन से अनधिक" के स्थान पर शब्द "दस से अनधिक" रख दिये जायें।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मान्यवर, यह मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 4 के उप खंड 1 (ख) की प्रथम पंक्ति में शब्द "तीन से अनधिक" के स्थान पर शब्द "दस से अनधिक" रख दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मुलायम सिंह यादव--

खंड (4) (1) (ख) की प्रथम पंक्ति में शब्द "सदस्य" के बाद और शब्द "जो" के पहले निम्नलिखित रख दिया जाये--

"जिनमें दो विधान सभा सदस्य होंगे।"

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मान्यवर, यह मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड (4) (1) (ख) की प्रथम पंक्ति में शब्द "सदस्य" के बाद और शब्द 'जो" के पहले निम्नलिखित रख दिया जाय --

"जिनमें दो विधान सभा सदस्य होंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बाबू लाल वर्मा--

खंड 4 के उप खंड (1) (ख) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये--

तथा दस में से पांच सदस्य विधान सभा सदस्य होंगे ।

श्री अध्यक्ष--

आपका यह सवाल उठता नहीं है । जब 2 नामंजूर हैं तो 5 कैसे मंजूर होंगे । अतः खारिज हुआ ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 4 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 5, 6, 7, 8 और 9

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के लिये अनर्हताएं

5--कोई व्यक्ति निगम का अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य नियुक्त किये जाने अथवा होने के लिये अनर्हित होगा, यदि वह--

(क) किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्ध-दोष हुआ हो जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता समन्वित हो या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया हो, या

(ग) ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असमर्थ हो, या

(घ) राज्य सरकार की राय में निगम के सर्वोत्तम हित में कार्य करने में असफल रहा हो अथवा उसके लिये असमर्थ हो गया हो या उसने अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो जिससे कि उसका उस रूप में बना रहना निगम अथवा जन साधारण के हित के लिये हानिकर हो गया हो, या

(ङ) स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा निगम के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित रखता हो, या

(च) किसी ऐसी कम्पनी का निदेशक सचिव, प्रबन्धक अथवा अन्य अधिकारी हो जो निगम के साथ उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश अथवा हित रखती हो :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ङ) अथवा खण्ड (च) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इस कारण से अनर्ह नहीं होगा कि उसका या उस कम्पनी का, जिस का वह निदेशक, सचिव, प्रबन्धक अथवा अन्य अधिकारी हो--

(1) किसी स्थावर सम्पत्ति की बिक्रय, को उसे पट्टे पर देने या उसके विनिमय अथवा बिक्री के लिये किये गये किसी करार में,

(2) धन के ऋण के लिये किसी करार में या केवल धन के भुगतान के लिये किसी प्रतिभूति में,

(3) किसी ऐसे समाचार-पत्र में, जिसमें निगम के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रकाशित किया जाता हो,

(4) निगम को किसी एक वर्ष में दस हजार रुपये से अनधिक मल्य तक की किसी ऐसी वस्तु की, जिसमें वह या कम्पनी नियमित रूप से व्यापार करती हो यदाकदा बिक्री में,

कोई अंश या हित हैं ।

स्पष्टीकरण--किसी व्यक्ति के बारे में केवल इस कारण से कि वह किसी ऐसी कम्पनी में अंशधारी है जिसका कि ऐसा अंश या हित है, यह नहीं समझा जायेगा कि उसका निगम के साथ, उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से की गई किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित है ।

अध्यक्ष तथा अशासकीय सदस्यों की पदावधि

6--(1) निगम के अध्यक्ष की यदि वह राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाला कोई अधिकारी न हों, या किसी अशासकीय सदस्य की पदावधि तीन वर्ष होगी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसे गजट में अधिसूचना द्वारा पहले ही समाप्त न कर दिया जाय ।

(2) अध्यक्ष या कोई अशासकीय सदस्य किसी भी समय, राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेखा द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है और ऐसा त्याग पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है ।

आकस्मिक रिक्ति

7--(1) यदि अध्यक्ष या कोई अशासकीय सदस्य अशक्तता के कारण अथवा अन्यथा अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाय अथवा उन परिस्थितियो से जिनमें उसका पद रिक्त होना अन्तर्ग्रस्त न हो भिन्न परिस्थितियों में अनुपस्थित हो तो राज्य सरकार उसके स्थान पर कार्य करने तथा इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है ।

(2) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष या किसी अशासकीय सदस्य के त्याग-पत्र दिये जाने अथवा किसी अन्य कारण से होने वाली, कोई आकस्मिक रिक्ति नई नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष या अशासकीय, सदस्य यथास्थिति, उस अध्यक्ष या अशासकीय सदस्य को, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नियुक्त किया जाय, अवशिष्ट पदावधि के लिये पद धारण करेगा ।

निगम के कर्मचारियों की नियुक्ति

8--(1) निगम इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिये ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति, जिन्हें, राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के परामर्श से अथवा राज्य सरकार के अनुमोदन से, जैसा भी राज्य सरकार निदेश दे, की जायगी ।

(2) निगम, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी कर्मचारी को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिनके बारे में सहमति हो जाय नियुक्त कर सकता है ।

वेतन तथा भत्ते

9--(1) अध्यक्ष तथा अशासकीय सदस्य निगम की निधि में से ऐसे यात्रा तथा दैनिक भत्ते पाने के हकदार होंगे जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायं।

(2) निगम के प्रबन्धक, निदेशक तथा अन्य कर्मचारी निगम की निधि में से ऐसे वेतन तथा भत्ते पाने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगे जो विनियमों द्वारा अवधारित की जायें।

श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 5 में प्रतिबन्धात्मक खंड के उप खंड (1) में शब्द "अथवा बिक्री के लिये" के स्थान पर शब्द "अथवा बिक्री, क्रय, पट्टा या विनिमय के लिये" रिख दिये जायें तथा उप खंड (2) में शब्द "वन के रिण" के स्थान पर शब्द "धन के ऋण" रख दिये जायें।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

यह मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 5 में प्रतिबन्धात्मक खंड के उपखंड (1) में शब्द "अथवा बिकी के लिए" के स्थान पर शब्द "अथबा विकी कय पटटा या विनिमय के लिए" रख बिए जांय तथा उपखंड (2) में शब्द "वन के ऋण" के स्थान पर शब्द "धन के ऋण" रख दिए जाँय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 5, 6, 7, 8 तथा 9 इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 10, 11

प्रबन्ध निदेशक द्वारा नियत्रण

10--निगम के अधीक्षक के अधीक्षण रहते हुए निगम के कर्मचारियों पर सामान्य नियंत्रण प्रबन्ध निदेशक में निहित होगा।

बैठक

11--(1) निगम की बैठक ऐसे समय तथा ऐसे स्थानों पर होगी और वह अपनी बैठकों में कार्यसंपादन के सम्बन्ध में प्रक्रिया को ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

(2) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में, सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित निगम का कोई सदस्य, निगम की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) निगम की बैठकों में प्रश्न उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे और बराबर बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य को द्वितीय अथवा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(4) अध्यक्ष, निगम का किसी विषय में सहायता देने अथवा परामर्श देने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को निगम की बैठक में उपस्थित होने के लिये आमंत्रित कर सकता है और इस प्रकार आमंत्रित व्यक्ति निगम के विचार-विमर्श में भाग ले सकता है किन्तु उसे मत देने का अधिकार न होगा।

श्री इन्द्र लाल---

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 10 के पार्श्व शीर्षक में शब्द "पर्यवेक्षण तथा" निकाल दिये जायें ।

श्री अजीत प्रसाद सिंह---

मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 10 के पार्श्व शीर्षक में शब्द "पर्यवेक्षण तथा" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 10 एवं खंड 11 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 12 13 व 14

हित के कारण कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये अनर्हता

12---कोई सदस्य, जो निगम की ओर से की गई अथवा किये जाने के लिए प्रस्थापित किसी संविदा ऋण, ठहराव अथवा प्रत्यक्ष प्रस्थापना से अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे सम्बद्ध अथवा हितबद्ध हो, शीघ्रतम सम्भव अवसर पर निगम को अपने हित का स्वरूप प्रकट करेगा और उसकी किसी भी बैठक में, जब कभी ऐसी संविदा ऋण, ठहराव अथवा प्रस्थापना पर विचार विमर्श हो, तब तक उपस्थित नहीं होगा जब तक की सूचना प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अन्य सदस्यों द्वारा उसकी उपस्थित की अपेक्षा न की जाय और उपस्थित होने के लिये इस प्रकार अपेक्षित कोई सस्यद किसी ऐसी संविदा, ऋण ठहराव अथवा प्रस्थापना पर मत नहीं देगा ।

रिक्ति आदि के कारण कोई कार्य अविधि मान्य नहीं होगा

13---निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई कार्यवाही केवल निगम में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होनें के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जायगी ।

निगम के कृत्य और उसकी शक्तियां

निगम के कृत्य

14---इस अधिनियम के उपबन्धों तथा राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए, निगम के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात्---

(क) राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गये वृक्षों को हटाना और उनका निस्तारण करना तथा वन सम्पदा का विदोहन करना;

(ख) राज्य के भीतर वन-विज्ञान से सम्बन्धित परियोजनायें तैयार करना;

(ग) वन तथा वन-उत्पादन से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्यक्रम चलाना और वन विज्ञान से सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकार को तकनीकी सलाह देना।

(घ) ऐसे वनों का प्रबन्ध, अनुरक्षण तथा विकास करना जो उसे राज्य सरकार द्वारा अन्तरित किये जायें अथवा सौंपें जायं,

(ङ) ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जिनकी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाय ।

श्री इन्द्र लाल--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 12 की पांचवीं पंक्ति में शब्द 'उपस्थित' के स्थान पर शब्द 'उपस्थिति' रख दिया जाय।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

श्रीमन्, मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 12 की पांचवीं पंक्ति में शब्द "उपस्थित" के स्थान पर शब्द "उपस्थिति" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 12, खंड 13 और 14 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 15, 16 व 17

निगम की शक्तियां

15--(1) निगम को, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसा कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी इस अधिनियम के अधीन उस कृत्यों की कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हों ।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी--

(क) वन के कच्चे माल के प्रसंस्करण के लिए कर्मशालायें अथवा कारखाने स्थापित करना;

(ख) प्रयोगशालाओं और प्रयोगिक तथा अनुसन्धान केंद्रों की स्थापना, अनुरक्षण तथा प्रचालन करना;

(ग) किसी व्यक्ति से ऐसी संविदा अथवा ठहराव करना जिसे निगम इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे;

(घ) धन उधार देना, ऋण जारी करना तथा अपनी निधियों का प्रबन्ध करना; और

(ङ) व्यय करना तथा ऐसे व्यक्तियों को ऋण तथा अग्रिम स्वीकृत करना, जिन्हें निगम इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे ।

16--निगम, राज्य सरकार के अनुरोध पर अथवा, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर, किसी वनरोपण परियोजना के निष्पादन को, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जिसके बारे में सहमति हो जाय, अपने हाथ में ले सकता है । निगम की अन्य व्यक्तियों की प्रेरणा पर परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने की शक्ति

अध्याय--4

वित्त लेखे तथा लेखा परीक्षा

17--(1) निगम की अपनी निधि होगी जो स्थानीय निधि होगी और जिसमें निगम द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त समस्त धन जमा किया जायगा। निगम की निधि

(2) निधि का प्रयोग इस अधिनियम के अधीन निगम द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन करने में उपगत व्यय को पूरा करने में किया जायगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायगा।

(3) निधि की धनराशि स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक या किसी अनुसूचित बैंक में रखी जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात निगम की ऐसी नकद धनराशि रखने से जो चालू भुगतान के लिए आवश्यक हों, अथवा निधि के किसी भाग को जो तुरन्त व्यय करने के लिए अपेक्षित न हो, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 में वर्णित किन्हीं प्रतिभूतियों में विनिहित करने से प्रवारित करने वाली न समझी जायगी ।

श्री इन्द्र लाल--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 15 के उपखंड (2) (घ) में शब्द "ऋण-पत्र जारी करना" के पश्चात् शब्द "और" रख दिया जाय, तथा उपखंड (2) (ङ) में शब्द "अग्रिम स्वीकृत करना" के पश्चात् आया हुआ सेमी-कोलन निकाल दिया जाय।

श्री अजीत प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 15 के उपखंड (2) (घ) में शब्द "ऋण-पत्र जारी करना" के पश्चात शब्द "और" रख दिया जाय, तथा उपखंड (2)(ङ) में शब्द "अग्रिम स्वीकृत करना" के पश्चात आया हुआ सेमी-कोलन निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 15, खंड 16 और 17 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 18

निगम की उधार लेने की शक्ति

18--(1) निगम, समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से तथा इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसी शर्तों के, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेशों द्वारा अवधारित करे, अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित कोई धनराशि या तो बन्धपत्र या निधि-पत्र जारी करके या अन्य प्रकार से या बैंकरों से ठहरा करके उधार ले सकता है।

(2) इस धारा के अधीन निगम द्वारा जारी किया गया निधि-पत्र ऐसी रीति से जारी या अन्तरित किया जायगा अथवा ऐसी रीति से उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी या उसे मोचित किया जायगा जो राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निदेशित करे।

श्री इन्द्र लाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 18 के उपखंड (1) में शब्द "ठहराई" के स्थान पर शब्द "ठहराव" रख दिया जाय और शब्द 'ल' के स्थान पर शब्द "ले" रख दिया जाय ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

श्रीमन्, मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 18 उपखंड (2) में शब्द "ठहराई" के स्थान पर शब्द 'ठहराव' रख दिया जाय और शब्द "ल" के स्थान पर शब्द "ले" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 18 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 19

निगम की वित्तीय सहायता

19--राज्य सरकार, राज्य विधान मंडल के सम्यक विधीय विनियोजन के पश्चात समय-समय पर निगम को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करें, दे सकती है।

श्री इन्द्र लाल--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 19 के पार्श्व शीर्षक में शब्द "निगम की" के स्थान पर शब्द "निगम को" रख दिये जायं।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 19 के पार्श्व शीर्षक में शब्द "निगम की" के स्थान पर शब्द "निगम को" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 19 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 20, 21 व 22

20--राज्य सरकार, समय समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जिन्हें वह अवधारित करे निगम को ऋण दे सकती है । निगम को ऋण

21--(1) निगम अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण के प्रति संदाय के प्रयोजनार्थ ऐसी रीति से जो विहित की जाय, एक निक्षेप निधि स्थापित करेगी। ऋणों का प्रतिसंदाय

(2) निक्षेप निधि, ऐसी रीति से जो विहित की जाय, अनुरक्षित तथा विनियोजित की जायगी और उपयोग में लायी जायगी ।

22--निगम प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसे समय पर, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में बजट तैयार करेगा जिसमें निगम की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय प्रदर्शित किये जायेंगे । बजट

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 20, 21 और 22 इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 23

23--(1) निगम उचित लेखे रखेगा और लेख का वार्षिक विवरण जिसके अन्तर्गत तुलन-पत्र भी है, ऐसे प्रपत्र में तैयार करेगा जैसा कि राज्य सरकार निदेश दे। लेखे तथा लेखा परीक्षा

(2) निगम के लेखे प्रतिवर्ष स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा परीक्षित किये जायेंगे और ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में उनके द्वारा अवगत कोई व्यय निगम द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक को देय होगा ।

(3) स्थानीय निधि लेखा परीक्षक अथवा निगम के लेखा की लेखा परीक्षा करने के सम्बन्ध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो किसी स्थानीय निकाय के लेखों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में स्थानीय परीक्षक के होते हैं और विशिष्टयां उसे बहियां, लेखे, सम्बद्ध वाउचर तथा निधि लेखा अन्य दस्तावेजें और पत्रादि प्रस्तुत किये जाने का मांग करने तथा निगम के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) स्थानीय निधि लेखा परीक्षक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित निगम के लेखे तद्विषयक लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे ।

श्री इन्द्र लाल--

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 23 में उपखंड (4) के बाद निम्न-लिखित उप खंड बढ़ा दिया जाय।

"(5) राज्य सरकार--

(क) उपधारा (4) के अधीन प्राप्त निगम के लेखे और उनके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिवर्ष राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी, और

(ख) निगम के लेखे को नियत रीति से प्रकाशित करवायेगी तथा उचित मल्य पर बिक्री के लिए उसकी प्रतिलिपियों को उपलब्ध करायेगी।"

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मंजूर है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 23 में उपखंड (4) के बाद निम्नलिखित उपखंड बढ़ा दिया जाय--

"(5) राज्य सरकार--

(क) उपधारा (4) के अधीन प्राप्त निगम के लेखे और उनके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिवर्ष राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी, और

(ख) निगम के लेखे को नियत रीति से प्रकाशित करवायेगी तथा उचित मूल्य पर बिक्री के लिए उसकी प्रतिलिपियों को उपलब्ध करायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 23 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 24

अधिभार

24--(1) निगम का अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक कोई अन्य सदस्य या कोई कर्मचारी निगम के किसी धन सम्पत्ति की हानि दुर्व्यय अथवा दुरुपयोजन के लिए अधिभार का दायी होगा, यदि ऐसी हानि दुर्व्यय या दुरुपयोजन ऐसे अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक या अन्य सदस्य या कर्मचारी के रूप में कार्य करते हुए उसकी उपेक्षा या दुराचरण का सीधा परिणाम हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाय।

(3) कोई धनराशि जो ऐसी हानि दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अधिभार की प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप अन्तर्गत पाई जाये भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।

(4) उपंधारा (3) की कोई बात निगम को इस बात से निवरित नहीं करेगी कि वह उसमें निर्दिष्ट धनराशि की यथास्थिनि अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक या अन्य सदस्य या कर्मचारी को निगम द्वारा देय किसी धनराशि में से कटौती कर लें।

श्री इन्द्र लाल---

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 24 के उपखंड (3) में शब्द 'बकाया के रूप में' के बाद शब्द "वसूल" बढ़ा दिया जाय तथा उपखंड (4) में शब्द 'निवरित' के स्थान पर शब्द 'निवारित' रख दिया जाय ।

श्री अजीत प्रताप सिंह---

मन्जूर है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 24 के उपखंड (3) में शब्द "बकाया के रूप में" के बाद शब्द "वसूल" बढ़ा दिया जाय तथा उपखंड (4) में शब्द "निवरित" के स्थान पर शब्द "निवारित" रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 24 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 25, 26, 27, 28, 29 और 30

वाह्य नियंत्रण

नीति विषयक प्रश्नों पर निदेश

25---(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में निगम नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा मार्ग दर्शित होगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जायं ।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निदेश जारी कर सकती है तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

वार्षिक रिपोर्ट

26---(1) निगम, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशक्य-शीघ्र ऐसे दिनांक के पूर्व तथा ऐसे प्रपत्र में जैसा राज्य सरकार निदेश दे एक रिपोर्ट जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्य-कलापों का लेखा दिया जायगा तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट में ऐसे कार्य-कलापों का भी यदि कोई हो लेखा दिया जायगा जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में निगम द्वारा हाथ में लिये जाने की संभावना हो और राज्य सरकार ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात् उस यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी ।

(2) निगम, राज्य सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति में जैसा राज्य सरकार निदेश दे, ऐसे आंकड़ें तथा विवरणियां और निगम के किसी प्रस्थापित या वर्तमान कार्य कलापों अथवा निगम के नियंत्रणाधीन किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसी विशिष्टियां जिनकी राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा ।

प्रकीर्ण

स्थानीय निकाय निगम को सहायता देंगे

27--(1) प्रत्येक स्थानीय निकाय निगम को ऐसी सहायता देगा और ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा और उसके निरीक्षण तथा परीक्षण के लिये ऐसे अभिलेख, मानचित्र, रेखांक तथा अन्य दस्तावेजें उपलब्धकरेगा जिनकी वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में अपेक्षा करे।

(2) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार किसी स्थानीय निकाय को ऐसे निदेश दे सकती है जो उसकी राय में निगम को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिये आवश्यक अथवा समीचीन हो और तदुपरान्त ऐसे निदेशों का पालन करना उस स्थानीय निकाय का कर्त्तव्य होगा।

सद्भावपूर्ण की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण

28--कोई वाद अभियोजन अथवा विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या निगम या उसके अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य सदस्य अथवा राज्य सरकार या निगम के किसी कर्मचारी के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये किसी निगम के सद्भावना से किया गया हो अथवा किये जाने के लिये आशयित हो।

सदस्य आदि लोक सेवक समझे जायंगे

29--निगम का अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य सदस्य और कर्मचारी जब वे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या जब उनका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित हो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझें जायेंगे।

निगम की कार्यवाहियों, आदेशों तथा अन्य लिखितों का अधिप्रमाणीकरण

30--निगम की समस्त कार्यवाहियां यथास्थिति अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में निगम की बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के हस्ताक्षर अधिप्रमाणीकृत की जायेगी और निगम द्वारा जारी किये गये सभी आदेश तथा अन्य लिखित निगम के ऐसे कर्मचारी के जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत किये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 25, 26, 27, 28, 29 और 30 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 31

शक्तियों का प्रत्यायोजन

31--(1) इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा या तो बिना शर्त के अथवा ऐसी शर्तों के अधीन जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायं, इंडियन फारेस्ट्स ऐक्ट 1927 अथवा तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्त्तव्यों को जिन्हें वह आवश्यक समझे निगम को प्रत्यायोजित कर सकती है।

(2) इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निगम सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा या तो बिना शर्त के अथवा

ऐसी शर्तों के अधीन जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्त्तव्यों को जो उपधारा (1) के अधीन उसे प्रत्यायोजित शक्तियां तथा कर्त्तव्य न हों और जिन्हें वह आवश्यक समझे निगम के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक या अन्य सदस्य कर्मचारी को प्रत्यायोजित कर सकता है ।

श्री इन्द्र लाल---

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 31 में शब्द "इंडियन फारेस्ट ऐक्ट' जहां जहां आये हैं उनके स्थान पर शब्द "भारतीय वन अधिनियम" रख दिये जायं ।

श्री अजीत प्रताप सिंह---

मंजूर है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 31 में "इंडियन फारेस्ट ऐक्ट" जहां-जहां आये हैं, उनके स्थान पर शब्द "भारतीय वन अधिनियम" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 31 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 38

32---राज्य सरकार, इंडियन फारेस्ट्स ऐक्ट, 1927 की धारा 72 के अधीन फारेस्ट आफिसर की समस्त अथवा कोई शक्ति निगम के प्रबन्ध निदेशक अथवा किसी भी कर्मचारी को विनिहित कर सकती है और ऐसी शक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक या ऐसा कर्मचारी इंडियन फारेस्ट्स ऐक्ट, 1927 की धारा 2 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत फारेस्ट आफिसर समझा जायेगा । राज्य सरकार अधिकारियों को फारेस्ट आफिसर की शक्तियां विनिहित कर सकती है

श्री इन्द्र लाल---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 32 में शब्द "आधीन" के स्थान पर शब्द "अधीन" तथा इसी खंड और उसके पार्श्व शीर्षक में शब्द "फारेस्ट आफिसर" जहां-जहां आये हैं, उनके स्थान पर शब्द "वन अधिकारी" रख दिये जायें ।

श्री अजीत प्रताप सिंह---

स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 32 में शब्द 'आधीन' के स्थान पर शब्द 'अधीन' तथा इसी खंड और उसके पार्श्व शीर्षक में शब्द फारेस्ट अफिसर, जहां-जहां आये हैं उनके स्थान पर शब्द 'वन अधिकारी' रख दिये जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री इन्द्र लाल--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 32 में शब्द "इंडियन फारेट्स ऐक्ट" जहां-जहां आये हैं, उनके स्थान पर शब्द "भारतीय वन अधिनियम" रख दिये जायें ।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 32 में शब्द "इंडियन फारेस्ट्स ऐक्ट" जहां-जहां आये हैं, उनके स्थान पर शब्द "भारतीय वन अधिनियम" रख दिये जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 32 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 33 व 34

नियम बनाने की शक्ति

33--(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्:--

(क) वह रीति, जिसके अनुसार धारा 21 के अधीन निक्षेप निधि स्थापित, अनुरक्षित और विनियोजित की जायेगी, तथा उपयोग में लाई जायेगी;

(ख) धारा 24 के अधीन अधिभार के सम्बन्ध में प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत उसके सम्बन्ध में अपील की व्यवस्था, यदि कोई हो, भी है;

(ग) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो या जो विहित किया जाय ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब कि उसका सत्र हो रहा हो, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित हो सकती है, रखें जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाये, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन, उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

विनियम

34--(1) निगम, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, निगम के प्रशासन के लिये, ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों से असंगत न हों ।

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्:--

(क) निगम के प्रबन्ध निदेशक और कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें, तथा अध्यक्ष तथा अशासकीय सदस्यों को दिये जाने वाला यात्रा तथा दैनिक भत्ता;

(ख) निगम की बैठकों का समय तथा स्थान और बैठकों में कार्य सम्पादन के सम्बन्ध, में प्रक्रिया के नियम;

(ग) कोई अन्य विषय जिसके लिये विनियमों में व्यवस्था की जानी हो या की जाये ।

(3) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन निगम द्वारा कोई विनियम बनाये जायें, कोई विनियम जो इस प्रकार उसके द्वारा बनाया जा सकता हो, राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है, और इस प्रकार बनाये गये किन्हीं विनियमों में निगम उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करके परिवर्तन कर सकता है अथवा उन्हें विखंडित कर सकता है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 33 व 34 इस विधेयक के अंग माना जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नया खण्ड ३५

श्री इन्द्र लाल--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 34 के पश्चात निम्नलिखित खंड रख दिया जाये, अर्थात्:--

"35-(1) उत्तर प्रदेश वन निगम अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — निरसन तथा अपवाद उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-15-1974।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये, भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया। कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम 13 सितम्बर, 1974 को प्रवृत्त हो गया था ।"

श्री अजीत प्रताप सिंह--

स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 34 के पश्चात निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्:--

"35--(1) उत्तर प्रदेश वन निगम अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायेगी । मानो यह अधिनियम 13 सितम्बर, 1974 को प्रवृत्त हो गया था।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि नया खंड 35 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ ।

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 कहलायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करें ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

श्री श्रीपाल सिंह--

मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आपको पहले से लिख कर देना चाहिये था। अब आप पारित होने का जब प्रस्ताव आयेगा तब विरोध कर सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश वन निगम विधेयक, 1974

राज्य में वनों के अपेक्षाकृत अच्छे परिरक्षण, पर्यवेक्षण तथा विकास और वन-उपज के अपेक्षाकृत अच्छे विदोहन के लिये तथा उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

श्री इन्द्र लाल--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दीर्घ नाम में शब्द "विदोहन के लिये" के पश्चात शब्द "एक निगम की स्थापना" रख दिये जांय ।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मुझे यह स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि दीर्घ नाम में शब्द "विदोहन के लिये" के पश्चात शब्द "एक निगम की स्थापना" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अजीत प्रताप सिंह---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वन निगम विधेयक, 1974 जो जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

*कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)---

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं । और विरोध इसलिये करता हूं कि पहले मुझे इस पर बोलने का विचार नहीं था लेकिन यहां बैठने पर जो कई एक चीजें ऐसी इस विधेयक में देखने में आयीं जिससे निवेदन करना मैंने आवश्यक समझा और यह निवेदन मैं केवल माननीय मुख्य मंत्री जी से करूंगा । वह इसलिये कि इन निगमों की तरफ, विभागों की तरफ भागने वाली जो प्रक्रिया है उसके केवल दो कारण हो सकते हैं । एक तो यह हो सकता है कि सरकार की पलायनवादी नीति हो लेकिन मुझे इसकी आशा है नहीं कि बहुगुणा जी जैसे बहादुर आदमी पलायनवादी नीति को अपनायेंगे । विभागों की तरफ, निगमों की तरफ भागने वाली प्रवृत्ति पलायनवादी नीति नहीं हो सकती है तो दूसरा कारण यह हो सकता है कि जो लोग मंत्रिमंडल में आना चाहते हैं उनसे पीछा छुड़ाया जाय और लोग आपस में बंधे रहे और इसलिये जितने विभाग हैं उन सब का निगम बना दिया जाय ताकि जो मंत्रिमंडल में न आ सकें वे उसमें बने रहें और उनको मंत्रिमंडल में न आने की शिकायत न रहे । शायद इसीलिये आप अपने मंत्रिमंडल को नहीं बढ़ा रहे हैं ? केवल मेरा ही सन्देह नहीं है, बल्कि और लोगों को भी सन्देह है । तो माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया इन का निवारण कर दें ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मान्यवर, मैं तो इस सम्बन्ध में पहले बोलने वाला नहीं था लेकिन जिस प्रकार के सन्देह हमारे माननीय सदस्य ने उठाये हैं उसी प्रकार के सन्देह और कई माननीय सदस्यों ने भी उठाये हैं । मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इन निगमों के बनाने के पीछे कोई राजनीतिक ध्येय प्राप्त करने की कोई बात नहीं है । हां, आर्थिक ढांचे में परिवर्तन करने की मंशा जरूर है ताकि ठेकेदार जो बनों का दोहन करते हैं, ठेकेदारी प्रथा का अन्त करके इस वन निगम के जरिये जो वन की सम्पत्ति है उससे जनता का हित हो और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उसे मिल सके । माननीय सदस्य ने यह सन्देह प्रकट किया कि जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात ऐसी है कि हर साल उसका घाटा बढ़ता जाता है तो फिर इस निगम से आप कैसे मुनाफा कमा सकेंगे । उस घाटे के पीछे कितना तत्व है, उसमें मैं इस समय नहीं जाना चाहता । लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हम कहते हैं कि इतने भाव पर बिजली देनी पड़ेगी, या इतने फर्लांग तक लाइन मुफ्त लगानी पड़ेगी, हम कहते हैं कि फलां फलां काम करना पड़ेगा । लेकिन इन निगम के बनाने से लाभ ही होगा । रहा आपका यह ख्याल कि इसके पीछे किसी राजनीतिक आदमी को जो मिनिस्टरी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

में नहीं आ सका हो उसको बैठाने की कोशिश है, तो ऐसी बात नहीं है । वह हम सब इस सदन की आज्ञा के बिना चोरा चोरी नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करने से वह डिसएबिलिटी हो जायेगी और किसी को सरकार वहां किसी पद पर रखती है ।

तो मैं किसी राजनैतिक दृष्टिकोण से यह नहीं कह रहा हूं । निगम बन जान से किसी को धबड़ाना नहीं चाहिये । क्योंकि निगम के बन जाने से जो विचोलिये हैं, जो आर्थिक विचोलिये हैं, उनकी ताकत खत्म हो जायगी । इसलिये निगम बनाया गया है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, अभी आपने बिजली बोर्ड के बारे में कहा था कि वहां पर गड़बड़ियां हैं उससे काफी परेशानियां हैं तो यदि वहां पर यह सब गड़बड़ियां है तो आप इस बोर्ड को खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

वहां पर जो गड़बड़ियां हैं हम उनको खत्म करेंगे, बोर्ड को नहीं ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

मान्यवर, आप जो ठेकेदारी की प्रथा को खत्म करने जा रहे हैं इसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हू । परिवहन विभाग, सार्वनिक निर्माण विभाग और इसी तरह के विभागों में ठेकेदार ही कार्य करते हैं । वन विभाग से अगर यह ठेकेदारी खत्म कर दी जायगी तो वहां पर लकड़ी काटने का और इसी तरह के जो अन्य कार्य हैं उनको कौन करेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

यह सब काम निगम ही करेगा ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वन निगम विधेयक, 1974 जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव

श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1974 का अनुमोदन करता है ।

मान्यवर, इस अध्यादेश के सम्बन्ध में मैं 2 मिनट निवेदन करना चाहूंगा । श्रीमन् यह अध्यादेश सितम्बर, और अक्तूबर के मास में पारित किया गया था और इस अध्यादश के जरिये नगरपालिका अधिनियमों में टाउन एरिया अधिनियमों में कुछ सशोधन प्रस्तावित किये गये हैं तथा कुछ अन्य अधिनियमों में भी कुछ संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं जिनक द्वारा नगरपालिकाओं और नगर महापालिकाओं में अब बजाय इनडाइरेक्ट इलेक्शन क, डाइरेक्ट इलक्शन की व्यवस्था की गयी है । सबसे पहल मैं सदन से यह निवदन करना चाहूंगा कि यह

डाइरेक्ट इलेक्शन नगरपालिकाओं में अव्यवस्था उत्पन्न करेंगे क्योंकि नगर पालिका का ,अध्यक्ष किसी और दल का होगा और बहुमत किसी और दल का होगा । इस तरह से कोई नगरपालिका सुचारुरूप से नहीं चलेगी । इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 55–56 में भी डाइरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था थी, अध्यक्ष पद के चुनाव के लिये । लेकिन बाद में यह सोचा गया कि यह व्यवस्था ठीक नही है और संशोधन लाया गया जिसके अनुसार नगरपालिकाओं में इन डाइरेक्ट इलेक्शन होना शुरू हुआ । लेकिन अब फिर डाइरेक्ट इलेक्शन का प्राविधान किया गया है तो यही कहूंगा कि यह तो मुहम्मद तुगलक के कार्य की भांति हुआ कि पहले दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले जायी गयी और फिर दौलताबाद से राजधीनी दिल्ली लायी गयी । किसी ने इस काम को होशियारी का नहीं कहा था बल्कि उसको पागल की संज्ञा दी थी । अब यह जो प्राविधान किया गया है उससे नगरपालिकाओं का हित नहीं होगा और नगरपालिकाओं के जनहित की रक्षा नहीं हो सकेगी । जनतंत्र का पोषण नहीं होगा । दूसरी चीज जो अध्यादेश के अन्दर रखी गयी है । वह अतिक्रमण के बारे में ह जिसमें सेवा निवृत्त न्यायाधीश का परामर्श लेने को कहा गया है । सेवा निवृत्त न्यायाधीश तक न रखकर नगर पालिका का प्रतिनिधि रखना चाहिये था । इसके अतिरिक्त यह जो अध्यादेश लाया गया है उससे राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं को अधिक स्वायत्ता देने के बजाय उसके ऊपर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। जैसा कि इसमें प्राविधान किया गया है कि अगर अध्यक्ष और सदस्यों में किसी विषय पर मतभेद हो। तो अगर अध्यक्ष समझता है कि वह बोर्ड के हित में नहीं है तो राज्य सरकार को मामले को भेज सकते हैं और निदेशक अपनी सम्मति बोर्ड को देगा और वह बोर्ड का निर्णय माना जायेगा। तो क्या यह समझते हैं कि नगरपालिका का हित अध्यक्ष में ही देख सकता है सदस्य नहीं। इसलिये जनतंत्र पर यह एक कुठाराधात है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस अध्यादेश की आवश्यकता क्या थी ? अगस्त में सत्रावस न हुआ और दिसम्बर में फिर बैठे हैं । इस बीच में नगरपालिका के चुनाव भी नहीं हुये हैं इसलिये कौन जल्दी थी इस अध्यादेश को पारित करने की ? नगरपालिका के चुनाव टालने का यह एक बहाना है । इससे जो नगरपालिकायें अवक्रमित हैं उनके चुनाव को टालना है । मुख्य मंत्री जी का कहना है कि विधेयक एक प्रवर समिति को भेज दिया जाय तो लगता है कि नगरपालिका के चुनावों को वह और टालना चाहते हैं । मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इसका अनुमोदन करें ।

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि 'उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त-शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974 को विधान सभा की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करें'।

प्रवर समिति के लिये विरोधी दलों से सलाह करके नाम दिये जा रहे हैं और इस शासक दल की तरफ से 10 नाम हैं और उधर से 8 नाम हैं। नाम इस प्रकार हैं :---1---श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव 2---श्री प्रभाकर सिंह 3---श्री शिव लाल बाल्मीकी 4---श्री अब्दुल रहमान नश्तर 5---श्री गुलाब सेहरा 6---श्री जटाधर बाजपेयी 7---श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त 8---श्री बालकृष्ण सानवाल 9---डा0 चरण सिंह 10---मोहम्मद शकील अहमद । विरोधी पक्ष के हैं :---1---श्री चन्दन सिंह 2---श्री मोहम्मद मसूद खां 3---श्री अवधेश कुमार 4---श्री तीरथ राम कोहली 5---श्री राममूर्ति बरेली 6---श्री जुगुल किशोर यादव 7---श्री सत्य प्रकाश मालवीय 8---श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग ।

श्री अध्यक्ष--

जो विधि है उसके अनुसार आपको फिर नाम देने पड़ेंगे। प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद फिर नाम पढ़ना पड़ेगा।

(प्रस्तावक में श्री हरि केवल प्रसाद श्री जनार्दन प्रसाद ओझा श्री यमुना प्रसाद बोस तथा कुंवर शिव नाथ सिंह का नाम पुकारने पर) यह नहीं हैं।

मुख्य मत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक बात कहना चाहता हूं कि अभी जनसंघ के माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि हमारा कोई इसमें चेयरमैन बनाने का इरादा होगा इसकी ओर उन्होंने संकेत किया था। इस अध्यादेश को बनाने की मंशा केवल दो बातों की थी--एक तो यह कि सारे प्रदेश की जनता और म्युनिसिपैल्टी की बातों पर इस सदन में बहस हो जाय। सदन में जब ग्रान्ट पेश की थी तो राय इस पर मांगी थी और तब बहुत सी रायें दी गयी थीं। उसी का हमने सम्मिश्रण करके यह विधेयक बनाया था। चुनाव टालना नहीं चाहता था। अगर यह सदन कहेगा कि डाइरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट होना चाहिये प्रवर समिति में, तो हम उसको मान लेंगे। अगर हमारी राय पक्की होती तो प्रवर समिति में क्यों भेजते। एक कारण और था। हमारे बहुत से सदस्य हैं जो लोकलबाडीज में दिलचस्पी रखते हैं और मेअर डिप्टी मेअर, अध्यक्ष और सदस्य रहे हैं। तो हमने सोचा कि प्रवर समिति में ऐसे नाम आवेंगे कि नका तजुर्बा का करने का है तो उनकी एक्सपर्ट राय मिल जावेगी। इस आशय से प्रवर समिति में भेजा गया इसलिये कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिये।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)--

मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। 23 अक्तूबर को यह अध्यादेश आया है। परम्परा यह रही है कि नवम्बर में इस सदन का शीतकालीन अधिवेशन होता है तो 23 अक्तूबर को यह अध्यादेश क्यों जारी किया गया। यह इसलिये किया गया कि नगरपालिकाओं में 5 के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव था। यह पांचों अध्यक्ष सत्तादल से संबंधित थे और यह निश्चित था कि यह अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता। इसलिये मान्यवर २३ अक्टूबर को यह अध्यादेश लाया गया। जिसमें ५१ प्रतिशत के बजाय २ ३ बहुमत का नियम हो गया। इसके बाद सदन के सामने इसको आज लाया गया है। यह बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, मुख्य मंत्री इस अध्यादेश को जारी करने वाले व्यक्ति हैं और आज प्रवर समिति में भी वही इसको भेज रहे हैं। 23 अक्तूबर से अब तक दो महीने में स्थिति में क्या अन्तर आ गया। क्या मुख्य मंत्री को यह नहीं मालूम था। कि इसको प्रवर समिति में भेजना चाहिये। इसमें कोई न कोई चाल है। शायद उन्होंने यह समझा कि प्रदेश की स्थिति भीषण होती जा रही है, चुनाव कराना शायद हितकर नहीं होंगे। इसलिये प्रवर समिति में भेजने की बात कही गई है। यह कहा गया है कि 18 लोगों ने अपने हस्ताक्षर प्रवर समिति में भेजने के लिये किये हैं। तो इससे पहले तो इससे भी अधिक लोग हस्ताक्षर करते रहे हैं लेकिन आपने प्रवर समिति में नहीं भेजे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो न्यायाधीश के रखने की बात कही गई है तो उसमें नगरपालिका संघ का प्रतिनिधि भी रक्खा जाना चाहिये। वह न्यायाधीश के साथ रहेगा। टाउन एरिया का जो नियम इसमें रक्खा गया है उसमें 2/3 के बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पास होने की बात नहीं रक्खी गई है, तो यह नियम टाउन एरिया पर भी लागू होना चाहिये। तो इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। महा नगरपालिकाओं और नगर पालिकाओं में चुनाव न कराने पड़ें और सरकारी कब्जा उन पर बना रहे इसलिये इसको प्रवर समिति में भेजा जा रहा है, तो जो काम किया जा रहा है, वह गलत है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1974 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974, को विधान सभा की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

अब नाम प्रस्तुत कर दें ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

समिति में कार्य करने के लिये निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

1--श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जौनपुर)
2--श्री प्रभाकर सिंह,
3--श्री शिवलाल,
4--श्री अब्दुर्रहमान खां नश्तर,
5--श्री गुलाब सेहरा,
6--श्री जटाधर बाजपेयी,
7--श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त,
8--श्री बालकृष्ण सनवाल,
9--डा० चरण सिंह,
10--श्री मुहम्मद शकील अहमद,
11--श्री चन्दन सिंह (मथुरा)
12--श्री मुहम्मद मसूद खां,
13--श्री अवधेश कुमार,
14--श्री तीरथ राम कोहली,
15--श्री राममूर्ति (बरेली)
16--श्री जुगुल किशोर यादव,
17--श्री सत्य प्रकाश मालवीय,
18--श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ये नाम स्वीकृत किये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

संविधान (छत्तीसवां संशोधन) विधेयक 1974 के अनुसमर्थनार्थ संकल्प

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :--

"यह सदन संसद् के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (छत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1974 को भारत-सिक्किम सहयोग तथा अन्तः संबंध को सुदृढ़ बनाने के लिये सिक्किम की जनता की इच्छाओं की पूर्ति के लिये है, और जिसका संक्षिप्त नाम परिवर्तित करके संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 कर दिया गया है, द्वारा 'भारत का संविधान' में किये जाने के लिये प्रस्तावित उन संशोधनों का, जो उसके अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परन्तुक के अन्तर्गत आते हैं, का अनुसमर्थन करता है ।

श्रीमन्, इसमें अधिक विवाद की गुन्जाइश नहीं है । यह भारत-सिक्किम सहयोग को और मजबूत करने के लिये है । मुझे आशा है, इस सम्मानित सदन के सभी सम्मानित सदस्यगण इसको सर्व-सम्मत्ति से स्वीकार करेंगे ।

***श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--**

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी और उनके पीछे चलने वाले लोग शायद यही समझते हैं कि विरोधी दल के लोग जब बोलने खड़े होते हैं तो केवल विरोध करने के लिये खड़े होते हैं । मान्यवर, उस दल ने कोई नेकनियती का काम किया है तो यह किया है, जिसका मैं समर्थन करता हूं स्वागत करता हूं । लेकिन जो इनके वायदे और कारनामें हैं, जो 1952 से (उसके पहले से नहीं लेता) आज तक जो इन्होंने इस देश के भू-भाग को विस्तार करने और खंडित करने और तोड़ने के लिये नीति अपनाई है और जो उदाहरण दिया है, उससे संदेह होता है कि इस संशोधन के पीछे जो भावना निहित है, वह भावना पूर्णरूप से सफल हो सकेगी । इस संशोधन के पीछे जो सबसे बड़ी बात कही जाती है, और सरकार की ओर से इस संशोधन में जो बात कही गयी है, उनमें सबसे प्रमुख बात यह है कि विश्व में अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध करने के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और अपने पड़ोसियों को भविष्य में और नजदीक ला रहे हैं । इससे बढ़कर यह बात कही गयी है कि भविष्य में यह हो सकता है कि सिक्किम को अपने साथ ले लें और भारत का अंग हो जाय जनसंघ को इसमें सबसे ज्यादा खुशी होगी । जनसंघ आज भी अखंड भारत का नारा देता है और देता रहेगा । हम अखंड भारत चाहते हैं । हम आज भी वह स्वप्न देख रहे हैं कि भारत की एक-एक इंच भूमि, जो उससे अलग है, उसे मिल जाय । लेकिन उनके क्या कारनामें हैं ? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत नहीं बनाया गया । आप जानते हैं इतना ही नहीं काश्मीर जिसको आज भारत का पूर्ण अंग होना चाहिये था और जिसके लिये विरोधी दल विशेष कर जनसंघ यह बराबर कहता रहा कि 370 अनुच्छेद को खत्म करके काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना देना चाहिये उस संबंध में नेक-नीयती यह रही कि भारत सरकार 370 को हटाने के पक्ष में आज तक नहीं है ।

दूसरी चीज यह आती है कि हम सिक्किम को अपने साथ मिलायेंगे और भारत को विस्तृत करेंगे, विस्तार करेंगे । लेकिन यह ऐसे ही लगता है जैसे किसी नपुंसक पर बलात्कार का आरोप लगा दिया जाय । जो सरकार अपने देश की एक भी इंच भूमि दुश्मनों से नहीं ले सकती और जिसने 22 अक्तूबर का दिवस मनाना तक बन्द कर दिया तो वह किस तरह से अपने भू-भाग को विस्तृत करेगी और सिक्किम को अपने में मिलायेगी ? गंगटोक में वहां के राजा के विरुद्ध वहां की जनता ने विद्रोह किया । जिन विदेशी शक्तियों के कारण यह सब हुआ और जिन्होंने सिक्किम के साथ हमारी सन्धि की आलोचना की उन शक्तियों की भारत सरकार हिमायत करती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है और भारत सरकार बराबर यह कहती है कि वह उनके साथ मित्रता की इच्छुक है यानी कटोरा लेकर मित्रता की भीख मांगती है मैं चीन के इशारे पर नेपाल ने भारत के साथ क्या किया और सिक्किम एवं गंगटीक में जो हुआ उन्होंने चीन के तलुवे चाटने वाले जो इस देश में हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही इस सरकार ने की। (व्यवधान) यह समय बतायेगा कि किनके इशारे पर क्या होता है? इसलिये उनके कार्यों पर मुझे आज भी पूर्ण संदेह है कि सिक्किम के साथ जो संधि जिस भावना के साथ की गयी है वह फलीभूत होगी या नहीं होगी।

अन्त में मैं एक बात और कहूंगा। स्वर्गीय पं० नेहरू के समय में काश्मीर तथा नेपाल के महाराज ने प्रस्ताव किया था कि इन दोनों को भारत का अंग बना लिया जाय। उस समय नेहरू जी ने कहा था कि किसी देश के शासक मात्र के कहने से हम उस देश को अपने देश में नहीं मिलायेंगे जब तक कि वहां की जनता मिलने के लिये इच्छा प्रकट न करे। आज सिक्किम की जनता ने भारत के साथ मिलने की इच्छा व्यक्त की है। मैं चाहता हूं कि पंडित नेहरू के उन शब्दों को स्मरण करके सिक्किम की जनता ने जब भारत के साथ मिलने की इच्छा व्यक्त की है तो अवश्य सिक्किम जो संधि द्वारा भारत का अंग बना कर भारत की भूमि का विस्तार किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं लेकिन जो सन्देह और शंकायें हैं मैं उनको इसलिये व्यक्त कर रहा हूं ताकि भविष्य में सरकार प्रेरणा ले और आगाह रहे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं सम्मानित सदस्य मिर्जापुर का जहां तक उन्होंने इसका स्वागत किया है, आभारी हूं लेकिन जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की पेचीदगियों के संबंध में उन्होंने विचार व्यक्त किये उसके संबंध में मैं उनसे केवल यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करना तथा नीति का विश्लेषण करके एक बार में साफ राय दे देना बड़ा मुश्किल कार्य है।....

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

वह कह रहे हैं देर आये दुरुस्त आये।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

वे डिगे नहीं हैं और अपनी बात पर कायम रहना चाहते हैं। उन्होंने यह कहा है कि सिक्किम की जनता क्या चाहती है इससे स्पष्ट होता है सिक्किम और भारत की मैत्री को दृढ़ करने के लिये भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पिछले वर्षों में जो कदम उठाये हैं वह इसका जीता जागता उदाहरण है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत का विस्तार हो, कुछ कहते हैं इसको भारत में मिला लिया जाय किन्तु मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि जिस संदर्भ में यह है उसी संदर्भ में इसे स्वीकार किया जाय।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, दो बातें मैं भी कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष--

अब तक आप क्यों नहीं बोले। आपको बोलने का पूरा हक था। उनके उत्तर के बाद आप कैसे बोलेंगे।

श्री मधुकर दिघे--

मैं तो बोलना चाहता था लेकिन मंत्री जी बीच में खड़े हो गये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन संसद् के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (छत्तीसवां संशोधन) विधयक, 1974 औ भारत-सिक्किम सहयोग तथा अन्तः संबंध को सुदृढ़ बनाने के लिये

[श्री अध्यक्ष]

सिक्किम की जनता की इच्छाओं की पूर्ति के लिये है, और जिसका संक्षिप्त नाम परिवर्तित करके संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 कर दिया गया है, द्वारा "भारत का संविधान" में किये जाने के लिये प्रस्तावित उन संशोधनों का, जो उसके अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परन्तुक के अन्तर्गत आते हैं, का अनुसमर्थन करता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(सरकारी पक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने खड़े होकर मेजें थपथपाईं)।

श्री भगवती प्रसाद द्वारा सुबह की गई शिकायत पर मुख्य मंत्री द्वारा क्षमा याचना

श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद)--

मान्यवर, मेरी जो सूचना थी उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ बता दें।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मान्यवर, माननीय भगवती सिंह जी ने एक पत्र मेरे यहां भेजा जो कल शाम को 5.55 के करीब मुझे मिला। मैंने उनको टेलीफोन लगाकर ढुंढवाने की कोशिश की। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि मेरे दफ्तर में हैलोन ने उनके साथ कितनी बेअदब की हरकत की। मान्यवर, वे पिछले तीन दिनों से छुट्टी पर हैं और पंजाब में हैं .....

श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद)--

यह तीस तारीख की बात है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं तारीख नहीं जानता किन्तु यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं किसी बहस में नहीं जाना चाहता। यदि कोई भूल मेरे कार्यालय की तरफ से हुई है तो मैं अपने दफ्तर की तरफ से उसकी क्षमा मांगता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 में सभी लोग कह चुके हैं ....

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

नियम 51 के अन्तर्गत मैंने कुछ नहीं कहा था और मैंने दिया था....

श्री अध्यक्ष--

यह जो दो प्रस्ताव आय हैं नियम 51 के अन्तर्गत कि--

1--इटावा जिलें में पुलिस द्वारा छात्रों एवं अध्यापकों पर तथाकथित अत्याचार,

2--सरकार द्वारा निश्चित की गई गन्ने की दर से किसानों में व्याप्त असन्तोष।

इनमें से पहले वाले को वक्तव्य के लिये और दूसरे को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रहा हूं ।

अब हम उठते हैं 30 दिसम्बर, 1974 को 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 16 मिनट पर सोमवार, 30 दिसम्बर, 1974 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
27 दिसम्बर, 1974 ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 383 पर)

तालिका

कानपुर जिले के डेरापुर के वन भूमि का विवरण

डेरापुर तहसील के उन ग्रामों का नाम जिनमें वन विभाग की भूमि है	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि जिसमें वृक्षा-रोपण किया गया (हेक्टर में)	शेष भूमि (हेक्टर म) (2–3)	भूमि जो टोंगिया पद्धति से खेती के लिये पट्टे पर दी जा चुकी है। (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1—अलीपुर रामहार	108.051	..	108.051	..
2—आजमपुर इन्दौली	197.081	..	197.081	..
3—औरंगाबाद भोला ह्वलासा	106.432	40.468	65.964	..
4—असालत गंज	173.609	..	173.609	..
5—बान	75.272	..	75.272	..
6—बलाई बुजुर्ग	78.104	72.843	5.261	..
7—बहादुर पुर	268.306	..	268.306	..
8—भैसाया	264.664	6.879	257.785	10.117
9—बरीसाल	146.901	..	146.901	..
10—पहाड़ीपुर	165.516	..	165.516	..
11—ताजपुर तरसौली	143.663	..	143.663	..
12—जोत	167.134	..	167.134	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय

13—मौजमपुर	..	..	..	120.596	..	120.596	..
14—मालकापुरवा	..	..	..	269.925	..	269.925	8.094
15—दया	..	..	..	44.515	..	44.515	..
16—सुजानपुर	..	..	..	101.981	..	101.981	4.046
17—लगरथा	..	..	..	149.734	28.328	121.406	..
18—रसूलाबाद	..	..	..	394.973	..	394.973	16.187
19—मित्रसेनपुर कहिजरी	..	..	..	114.121	..	114.121	..
20—लालगांव	..	..	..	164.302	..	164.302	..
			योग ..	3254.880	148.518	3106.362	38.444

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 31 का उत्तर पीछे पृष्ठ 289 पर)

तारीखवार तथा माध्यमवार वितरण की सूची तहसील महराजगंज, जिला गोरखपुर

तारीख	वितरण का माध्यम	गल्ले की मात्रा (कुन्टल में)	नमक (कुन्टल में)	मिट्टी का तेल (लीटर में)	दियासलाई	तकाबी
1	2	3	4	5	6	7
9-8-74	रेवेन्यू विभाग	5	3.50	300	296	..
10-8-74	"	..	3.00	200	600	..
12-8-74	"	..	2.00	200	120	..
16-8-74	नियोजन विभाग	28.04	4.00	600	360	..
17-8-74	"	16.99	..	..	..	..
	रेवेन्यू विभाग	10-28-500	1.00	239	360	..
20-8-74	"	18.13	..	..	..	..
26-8-74	"	48.00	3.35	300	696	..
	नियोजन विभाग	5-55-500	..	..	..	..
28-8-74	रेवेन्यू विभाग	29-86-600	..	..	..	..
30-8-74	"	..	..	..	..	18050.00
31-8-74	"	..	..	..	..	8000.00
	नियोजन विभाग	22-67-700	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1			2	3	4	5	6	7
3-9-74	..	..	.. रेवेन्यू विभाग	12-4-700	..	..	..	..
6-9-74	..	..	.. ,,	..	..	..	..	8210.00
13-9-74	..	..	.. नियोजन विभाग	15.64	0.99	99	174	..
14-9-74	..	..	.. रेवेन्यू विभाग	..	..	..	..	800.00
								2750.00
16-9-74	..	..	.. ,,	..	..	..	..	2290.00
19-9-74	..	..	.. ,,	32.44	4.32	497	462	..
20-9-74	..	..	.. नियोजन विभाग	13.08	..	..	..	..
			योग ..	253.38	22.16	2435	3068	40100.00

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 291 पर)

कुमायूं एवं गढ़वाल व समिति की बैठक दिनांक २२-२३ अक्तूबर, १९७२ को समिति द्वारा पारित प्रस्ताव सं० ६ के खंड (१) (२) तथा (३) पर की गयी कार्यवाही का विवरण

प्रस्ताव सं०	समिति द्वारा पारित प्रस्ताव का विवरण	की गयी कार्यवाही का विवरण
1	2	3
6(1)	पश्चिमी वृत्त के अन्तर्गत जहां कहीं बन विभाग ने माल विभाग की भूमि पर कब्जा किया है उसे छोड़कर अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों तथा भूतपूर्व सैनिक परिवारों को आवंटित की जाय समिति द्वारा संस्तुति की गयी कि चांदनी चौक, गढ़वाल, मीठा आवला, लामाचौड़ आदि जगहों में जहां पर वन विभाग ने माल विभाग की भूमि पर कब्जा किया है उसका वन विभाग और राजस्व विभाग संयुक्त निरीक्षण कर भूमि पर सीमा बन्दी करें और इस प्रकार वन विभाग के कब्जे से छूटी हुई भूमि अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों तथा भूतपूर्व सैनिक परिवारों में बांटी जाय ।	समिति को संस्तुति के अनुसार वन विभाग तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा कथित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान यह नहीं पाया गया कि इन क्षेत्रों में राजस्व विभाग की भूमि बन विभाग द्वारा दबाई गयी है ।
6(2)	वन विभाग के प्लान्टेशन की भूमि कृषि के लिये कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित न रख कर खेतिहर मजदूरों और भूमिहीनों को सहकारिता के आधार पर देना । समिति द्वारा संस्तुति की गई कि भूमिहीनों को 5–10 वर्ष की लीज अस्थाई तौर पर वन प्लान्टेशनों में सहकारिता के आधार पर दी जाय ।	अरण्यपाल, पश्चिमी वृत ने शासन को यह सुझाव प्रस्तुत किया कि लामाचौड़ में प्लाट 1 व 2 जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल 18 हेक्टेयर है हरिजनों को लीज पर देने के लिये स्वीकृति दी जाय । शासन ने उक्त सुझाव को सिद्धान्ततः मानते हुये अरण्यपाल पश्चिमी वृत्त को यह आदेश जारी कर दिया है कि हरिजनों को लीज पर देने के लिये उपरोक्त

1	2	3
		दो प्लाटों को संबंधित जिलाधिकारी के अधीन रख दिया जाय ।
6(3)	वन बन्दोबस्त की अनियमितताओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिये समिति का गठन । यह कहा गया कि कुछ गांव पिछले वन बन्दोबस्त में छूट गये हैं । यह प्रस्ताव समिति द्वारा मान लिया गया । इस समस्या पर समस्त जिला स्तर की उप समितियां विचार कर एक माह में अपनी आख्या समिति के पास भेजेंगी ।	इस पर आवश्यक कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा की जानी थी चूंकि वन बन्दोबस्त की कार्यवाही में कोई अनियमितता नहीं पाई गयी, अतः जिलाधिकारी, नैनीताल, द्वारा उप-समिति का गठन नहीं किया गया ।

उत्तराखंड विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 291 पर)

अहेतुक सहायता जो ग्राम खेड़ा मजरे मखदूमपुरी के अधीन पीड़ितों को सरकार द्वारा दी गई

क्रम-सं0	नाम काश्तकार मय वल्दियत	धन जो दिया गया
1	2	3
	सर्वश्री--	रु० पै०
1	गोबरे पुत्र सेक्की	100.00
2	फकीरे पुत्र जुग्गा	75.00
3	मिही लाल पुत्र शाल	100.00
4	श्रीमती सुमित्रा बेवा रामलाल	100.00
5	शिवलाल पुत्र मिही लाल	100.00
6	शिव दयाल पुत्र मिही लाल	100.00
7	राम स्वरूप पुत्र मिही लाल	100.00
8	लल्लू पुत्र नम्मा	100.00
9	राम औतार पुत्र भाखन	65.00
10	टीका राम पुत्र महाबली	75.00
11	डल्ला पुत्र मनोहर	75.00
12	दुलारे पुत्र मनोहर	75.00
13	तिल्हा पुत्र दिन्नी	100.00
14	द्वारिका पुत्र कशर	100.00
15	रामदीन पुत्र केशर	100.00
16	मैकू पुत्र केसर	100.00
17	मूला पुत्र केसर	100.00
18	रेजती पुत्र हरी	75.00
19	दुलारे पुत्र नेवल	25.00
20	महादीन पुत्र मुल्ला	25.00
21	बच्चा पुत्र मोती	30.00
22	जिया लाल पुत्र गंगू	20.00
23	हिरऊ पुत्र चूरा	75.00
24	वलीन पुत्र बच्चा	20.00
25	हुलसी पुत्र जुग्गा	20.00
26	भगवान दीन पुत्र हीरा लाल	100.00
27	मूलचन्द पुत्र ताले	15.00
28	कुशाल पुत्र बिहारी	50.00
29	छोटे लाल पुत्र माखन	50.00
30	राम दयाल पुत्र माखन	40.00

क्रम-सं0	नाम काश्तकार मय वल्दियत			धन जो दिया गया
1	2			3
	सर्वश्री:—			रु० पै०
31	राम चरन पुत्र मुल्ला	..	..	15.00
32	श्रीमती फूलमती बेवा खेम्मा	..	..	15.00
33	गजराज पुत्र टीका	..	..	25.00
34	श्री कृष्ण पुत्र जुग्गा	..	..	10.00
			योग ..	2175.00

अहेतुक सहायता जो ग्राम नौधा मजरे कासिमपुर के अग्नि पीड़ितों को सरकार द्वारा दी गई

	सर्वश्री—			
1	ईश्वरी पुत्र भगवान दीन	..	..	50.00
2	ठाकुर पुत्र भगवान दीन	..	..	20.00
3	नन्हा पुत्र कन्हा ..	..	..	80.00
4	टीकाराम पुत्र जवाहर	..	..	50.00
5	नन्हा पुत्र मथुरा	..	..	80.00
6	कन्हा पुत्र मथुरा	..	..	80.00
7	श्रीपाल पुत्र जीत	..	..	80.00
8	राम बिलास पुत्र गयारी	..	..	60.00
9	शम्भू पुत्र दीनां	..	..	60.00
10	महाबीर पुत्र सुक्खा	..	..	80.00
11	झुन्नी पुत्र सुक्खा	..	..	60.00
12	सुन्दर लाल पुत्र भानु	..	..	150.00
13	तुलसी पुत्र छोटकौन	..	..	60.00
14	बुलाकी पुत्र कालिका	..	..	80.00
15	चन्द्रिका पुत्र बुलाकी	..	..	60.00
16	बिहारी पुत्र नत्था	..	..	80.00
17	अंगन पुत्र नन्दा	..	..	30.00
18	छत्तर पुत्र गिरधारी	..	..	50.00
19	भवानी पुत्र राम सहाय	..	..	60.00
20	रामजीवन पुत्र घूरे	..	..	50.00
21	दुम्मा पुत्र कल्लू	..	..	80.00
22	विद्या पुत्र छोटे लाल	..	..	60.00
23	श्रीमती फूलमती देवी बेवा घूरे	..	..	30.00
24	रज्जू पुत्र छेदा	..	..	80.00
25	नरायन पुत्र भग्गा	..	..	80.00
26	श्रीमती शिवदेवी बेवा महादीन	..	..	80.00
27	श्रीमती पत्नी गया	..	..	80.00
28	राम स्वरूप पुत्र छोटे लाल	..	..	100.00

क्रम सं०	नाम काश्तकार मय वल्दियत	धन जो दिया गया
1	2	3
	सर्वश्री---	रु० पै०
29	राम चरन पुत्र घूरे	80.00
30	बेच्चा पुत्र अलई	80.00
31	गुरू पुत्र नन्दा	100.00
32	चेतराम पुत्र मुल्ला	100.00
33	घस्सू पुत्र सुक्खा	60.00
34	परमेश्वर पुत्र राम चरन	20.00
35	जगन्नाथ पुत्र केदार	30.00
36	श्रीमती भगन्ना बेवा लोचन	30.00
37	श्रीमती सावित्री पत्नी भारत	80.00
38	राम गुलाम पुत्र जीत	80.00
39	गयारी पुत्र द्वारिका	80.00
40	कदिले पुत्र अयोद्धा	80.00
41	परमेश्वर पुत्र रामलाल	30.00
42	होरी लाल पुत्र दीना	60.00
43	मनोहर पुत्र सुक्खा	80.00
44	बंजू पुत्र राम लाल	40.00
45	श्याम लाल पुत्र नरायन	30.00
46	राम नरायन पुत्र जूराखन	30.00
47	सकटू पुत्र नरायन	80.00
		3080.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 297 पर)

तहसील फरेंदा में अग्निकांड से पीड़ित व्यक्तियों के सहायता का बिवरण

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	आग लगने का दिनांक	तादात मकान जो जले	क्षति का मूल्यांकन (रुपयों में)	तादात व्यक्ति जिनको सहायता दी गई	वितरण धनराशि (रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7
1	बलुवा	2-4-74	19	7900.00	14	350.00
2	सेमरहवा	2-4-74	2	2450.00	..	..
3	पिपरा	6-4-74	2	945.00	2	60.00
4	सोहरवलिया	8-4-74	1	200.00	1	20.00
5	लक्ष्मीपुर	14-4-74	1	700.00	1	30.00
6	जमोहरा कलां	14-4-74	2	1300.00	2	45.00
7	भौराबारी	14-4-74	1	2000.00	..	..
8	उदितपुर	16-4-74	1	2650.00	1	25.00
9	फलयनहां	16-4-74	1	1200.00	..	..
10	सेमरसिवराज	17-4-74	1	1500.00	..	..
11	मुरश	19-4-74	6	1850.00	4	110.00
12	बनजरहापोनइरमा	19-4-74	30	16138.00	29	2525.00
13	परासखांड	20-4-74	6	31800.00	6	200.00
14	खजरियां	21-4-74	27	24440.00	27	100.00
15	सकरौली	22-4-74	1	900.00	1	30.00
16	फरेंदाबुजुर्ग	23-4-74	7	5545.00	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
17	बेलसड़	23-4-74	5	3650.00	5	125.00
18	सोनोराबुजुर्ग	22-4-74	1	3300.00	..	..
19	हरमन्दिरखुर्द	24-4-74	1	2250.00	1	30.00
20	मैसियां	26-4-74	6	6800.00	6	150.00
21	सेखुआनी	27-4-74	1	920.00	1	30.00
22	कानापार	28-4-74	1	1090.00	1	25.00
23	चकदह	28-4-74	6	9000.00	1	30.00
24	सरहरी	23-4-74	1	15100.00	1	30.00
25	कल्यानपुर	1-5-74	1	1115.00	..	..
26	विशुनपुरा	1-5-74	1	500.00	..	..
27	परसाबेनी	3-5-74	1	400.00	1	25.00
28	बरगाहपुर	11-5-74	3	2450.00	3	60.00
29	आराजी सरकार	14-5-74	5	1850.00	2	55.00
30	भगवतनगरपरसियां	19-5-74	3	19453.00	2	50.00
31	सोनवरसा	18-5-74	1	1950.00	..	..
32	काल्हई	19-5-74	1	244.00	..	30.00
33	बैंसार	21-5-74	3	1000.00	3	90.00
34	जंगलजोगियावारी	22-5-74	1	700.00	1	20.00
35	हनुमानमढ़िया	20-5-74	1	450.00	1	30.00
36	हरमापंडित	26-5-74	2	1400.00	..	..
37	कमनहां	27-5-74	1	1000.00	1	20.00
38	हाताविलाहरैया	31-5-74	1	905.00	1	25000
39	सौरहा	31-5-74	2	1882.00	3	100.00
40	मधुकरपुरमहदेवा	1-6-74	2	1580.00	2	50.00
41	सोनचिरैया	2-6-74	2	850.00	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

42	समरधौरा	..	..	..	..	5-6-74	4	1080.00	4	100.00
43	फरेंदाखुर्द	..	..	..	..	16-6-74	1	200.00	1	20.00
44	नैमसर	..	..	..	..	26-6-74	5	1500.00	1	30.00
45	बैसार	..	..	..	..	29-6-74	1	500.00	..	..
					योग ..		172	2,04,387.00	131	4,130.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0 एस0यू0 पी0—ए0पी0 188 वि0 सभा—(2567)—1975—845(प्रो0) ।